द्वितीय माला, खण्ड १९—अंक १८

३ सितम्बर, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

176A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १९--अंक ११ से २०—२५ अगस्त से ५ सितम्बर, १९५८)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार, २५ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४५, ४४८ और ४५२ से ४५९ . १२३९—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १२६२--६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४३८, ४४६, ४४७, ४४९ से ४५१ और ४६० से ४९६ . . . . १२६५--८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ८६७ . . १२८३—१३१८

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली में अतिसार रोग का फैलना . . . १३१९--२२

दो सदस्यों को सजा १३२२-२३

जानकारी के लिये प्रश्न १३२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३२३

राज्य सभा से सन्देश १३२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रिविलगंज में रेल का पटरी से उतर जाना . . . १३२४

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वक्तव्य . . १३२४—२६

समिति के लिये निर्वाचन . . . १३२६

प्राक्कलन समिति १३२६

विधेयक पुरःस्थापित १३२६-२७

१. समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, और १३२६-२७

२. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक . . १३२७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

पर विचार करने का प्रस्ताव १३२७--५७

खण्ड २ से १४ तथा १ . . . १३४३--५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १३५७—६०

दैनिक संक्षेपिका १३६१--६७

अंक १२—मंगलवार, २६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९८, ५०० से ५०९, ५१४, ५१५, ५१७ और ५१८ . . . . . १३६९—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १३९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित श्न संख्या ४९७, ४९९, ५१० से ५१३, ५१६ और ५१९ से ५६० . . . . . १३९५—१४१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६८ से ९०३, ९०५ से ९३० और ९३२ से ९५३ १४१७—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५२–५३

राज्य-सभा से संदेश १४५३

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . १४५३

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प—अस्वीकृत १४५३—८९

चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४५३—९३

खण्ड २ से १४ और खण्ड १ . . . . १४८९–९३

पारित करने का प्रस्ताव १४९३–९६

दैनिक संक्षेपिका १४९७–१५०३

अंक १३—बुधवार, २७ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६३, ५६४, ५६६ से ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८६, ५८८, ५८९, ५९४ और ५९६ से ५९८ . १५०५—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५७१, ५७२, ५७७, ५८२, ५८४, ५८५ ५८७, ५९० से ५९३, ५९५ और ५९९ से ६२८ . . १५३२—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से १०१२ . . १५५०—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५७४–७५

राज्य सभा से संदेश १५७५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन . . १५७५

व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक— . . . १५७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १५७६—८४

खण्ड २ से १३६ और १ . . . . १५८०—८४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८४—८६

पृष्ठ

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५८६—९६

खण्ड १ से १२ १५९५

पारित करने का प्रस्ताव १५९६

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चौधरी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव . . . . . १५९६—१६१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६१३—१९

अंक १४--गुरुवार, २८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८, ६३९, ६९४ ६४१ से ६४५ और ६४७ १६२१—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . १६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३३,६३७, ६४०, ६४६, ६४८ से ६७१, ६७३ और ६७५ से ६९३ १६४४—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से ११२४ . १६६५—१७२१

स्थगन प्रस्ताव--

मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के ११३५ प्रवीण कर्मचारियों का अलग किया जाना १७२१

डा० गैटोन्डे के विरुद्ध अभियोग को वापस लेने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . . . . १७२२—२४

देश में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तथा बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य . १७२४–२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७२५–२६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन १७२६

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७२६--३२

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १७३२--४२

खण्ड २ तथा १ . . . . . १७४२

पारित करने का प्रस्ताव १७४२–४३

पृष्ठ

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १७४३--५४

कार्यमंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . १७५४

दैनिक संक्षेपिका १७५५--६३

अंक १५-- शनिवार, ३० अगस्त, १९५८--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९५, ६९७, ४९८, ७०१ से ७०६, ७०८, ७१० से ७१४, ७१६ से ७१८ और ७२३ . १७६५--८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ६९६, ६९९, ७००, ७०७, ७०९, ७१५, ७१९ से ७२२ और ७२४ से ७४८ . १७९०--१८०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११८८, ११९० से ११९३ और ११९५ से १२०६ १८०५--३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८३३-३४

सभा का कार्य १८३४-३५

सागर में विद्यार्थियों तथा सनिकोंमें हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में वक्तव्य . १८३५

समितियों के लिये निर्वाचन १८३५

१. प्राणिविज्ञान का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ।

२. भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर ।

कार्य मंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन १८३६--३७

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव १८३७--५२

खण्ड २ और ३ . . . . . १८५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन . . . १८५२

एकाधिकार रखने वाले साथी के कार्यों के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५३--५८

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५८--६७

दैनिक संक्षेपिका १८६८--७४

पृष्ठ

अंक १६--सोमवार, १ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- .

तारांकित प्रश्न संख्या ७५० से ७५२, ७५४, ७५६, ७५७, ७५९, ७६०, ७६२, ७६४, ७६५, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२, ७७६ से ७७९, ७८१ और ७८२ . . . १८७५—१९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९, ७५३, ७५५, ७५८, ७६१, ७६६, ७६९, ७७१, ७७३ से ७७५, ७८०, ७८३, ७८४ से ७८६ और ७८८ से ७९२ . १९०१—०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२६९ १९०९—३८

स्थगन प्रस्ताव . . . . . १९३९—४२

(१) मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी में कर्मचारियों का काम से अलग किया जाना; और

(२) पांडेचेरी में संवैधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

समितियों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी विनियमों के संशोधन-- . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १९४३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—पुरःस्थापित : . . . १९४३–४४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

खण्ड ३ से ११, १४ से २०, २२ से ३०, १२, २१ और १ १९४४—५५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . १९५५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १९५६—७०

अखबारी कागज के लिये आयात अनुज्ञप्तियां तथा कागज के मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा १९७०--७५

दैनिक संक्षेपिका १९७६--८१

अंक १७—मंगलावार, २ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७९४ से ८०१ और ८०३ से ८०७ . . १९८३--२००६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३, ८०२ और ८०८ से ८१५ और ८१७ से ८३९ . . . २००६—२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० से १३८० और १३८२ से १३८६ २०२०—७४

जानकारी के लिये प्रश्न २०७४

रेलवे के कार्य–संचालन सम्बन्धी चर्चा के बारे में सुझाव . . २०७४

स्थगन प्रस्ताव . . . . . २०७४—७७

१. कडुम बांध का टूट जाना ; और

२. बेरोजगारी के कारण एक परिवार के सदस्यों द्वारा कथित आत्म-हत्या ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०७७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०७७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

आठवां प्रतिवेदन . २०७८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर की शुद्धि . . . २०७८

दिल्ली में हैजा और अतिसार के बारे में वक्तव्य . . . २०७८-७९

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २०७९—२११३

खण्ड २ से ९ और १ . २०९४—२११३

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २११३—१७

खण्ड १ और २ . . २११७

पारित करने का प्रस्ताव . . . २११७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २११७—१९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २१२०—२६

अंक १८—बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ से ८४८, ८५०, ८५३, ८५६, ८५८ से ८६१, ८६४ और ८६५ . . . . . २१२७—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०,८४९, ८५१, ८५२, ८५४, ८५५, ८५७, ८६२, ८६३, ८६६ से ८९३ . . . २१५२—६७

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८७ से १४५५ और १४५७ से १४६० २१६८--९६

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति . २१९६--९९

राज्य सभा से संदेश २१९९

सभा से अनुपस्थिति की अनुमति २१९९

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २१९९--२२०५

खण्ड २ से ४ और १ २२०५

पारित करने का प्रस्ताव २२०५

राज घाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २२०६--१६

रेलवे भाड़ा दर चार्ज समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . . २२१६--२७

दैनिक संक्षेपिका २२२८--३४

अंक १९--गुरुवार, ४ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८ से ९०१, ९०३, ९०५, ९०७, ९०८
९११, ९१४ से ९१८, ९२० से ९२२ और ९२६ २२३५--६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६, ८९७, ९०२, ९०४, ९०६, ९०९,
९१२, ९१३, ९१९, ९२३ से ९२५, ९२७ से ९३९ और ९४१
से ९४६ . . . . . २२६०--७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५१२, १५१४ से १५२६ और १५२८ २२७२--९८

स्थगन प्रस्ताव-- २२९८--२३०३

केरल में स्थिति . २२९८--२३०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३०३-०४

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने के लिये प्रस्ताव २३०४--०९

खण्ड २, ३ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव . . २३०९

सरकारी भग्रहदि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक १९५८-- २३०९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . २३१०--२१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद २३२१--४१

दैनिक संक्षेपिका २३४२--४६

अंक २०--शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ से ९५७, ९५९ और ९६१ से ९६५ २३४७--७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . २३७१--७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ९५८, ९६० और ९६६ से १००८	२३७३--९३
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२९ से १६०८ और १६१० से १६३१	२३९३--२४४२
दो सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में	२४४२-४३
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२४४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४४३-४४
१९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें	२४४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मध्य रेलवे के दो पुलों का बह जाना	२४४४--४६
सभा का कार्य	२४४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के शुद्धि	२४४६-४७
सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२४४७--६३
महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा (निरसन) विधेयक--पुरस्थापित :	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	२४६३
(धारा ५६ तथा १२३ का संशोधन)--पुरस्थापित :	२४६४
संविधान (संशोधन) विधेयक--	
(अनुच्छेद १३४, १३६ तथा १४५ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६४
वनस्पति में रंग मिलाना विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६४
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६५
भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक--	
(धारा १०३ का संशोधन)-- पुरस्थापित	२४६५
संसदीय विशेषाधिकार विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६५
प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३, २२, ३० तथा ३६ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४६६--७३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ५५-क, ८२ तथा ११६-क का संशोधन)--वापस लिया गया	२४७३--८०
विचार करने का प्रस्ताव	२४७३--८०
छावनी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४८१-८२
दैनिक संक्षेपिका	२४८३--९०

नोट:--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जेल नियम संग्रह समिति

†*८४१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री संगण्णा :

क्या गृह-कार्य मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेल नियम संग्रह समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों की क्रियान्विति की क्या अवस्था है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह समिति कब बनाई गई थी और कब तक यह विचार विमर्श करती रही है ?

†**श्री दातार** : इसमें लगभग आठ या दस महीने लग जायेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस समिति की रचना कब की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : इसकी रचना गत वर्ष की गई थी और पहली मीटिंग २४ और २६ जून, १९५७ के बीच हुई थी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक मामूली बात भी इतना अधिक महत्व धारण कर लेती है । जेल का विषय राज्य सरकारों के अधीन है । समिति को इस पहलू पर भी विचार करना है । एक सैंट्रल जेल दिल्ली में भी है । क्या यह प्रश्न इस विषय तक ही सीमित है ?

†**श्री रंगा** : मेरा यही विचार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या जेल नियम संग्रह समिति दिल्ली राज्य के लिये है ?

†**श्री दातार** : जी नहीं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे——

†**अध्यक्ष महोदय** : जेल नियम संग्रह समिति नियुक्त की गई है । दूसरा प्रश्न । मैं और प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा । मैंने एक प्रश्न की अनुमति दे दी है : "समिति की रचना कब की गई थी ।" मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दे दिया है ।

†**श्री रंगा** : मैं आपके इस विचार से सहमत हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न । अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । यदि हम पहले प्रश्न पर ही सम्पूर्ण समय व्यतीत कर दें तो क्या शेष सब प्रश्न उत्तर दिये बिना ही रह जायेंगे ।

श्री तंगामणि खड़े हुये——

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अनेक अवसर मिलेंगे । दूसरा प्रश्न ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न——श्री सुबोध हंसदा ।

राष्ट्रीय अकादमियों के लिये भवन निर्माण

†८४२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन राष्ट्रीय अकादमियों के भवन निर्माण के लिये स्थान चुन लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह स्थान कहां चुना गया है ;

(ग) क्या भवन निर्माण आरम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) फीरोजशाह रोड क्षेत्र में ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या भवन निर्माण में कुछ कठिनाइयां हैं और यदि हां, तो क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अभी तक यह कठिनाई थी कि गत वर्ष यह सुझाव दिया गया था कि इस भवन का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में नहीं किया जाये । यह कठिनाई दूर हो गई है भवन निर्माण करने के पहले वहां कुछ हटमेंट गिराये जायेंगे और हम शीघ्र ही ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

सेठ गोविन्द दास : चूंकि ये अकादमियों की इमारतें हैं, इसलिये क्या इनके बनाने में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि वे खास तरह की कलापूर्ण इमारतें हों और क्या इस सम्बन्ध में कोई कलात्मक लोगों से राय ली जा रही है कि इसका नक्शा और बिल्डिग किस प्रकार का हो ?

श्री हुमायून् कबिर : गवर्नमेंट को हमेशा यह ख्याल रहता है कि इस तरह की बिल्डिग्ज़ कलात्मक हों और इसके लिये वह हमेशा कोशिश करती है । यह बिल्डिग आर्किटेक्ट के मश्विरे के मुताबिक बनाई जायेगी । आनरेबल मेम्बर ने जो सजेशन दी है, वह **सजेशन फार एक्शन** है, लेकिन उसका ख्याल रखा जायेगा ।

†**श्री बासप्पा** : इस भवन निर्माण की लागत कितनी है तथा इस समय ये अकादमियां कहां स्थित हैं और आजकल उनका क्या किराया दिया जाता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : वे इस समय अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं । साहित्य अकादमी कनॉट सरकस में है ; ललित कला अकादमी नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट में स्थित है ; संगीत नाटक अकादमी पहले कनॉट सरकस में एक किराये की बिल्डिग में थी किन्तु अब यह गोल्फ लिंक में एक किराये की बिल्डिग में चली गई है ।

†**श्री सिंहसान सिंह** : इनके लिये बिल्डिग निर्माण करने में कितना खर्च होगा और उनमें कितनी मंजिलें रहेंगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जब इस भवन का निर्माण हो जायेगा तो इस पर २२ लाख रुपये खर्च होंगे । किन्तु वर्तमान अवस्था के अनुसार इस भवन का निर्माण लागत केवल ९ लाख रुपये रहेंगे ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : सब भवनों को मिला कर कितना लागत होगा और इनमें कितनी मंजिलें रहेंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उत्तर तीनों भवनों के बारे में दिया गया था ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : तीनों अकादमियों की संयुक्त इमारत होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पैट्रोल का मूल्य

+

†*८४३. श्री वें० प० नायर :
श्री राम कृष्ण :
श्री वासु देवन नायर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री तंगामणि :
श्री सूपकार :
श्री विभूति मिश्र ।
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
सरदार इकबाल सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री साधन गुप्त :
श्री हेम बरूआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोल की कीमतें घटाने के बारे में सरकार तथा तेल वितरण समवायों में हुये समझौते की मुख्य शर्तें क्या-क्या हैं ;

(ख) तयशुदा कीमतों के फलस्वरूप कुल वार्षिक बचत कितनी होगी ; और

(ग) इस करार में उपभोक्ताओं को कितना लाभ होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मेसर्स बर्मा शैल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड के साथ हुये समझौते की शर्तें लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं । अन्य तेल वितरणकर्ता कम्पनियों ने भी इसका अनुकरण करना तय कर लिया है ।

(ख) कम्पनियों द्वारा प्राप्त राशि की यथार्थ कमी उनकी बिक्री पर निर्भर है । उनकी बिक्री के प्राक्कलन के अनुसार, बर्मा शैल के लिये सहमति प्रदत्त कमी लगभग ४९.५ लाख रुपये प्रति माह है । यह सब कम्पनियों के लिये वर्ष में लगभग १० करोड़ रुपये है ।

(ग) माननीय सदस्यों का ध्यान खनिज तेल (उत्पादन और कस्टम का अतिरिक्त शुल्क) विधेयक, १९५८ के "उद्देश्य तथा कारणों के विवरण" की ओर आकर्षित किया जाता है जिस पर १३ अगस्त, १९५८ को लोक सभा में चर्चा की गई थी ; इस विधेयक का उद्देश्य ३० जून, १९५८ को लागू किये गये अध्यादेश का स्थान ग्रहण करना था जिससे कीमतों की कमी (२० मई, १९५८ से व्यवहृत) का लाभ सरकार को प्राप्त हो ।

†**श्री वें० प० नायर** : जहां तक मेरा अनुमान है मूल्य की कमी का प्रभाव दस प्रतिशत होगा । विश्व के तेल बाजार में गिरावट के पश्चात् मूल्य की कमी से इसकी किस प्रकार तुलना की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : माननीय मित्र द्वारा इंगित दस प्रतिशत मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं और न मैं यह मानने की स्थिति में हूं कि मूल्य में कमी का वर्तमान गिरावट से कोई सम्बन्ध है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या इसका यह अर्थ है कि आजकल भाव में जो कमी की जा रही है, विश्व के तेल बाजार की गिरावट के पश्चात् भाव में कमी से उसका यथार्थ सम्बन्ध रहेगा और यदि हां, तो यह कितने अंश तक रहेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरा विचार है कि आजकल की कमी और दोनों पार्टियों में तय होने वाली बाद की कमी में मौजूदा गिरावट का आभास मिल सकता है ।

†**श्री सूपकार** : कम कीमत और पाकिस्तान और बर्मा जैसे हमारे पड़ोसी देशों में व्याप्त कीमत की परस्पर तुलनात्मक स्थिति कैसी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अब उनकी तुलनात्मक स्थिति अच्छी है ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या तेल वितरण करने वाली कम्पनियां भी इस बात के लिये सहमत हो गई हैं कि भविष्य में तेल की विश्वव्यापी कीमतों में कमी का प्रभाव इस देश में परिलक्षित होगा और यदि हां, तो क्या तेल वितरण करने वाली इन कम्पनियों के साथ करार करते समय इस पर चर्चा की गई थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस प्रकार के विशिष्ट विषय पर सहमति प्रकट नहीं की गई अथवा इन्हें समझौते में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि हम इस बात के लिये पहले ही सहमत हो गये थे कि वर्तमान गिरावट के परिणामस्वरूप उत्पन्न सब कमियां उन सब कीमतों में परिलक्षित होंगी जो दोनों पार्टियों में सहमत हो जायेंगी । मैं माननीय सदस्य को यह भी स्मरण करा दूं कि कीमतों का परीक्षण किया जा रहा है और लागत लेखा अधिकारी लेखों के परीक्षण में लगे हुये हैं और जब तक हम बिक्री की कीमत के लागत ढांचे के बारे में एक प्रकार का निर्णय नहीं कर लेते हैं, हम इस समय कुछ नहीं कह सकते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : लन्दन में इसकी कीमत में चार पैंस प्रति गैलन और कमी हो गई है और ७७४०.५ लाख गैलन वार्षिक खपत है इसको ध्यान में रखते हुये क्या बम्बई और लन्दन के बीच मूल्य भेद निर्धारित किया जायेगा ताकि कम से कम ५० करोड़ रुपये की बचत हो सके ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं लन्दन और बम्बई की कीमतों में अन्तर के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं ।

†**श्री च० द० पांडे** : कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने कहा था कि पैट्रोल की कीमत एक सिद्धान्त पर आधारित है जिसे 'गल्फ मूल्य'[1] कहते हैं । चूंकि सम्पूर्ण जगत में कीमतें एक ही सिद्धान्त से नियंत्रित होती हैं और ब्रिटेन और जर्मनी में कीमतों में ३० प्रतिशत कमी हो गई है क्या इस देश में भी उतनी ही कमी हुई है अथवा ऐसा नहीं हुआ है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अन्य देशों में विक्रय मूल्य अनेक तथ्यों से निदेशित होता है जो यहां नहीं है उदाहरणार्थ प्रति व्यक्ति पैट्रोल की खपत तथा अन्य कारण । अतः यह युक्तिसंगत अथवा उचित नहीं है कि इस देश के विक्रय मूल्य की उन देशों से तुलना की जाये जहां इस देश की खपत की अपेक्षा

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Gulf price.

अन्य देशों में ऐसी वस्तुयें अधिक खपत नहीं होतीं । किन्तु मैं माननीय सदस्य का ध्यान लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण के चौथे पैराग्राफ की ओर आकर्षित करूंगा जो उनके उठाये गये कुछ तथ्यों को स्पष्ट कर देता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस तदर्थ करार के पश्चात् क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : लेखों का परीक्षण किया जा रहा है और निर्णय करने में हमें अभी कुछ महीने और लगेंगे ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : लागत लेखे का काम पूरा होने के पश्चात् और कीमतों में यदि कुछ कमी हुई तो क्या उपभोक्ताओं को उस से लाभ होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, लेखे के परीक्षण के पश्चात् सरकार और कम्पनियों के बीच एक नये मूल्य-सिद्धान्त के बारे में समझौता करना होगा । कमी के पश्चात् बचत का क्या होगा इसका उत्तर मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूं ।

†**श्री दामानी** : क्या सरकार बचत को उपयोग करने पर विचार कर रही है अथवा करेगी ताकि पैट्रोल उत्पाद का मूल्य सम्पूर्ण देश में समरूप रहे ?

†**श्री गोरे** : अभी अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि हम अपने देश की कीमत की अन्य देशों से तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्थिति अधिक अनुकूल है । किन्तु पाकिस्तान की स्थिति इस दृष्टि से अनुकूल नहीं है फिर कमी के पश्चात् हमारे देश की वहां की कीमत से तुलनात्मक स्थिति क्या होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने कहा था कि अन्य देशों से हमारी कीमतों की स्थिति अनुकूल ह । पाकिस्तान में कुछ और उत्पाद भी बिक रहे हैं जहां हमारी कीमतें कदाचित् उनकी कीमतों से बहुत कम नहीं होंगी । सब कुल मिला कर हमारे देश में पैट्रोलियम उत्पादन की कीमतें पाकिस्तान की कीमतों की तुलना में काफी अच्छी हैं ।

†**श्री बोस** : क्या भारत में व्याप्त कीमतों का यहां उसकी उत्पादन लागत और वितरण से कोई सम्बन्ध है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ऐसा नहीं है ।

†**श्री हेम बरूआ** : विवरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार एक नवीन मूल्य-सिद्धान्त का विकास करना चाहती है जो उत्पादन लागत पर आधारित हो । क्या इसके लिये सरकार ने समय सीमा निर्धारित की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : पहले यह अवधि छः महीने थी, अब नौ महीने कर दी गई है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार वितरण व्यवस्था समूची अथवा आंशिक रूप में अपने हाथों में लेने का विचार रखती है और यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी बचत होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार उनमें से किसी भी कम्पनी का वितरण अपने हाथों में लेने का विचार नहीं रखती है । सरकार स्वतः ही इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि स्वयं एक संगठन का संचालन करने अथवा वितरण व्यवस्था का अन्तर्गर्भ केन्द्र स्थापित करने के क्या क्या पहलू अथवा दिशायें हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापक

+

†*८४४. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि दिल्ली के गैर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सब अध्यापकों को अब तक का वेतन मिल चुका है और उनका वेतन बकाया नहीं है ; और

(ख) इस बात का निश्चय करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि दिल्ली के स्कलों के अध्यापकों का वेतन भविष्य में बकाया न रहे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जांच की जा रही है ।

(ख) स्कूल के प्रबन्धकर्ताओं द्वारा अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन देने में सुगमता की दृष्टि से तिमाही सहायता अनुदान अग्रिम देने का विचार किया गया है ।

मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह भी बता दूं कि गत अप्रैल और मई म कुछ ऐसे मामले मुझे बताये गये थे कि जब वेतन नहीं दिया गया था । मैंने प्रशासन को आज्ञा दी कि तुरन्त ही अग्रिम सहायता अनुदान दे दिया जाये । यह सामान्य नियमों में कुछ छूट अवश्य थी किन्तु इस प्रकार अध्यापकों को वेतन दिया जा सकता था ।

अधिकांश मामलों में वेतन दे दिया गया था । सात स्कूलों में ऐसा नहीं किया गया था जहां स्कूल के प्रबन्धकों में कथित कदाचार व्याप्त था । इन मामलों की जांच की जा रही है । इनकी जांच की जा रही है । उन मामलों में भी मैंने डाइरेक्टर से कहा है कि क्या वह अनुदान प्राप्त कर सीधे अध्यापकों को वेतन नहीं दे सकते हैं । मैं इस बात के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा हूं कि दिल्ली प्रशासन की यह बीमारी---अध्यापकों को वेतन का अनियमित भुगतान---दूर हो और स्कूलों में कुप्रबन्ध समाप्त हो जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-सरकारी अभिकरणों को कितने प्रतिशत सहायता अनुदान दी जाती है और अनुदान उपलब्ध करने के लिये क्या शर्तें हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सामान्यतया यह खर्च का ९० प्रतिशत है । अनुदान स्वीकार करने के पूर्व स्कूल प्रबन्धकों को अपना लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक था । मैं सम्पूर्ण विषय का समुचित परीक्षण कर रहा हूं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या दिल्ली के कुछ सहायता प्राप्त स्कूलों में वेतन की यथार्थ रकम अध्यापकों को नहीं मिलती है और यदि हां, तो उसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस विषय की भी जांच की जा रही है और इस कदाचार के फलस्वरूप हमने कुछ शिक्षण संस्थाय बन्द कर देने का आदेश दिया है। जहां ऐसे स्कूल बन्द हो गये हैं वहां नये स्कूल खोलने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इन सहायता प्राप्त स्कूलों पर क्या सरकारी नियंत्रण है तथा क्या इन स्कूलों की प्रबन्धकारिणी समिति में सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई सदस्य है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस विशिष्ट जानकारी के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कुछ ऐसी गैर-सरकारी संस्थायें हैं जो सीटों का विज्ञापन करती हैं और सुदूरवर्ती स्थानों से फीस एकत्र करती हैं और जब फीस प्राप्त हो जाती है तथा विद्यार्थी यहां आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि यहां ऐसी कोई संस्थायें नहीं हैं और वे सब छद्म संस्थायें[1] हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था। हमने जांच की थी और जनता को इस प्रकार की संस्थाओं से सावधान रहने के लिये कह दिया है।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जो कदम उठाये जा रहे हैं वे सहायता प्राप्त स्कूलों के सम्बन्ध में हैं। लेकिन दिल्ली में बहुत से ऐसे विद्यालय भी हैं जो प्राइवेट तौर पर चलाये जा रहे हैं। क्या उन पर नियंत्रण करने की भी कोई व्यवस्था की जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अभी कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा उन संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण किया जा सके।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री ने बताया था कि कुछ कदाचार हुआ है। यदि ऐसी बात है तो इसके लिये अध्यापकों को क्यों दण्ड भोगना पड़ता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने यही कहा है। मैंने डाइरेक्टर से कहा है कि क्या वह सहायता अनुदान सीधी प्राप्त कर अध्यापकों को एकदम वेतन दे सकते हैं और प्रबन्धकों से इस विषय में कोई सम्बन्ध भी न हो। इस प्रश्न का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो सहायता प्राप्त या रिकगनाइज्ड स्कूल हैं उनमें अभी कितना रुपया टीचर्स को देना बाकी है तथा जो सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्कूल हैं उनमें कितना रुपया एरिअर्स का अभी टीचर्स को देना बाकी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसकी इत्तिला अभी मेरे पास नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में भी वेतन का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां। दुर्भाग्यवश कुछ मामलों में यह भी सच ही था। मैं इस विषय में कठोर कार्यवाही कर रहा हूं और इस बात का भी प्रयत्न करूंगा कि वेतन का नियमित भुगतान किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bogus institutions.

भिक्षावृत्ति

†*८४५. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य-क्षेत्र में भिक्षावृत्ति समाप्त करने और भिखारियों को बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** दिल्ली नगर निगम की धारा ३९७(१) (क)(२) और नगरपालिका अधिनियम की धारा १, जो दिल्ली में लागू होती है, के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में भिक्षावृत्ति अपराध है। भीख मांगने वाले व्यक्ति पूअर हाउस ले जाये जाते हैं जहां उन्हें भोजन, वस्त्र और रहने की जगह दी जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति का गम्भीर रूप नहीं है।

†**श्री मोहन स्वरूप :** अभी तक कितने भिक्षु-गृह स्थापित किये गये हैं ?

†**श्रीमती आल्वा :** दिल्ली में एक है। और मैंने अभी बताया था कि अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** दिल्ली में कुल कितने भिखारी हैं कितने वास्तविक भिखारी हैं और कितने भूख से विकल हो कर भिखारी बन गये हैं ?

†**श्रीमती आल्वा :** यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री को भिक्षु गृह के निवासियों की संख्या तो मालूम होगी।

†**श्रीमती आल्वा :** उसमें ५०० भिखारियों के लिये उपबन्ध है।

श्री पद्म देव : क्या मैं जान सकता हूं कि हिमाचल के अन्दर जो बरडों की एक क्लास है और वह जगह जगह मांगती फिरती है, उसको बसाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

†**श्रीमती आल्वा :** उक्त राज्य-क्षेत्र में भीख मांगने की समस्या वस्तुतः इतनी गम्भीर नहीं है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी प्रदान की है हम उस पर विचार करेंगे।

†**श्री ज्योतिषि :** पूअर हाउस में यथार्थ रूप में कितने व्यक्तियों को स्थान दिया गया है और कितने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ?

†**श्रीमती आल्वा :** भिक्षु-गृह में ५०० भिखारियों के लिये उपबन्ध है और उनका आना-जाना बना रहता है। अतः इनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है।

श्री नवल प्रभाकर : जो भिखारी दिल्ली में पकड़े जाते हैं उनको थोड़े दिन रख कर के या एक हफ्ता रख करके बाद में छोड़ दिया जाता है और वे फिर बाजारों में भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्या इसको रोकने का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्रीमती आल्वा :** सब मामलों में ऐसा नहीं होता है।

†**श्री दशरथ देब :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि त्रिपुरा राज्य-क्षेत्र में भिखारियों की संख्या प्रति दिन बढ़ती जा रही है क्या सरकार ने उनका रेकार्ड रखने के लिये कोई व्यवस्था की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : चूंकि इनकी संख्या नहीं ब़ रही है अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : मैं योगियों का सभापति हूं । माननीय मित्र पूछना चाहते हैं कि हमारी रक्षा कैसे की जाये । हिन्दू धर्म में भिक्षावृत्ति की अनुमति है ।

टेक्नीकल शिक्षा

+

†*८४६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २८ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेक्नीकल सरकारी मिशन[1] (चतुर्थ सूत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत भारत में टेक्नीकल शिक्षा के प्रसार और विकास के प्रस्तावों को १९५८–५९ के लिये अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, हां ।

(ख) अमेरिका से चालू वर्ष में प्राप्त होने वाली सहायता में निम्न बात सम्मिलित हैं :

(१) हमारी संस्थाओं में स्नातकोत्तर अध्ययन और गवेषणा के विकास और टेक्नीकल अध्यापकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम में सहायता देने के लिये इंजीनियरिंग और टेक्नोलोजी के चुने हुये क्षेत्रों में २६ अमरीकी विशेषज्ञ ।

(२) अमेरिका की संस्थाओं मे २० भारतीयों के प्रशिक्षण की सुविधायें ।

(३) ८०,००० डालर के वैज्ञानिक उपकरण ।

उपरोक्त सहायता के लिये एक समझौते पर टेक्नीकल सहकारी मिशन और भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं ।

२. टेक्नीकल सहकारी मिशन के अन्तर्गत अमेरिका ने अमेरिका की संस्थाओं में उच्चतर अध्ययन के लिये ६० भारतीय इंजीनियरों और औद्योगिकों को इस वर्ष ६० छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं । प्रशिक्षण के पश्चात् ये लोग भारतीय संस्थाओं में अध्यापक का काम करेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण से यह प्रकट होता है कि अमेरिका की संस्थाओं में २० भारतीयों के प्रशिक्षण का उपबन्ध किया जायेगा । इनका चुनाव किस प्रकार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] T.C.M.

†**श्री हुमायून् कबिर :** एक विशेष चुनाव समिति इन २० भारतीयों का चुनाव करेगी। ६० भारतीयों में से कुछ तो चले गये हैं और शेष जाने वाले हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में बताया गया है कि इस समझौते के अन्तर्गत ८०,००० डालर मूल्य के वैज्ञानिक उपकरण दिये गये हैं। सम्पूर्ण भारत की संस्थाओं में इन उपकरणों का वितरण किस प्रकार किया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** उपकरण अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। इस समझौते पर १९ जून, १९५८ को हस्ताक्षर किये गये थे और हमें आशा है कि उपकरण शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे। इस वर्ष इन उपकरणों को पांच बड़ी संस्थाओं में वितरित करने का कार्यक्रम है।

†**श्री पाणिग्रही :** इन पांच बड़ी संस्थाओं के क्या नाम हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** वे चार विभिन्न प्रदेशों में हैं— बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, शिवपुर रुड़की यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी और गिण्डी इंजीनीरयरिंग कालेज और अखिल भारतीय संस्था के रूप में खड़गपुर की इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** प्रशिक्षण के लिये अमेरिका जानें वाले ६० इंजीनीयरों का चुनाव कैसे किया जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने अभी बताया है कि एक विशेष चुनाव समिति इनका चुनाव करेगी।

†**श्री तगामणि :** यह भिन्न प्रश्न है। वह उत्तर तो उन २० भारतीय विद्यार्थियों के बारे में था जिनका चुनाव कर लिया गया है और जो इसी वर्ष जा रहे हैं। तत्पश्चात् भारतीय इंजीनीयरों और प्रौद्योगिकों के लिये ६० छात्रवृत्तियां हैं। क्या इन ६० व्यक्तियों का चुनाव कर लिया गया है और यदि नहीं, तो चुनाव का क्या आधार है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने पहले ही कह दिया है कि उनका चुनाव कर लिया गया है। ये ६० उम्मीदवार मुख्यतः युवक ग्रेजूएट हैं जिन्होंने इस वर्ष अथवा गत वर्ष परीक्षा पास की हैं अथवा जिनका अनुभव बहुत थोड़ा है वे इस आधार पर चुने गये हैं कि उनके लौटने पर वे शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित अवधि तक काम करेंगे।

†**श्री जाधव :** अमरीकी विशेषज्ञ कहां नियुक्त किये जायेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने पहले ही कह दिया है कि अब हम यह कार्यक्रम सम्पूर्ण भारत की पांच संस्थाओं तक सीमित कर रहे हैं ?

†**श्री प्रभात कार :** चुनाव समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये। सारे भारत से अलग अलग व्यक्ति हैं। सबके नाम मुझे याद नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि मंत्री जी ने नाम बताये तो फिर कहा जायेगा कि इनमें कुछ और सम्मिलित कर लिये जायें। आखिर सरकार को तो काम करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दामानी :** टेक्नीकल सहकारी मिशन के अन्तर्गत प्राप्त सहायता से पृथक् टेक्नीकल दृष्टि से प्रगतिशील देशों के सहयोग से देश में टेक्नीकल शिक्षा का विकास करने लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** बड़े पैमाने पर कार्यक्रम बनाया गया है। पूरी जानकारी देने वाला एक विवरण मैंने ३० अगस्त को लोक-सभा के पटल पर रख दिया था। किन्तु यदि माननीय सदस्य पुनः यह जानकारी चाहते हैं तो मैं बता दूं कि ३० जून, १९५८ तक हमें दुनिया के विभिन्न देशों से अब तक ७७ विशेषज्ञ उपलब्ध हुए हैं और ८८ छात्रवृत्तियां तथा ६८ लाख ५५ हजार रुपये के मूल्य के उपकरण आदि मिले हैं।

दुर्गापुर स्टील वर्क्स के लिये एक वरिष्ठ प्रविधिक प्रतिनिधि[1] की नियुक्ति

†*८४७. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, लिमिटेड, लन्दन, ने निश्चित किये गये करार के खण्ड ५ (घ) के अधीन अपेक्षित एक वरिष्ठ प्रविधिक प्रतिनिधि की नियुक्ति कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रविधिक के कर्तव्य क्या हैं ; और

(ग) उसका नाम और उसकी अर्हतायें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क), जी हां।

(ख) वह प्रतिदिन हमें ऐसे मामलों पर सलाह देता है जिनके बारे में परामर्शदाता इंजीनियरों के लन्दन कार्यालय से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं होती।

(ग) प्रविधिक प्रतिनिधि का नाम श्री एच० एम० क्रोवे है। वह इस्पात कार्यों में अर्हता प्राप्त इंजीनियर हैं ? वह कई वर्षों से परामर्शदाता इंजीनियरों के कार्यालय में काम कर रहे हैं।

†**श्री मुरारका :** वह किस तारीख को नियुक्त किये गये थे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वह मई, १९५६ में भारत पहुंचे थे।

†**श्री मुरारका :** क्या यह वही व्यक्ति हैं जिन्हें कि सामान्य करार के अधीन नियुक्त किया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** दुर्गापुर वर्क्स के सामान्य परामर्श करार के अधीन इन्टरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, लन्दन, इस बात के लिये बाध्य है कि वह अपने खर्च पर भारत में एक वरिष्ठ प्राविधिक प्रतिनिधि नियुक्त करे जो कि प्रतिदिन ऐसे मामलों पर परामर्श दे जिनके बारे में परामर्श-दाताओं के लन्दन कार्यालय से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी करार के अधीन इस प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है।

†**श्री मुरारका :** दो अलग अलग करार किये गये थे, और प्रत्येक के लिये अलग अलग शुल्क दिया गया है .....

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Senior Technical Representative.

†**अध्यक्ष महोदय :** आप पूछना क्या चाहते हैं ?

†**श्री मुरारका :** दोनों करारों के अधीन ो अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करना था। क्या इन दोनों करारों के अधीन केवल एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं माननीय सदस्य के इस अनुदान से सहमत नहीं हूं कि दो अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक था ।

†**श्री नाथ पाई :** इस सार्थ द्वारा, जिसे हम लगभग २ करोड़ रुपये अदा करने के लिये बाध्य हैं, की गई प्रविधिक सेवायें, इण्डियन स्टील कंस्ट्रक्शन वर्क्स लिमिटेड, लन्दन, द्वारा जिसे हम १४ करोड़ रुपये अदा करने के लिये बाध्य हैं, की गयी प्रविधिक सेवाओं की तुलना में कैसी हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं समझता हूं कि इस बारे में बड़ा भारी भ्रम है ।

†**श्री नाथ पाई :** इसीलिये तो यह प्रश्न पूछा गया है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** शुल्क के सम्बन्ध में बड़ा भारी भ्रम है । जहां तक परामर्श शुल्क का सम्बन्ध है, वह तो एक सामान्य बात है । जहां तक स्थापित किये जाने वाले सम्पूर्ण कारखाने के ढांचे से सम्बन्ध रखने वाली प्रविधिक सेवाओं का सम्बन्ध है, उसके लिये दी जानी वाली राशि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित राशि से अलग है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रविधिक परामर्श के प्रकार में क्या अन्तर है। मैं नही समझता कि ये सभी बातें प्रश्नकाल में ही समझायी जा सकती हैं। यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति न हो तो वे इस बारे में एक बयान दे सकते हैं; क्योंकि उस दिन भी इसी कारखाने के बारे में प्रश्न पूछा गया था। माननीय सदस्य स्वभावत: इसका अन्तर जानने के लिये उत्सुक हैं। वे जानना चाहते हैं कि एक ही कार्य में दोहरापन क्यों है ? यदि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति न हो, तो वह इसके ब्योरों को एक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं उसे सभी माननीय सदस्यों के पास परिचालित कर दूंगा ताकि इस बारे में और प्रश्न न पूछे जायें ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इन दोनों कार्यों में निश्चित रूप से अन्तर है और उसे मैं एक बयान के रूप में प्रस्तुत करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसे माननीय सदस्यों में परिचालित कर दूंगा । यदि उनमें से किसी बात के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहें तो वे अपने सुझाव मेरे पास भेज दें और मैं फिर माननीय मंत्री के पास भेज दूगा, अथवा वे सीधे ही माननीय मंत्री से पत्र व्यवहार कर सकते हैं। यदि कोई बात लोक हित में हुई तो माननीय मंत्री निश्चय ही वह जानकारी देंगे। अत: माननीय मंत्री को चाहिये कि वे ज्ञापन में यथासम्भव, अधिक से अधिक जानकारी दें ।

रानी खेत छावनी

†*८४८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को रानीखेत छावनी के असैनिक निवासियों से

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्हें संभरित किये जाने वाले पानी की हालत के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार अथवा सैनिक प्राधिकारियों ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां। रानीखेत छावनी के असैनिक निवासियों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें संभरित किया जाने वाला पानी अपर्याप्त है ।

(ख) सरकार ने जल संभरण और जल वितरण की स्थिति को सुधारने के लिये जून, १९५१ में एक योजना मंजूर की थी। उसे १९५३ में कार्यान्वित किया गया। उस पर कुल २.१३५ लाख रुपये खर्च किये गये थे। परन्तु क्योंकि उस योजना की मंजूरी के बाद वहां की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गयी है। इसलिये वहां के जल संभरण की स्थिति को सुधारने के प्रश्न पर अब फिर से विचार किया जा रहा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह सच है कि जब संभरण की स्थिति को सुधारने के लिये एक अतिरिक्त पाइप लाइन डाली गयी थी, परन्तु उसे हाल ही में हटा दिया गया है ?

†**सरदार मजीठिया** : मुझे इस के बारे में तो पता नहीं है। परन्तु कुछ समय पूर्व स्थिति में सुधार करने के लिये एक अतिरिक्त टंकी लगाई गई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उसे हटा दिया गया है ?

†**सरदार मजीठिया** : जी नहीं, वह अभी तक लगी हुई है।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान टंकी से गत वर्ष असैनिक निवासियों को ३५,००० गैलन पानी प्रतिदिन संभरित किया जाता था, परन्तु इस वर्ष इसे घटा कर २५,००० गैलन कर दिया गया है ? मैं पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष पानी की मात्रा कम क्यों कर दी गयी है ?

†**सरदार मजीठिया** : इनमें से एक संयंत्र में कुछ खराबी हो गयी थी। टंकी टूट गई थी और उसके परिणामस्वरूप जल संभरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। यह प्रतिबन्ध सैनिकों और असैनिकों दोनों पर लागू था ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि अधिक पानी देने के बारे में विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको कब तक उम्मीद है कि ज्यादा पानी मिल जायेगा ?

†**सरदार मजीठिया** : वास्तव में इस छावनी में और अधिक पानी संभरित करना वस्तुतः एक जटिल समस्या है। हमने इस बारे में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण से परामर्श मांगा है और उन्होंने उस स्थान का निरीक्षण भी किया है। वे उस स्थान का विस्तृत सर्वेक्षण १९५९ में कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले वे अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। अतः हमें जब तक उनसे विशेषज्ञ परामर्श नहीं मिलता, हम छावनी में और अधिक जल का संभरण नहीं कर सकते।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सन् १९५९-६० तक जांच पड़ताल ही जारी रहेगी, मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच में क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कम से कम अगली गरमी में वहां के निवासियों को कुछ पानी मिल सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया** : जैसा कि मैंने बताया है यह एक प्राकृतिक स्रोत है और इसके सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम अन्य उपाय सोच रहे हैं, परन्तु उसके लिये विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता है। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से तो हमें परामर्श प्राप्त हो चुका है। हम भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का भी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं; उनके परामर्श के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता।

रूरकेला में इस्पात का उत्पादन

†*८५०. **श्री सूपकार** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने में एल० डी० प्रक्रिया के अधीन एक टन इस्पात के उत्पादन पर कितना औसत खर्च आ जाता है ; और

(ख) यह खर्च भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में एक टन के उत्पादन पर आने वाले खर्च की तुलना में कैसा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभासचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). परामर्शदाताओं ने अपने अपने अग्रिम प्रतिवेदनों में उत्पादन पर आने वाले खर्चों का प्राक्कलन दिया था। सभी में पूंजीगत व्यय, कच्ची सामग्री की कीमतों और कार्यान्विति पर आने वाले खर्चों के सम्बन्ध में अलग अलग अनुमान दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में उनके उत्पादन खर्चों की ठीक ठीक तुलना करना बड़ा कठिन है। लोहा और इस्पात विभाग, हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से इन प्राक्कलनों का पुनरीक्षण कर रहा है ताकि उन्हें एक सामान्य आधार पर तैयार किया जा सके और पूंजीगत वस्तुओं और कच्ची सामग्री पर आने वाले खर्चों में होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जा सके।

जैसा कि विभिन्न अग्रिम प्रतिवेदनों में बताया गया है, एक टन पिण्डक के इस्पात के निर्माण पर निम्नलिखित खर्च आयेगा :—

रूरकेला :—ओपन हर्थ स्टील (खुली भट्टी में तैयार किया गया इस्पात)	११७ रुपये प्रति टन
एल० डी० स्टील	९८ ,,
भिलाई : ओपन हर्थ स्टील (खुली भट्टी में तैयार किया गया इस्पात)	११२ रुपये ,,
दुर्गापुर : ड्प्लैक्स स्टील (द्वेध इस्पात)	१०४ रुपये ,,

†**श्री सूपकार** : क्योंकि एल० डी० प्रक्रिया के आविष्कारकों का यह कहना है कि इस प्रक्रिया के अधीन संयंत्र की स्थापना का खर्च और उसका उत्पादन खर्च खुली भट्टी प्रक्रिया के खर्चों की तुलना में बहुत कम है, क्या सरकार भविष्य में जब इन कारखानों का विस्तार करेगी या जब अतिरिक्त संयंत्र लगायेगी, उस समय इस एल० डी० प्रक्रिया को ही अपनाने का विचार रखती है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : इस देश में पहली बार अपनाये जा रही इस एल० डी० प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्राप्त हुये अपने अनुभव के आधार पर हम लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। यदि हमें यह अनुभव हुआ कि इस प्रक्रिया से उत्पादन सस्ता पड़ता है और

---

†मूल अंग्रेजी में

पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय भी कम आता है तो हम निश्चय ही इसे अपनायेंगे ; वह प्रक्रिया देश के हित में लाभकारी सिद्ध होगी ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच है कि धनबाद की धातुविज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला ने सभी इस्पात कारखानों में एल० डी० प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का तात्पर्य जमशेदपुर की धातुविज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला से है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** जी हां । जमशेदपुर की प्रयोगशाला ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वे वहां पर प्रयोग कर रहे हैं, और उनका मत भी एल० डी० प्रक्रिया के पक्ष में ही है ।

†**श्री बासप्पा :** क्या यह एल० डी० प्रक्रिया किसी अन्य स्थान पर भी इस्पात निर्माण कार्य में अपनायी जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या संसार के अन्य देशों में ?

†**श्री बासप्पा :** जी, हां ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह प्रक्रिया संसार के बहुत से देशों में अपनायी जाती है, और यह कहा जाता है कि इस प्रक्रिया से संसार में लगभग ८० लाख से १०० लाख टन प्रति वर्ष तक इस्पात तैयार किया जाता है ।

†**श्री मुरारका :** माननीय सभासचिव ने यह बताया है कि इस एल० डी० प्रक्रिया से तैयार किये जाने वाले इस्पात पर लगभग ९८ रुपये प्रति टन खर्च आता है । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चूने का पत्थर अब सतना से, जो कि रूरकेला परियोजना से ५०० मील की दूरी पर है, आया करेगा, क्या एल० डी० प्रक्रिया से उत्पादन का खर्च बढ़ जायेगा; और यदि हां, तो कितना ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं समझता हूं कि मेरे मित्र, माननीय सभासचिव ने यह अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर दिया था कि ये प्राक्कलन तो केवल खर्च के संकेत मात्र हैं, वे वास्तविक प्राक्कलन नहीं हैं । उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक खर्च बहुत से कारणों पर निर्भर करता है । प्रत्येक प्रतिवेदन में कच्ची सामग्री की कीमतों, जल तथा विद्युत पर आने वाले खर्चों के सम्बन्ध में अनुमान दिये गये हैं । उन सभी में अनुमानित अवक्षयण व्यय भी दिये गये हैं । तो भी अवक्षयण की दरों और अवक्षयण व्यय का हिसाब लगाने के तरीकों में भी अन्तर है । किसी एक मामले में कोई एक व्यय अवक्षयण व्यय में डाला जाता है तो दूसरे मामले में वही व्यय निर्माण-व्यय के अन्तर्गत डाला जाता है । और फिर एक विभाग से दूसरे विभाग में खर्च स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में भी अन्तर है ।

कच्ची सामग्री की कीमतों के सम्बन्ध में भी कुछ एक अनुमान लगाये गये हैं, परन्तु यदि किन्हीं वैध कारणों से इस कोयले की अपनी कीमतें लगायें या किराये भाड़े के अपने दर लगायें, तो उसका निश्चय ही प्राक्कलन पर प्रभाव पड़ेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक मैं समझता हूं, श्री मुरारका का प्रश्न यह है : यह बताया गया है कि उसके उत्पादन पर ९८ रुपये प्रति टन खर्च आयेगा । क्या इस खर्च का हिसाब लगाते समय

---

†मूल अंग्रेजी में

चूने के पत्थर की उपलब्धि के स्थान को ध्यान में रखा गया था। क्या इस बात को ध्यान में रखा गया था कि चूने का पत्थर ५०० मील की दूरी से प्राप्त करना होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह हिसाब तो कारखाने के स्थान पर चूने के पत्थर की कीमत को ध्यान में रख कर लगाया गया था और भाड़े का भी मोटे तौर हिसाब लगा लिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि यदि चूने का पत्थर ५०० मील की दूरी से लाना पड़ा तो उस से खर्च पर क्या असर पड़ेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह तो स्पष्ट है कि जितनी दूरी से सामान लाया जायेगा, उतना ही खर्च बढ़ जायेगा। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि न ही केवल चूने के पत्थर के सम्बन्ध में, अपितु अन्य कच्ची सामग्रियों, जैसे कि कोयले के सम्बन्ध में भी खर्च का हिसाब लगाते समय किसी विशेष कोयला खान से उपलब्ध होने वाले कोयले की कीमत को ध्यान में रखा गया है । यदि उन्हें बदल दिया जाये तो लागत में भी फ़र्क आजायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस बात से तो कोई इनकार नहीं करता। परन्तु वास्तव में वे पूछना यह चाहते हैं कि क्योंकि चूने का पत्थर वहां पर नजदीक से नहीं मिलता, उसे ५०० मील की दूरी से वहां पर लाने में खर्च कितना बढ़ जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वास्तव में मूल प्राक्कलन में किसी विशेष स्थान से चूने के पत्थर की कीमत का हिसाब नहीं लगाया गया था। उनके ब्योरे भी तैयार नहीं किये गये थे। प्राक्कलन में तो केवल यही बताया गया है कि यदि चूने का पत्थर और अन्य कच्ची सामग्री कारखाने में ही उपलब्ध हो जाये, तो उन पर कितना खर्च आयेगा ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स से इस बारे में प्राक्कलन तैयार करने के लिये कहा गया है ? हम उन पर निर्भर क्यों नहीं करते और उसके लिये प्रतीक्षा क्यों नहीं कर लेते ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह तो केवल एक सुझाव है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** मेरा औचित्य प्रश्न है। यह स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रतिनिधि मण्डल के आने से हमें खुशी हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री इसे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं ;

विदेशी मुद्रा का आय व्ययक तैयार करना

†*८५३. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और उसके खर्च के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का विनिश्चय करने के हेतु वित्त मंत्रालय के आर्थिक-कार्य विभाग अथवा मंत्रालय के किसी अन्य अभिशाप द्वारा कोई वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक विदेशी मुद्रा संसाधन आय व्ययक तैयार किया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वित्त मंत्रालय, जो कि देश की विदेशी मुद्रा के संसाधनों का प्रबन्ध करता है, और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में, जो कि देश के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में देश की आयात नीति का निर्णय करती है, समन्वय उत्पन्न करने का क्या तरीका है ;

(ग) क्या आयात की जाने वाली वस्तुओं और उनके देशों के सम्बन्ध में प्राथमिकता का निर्णय करने के लिये केबिनेट स्तर पर, मंत्रालय स्तर पर अथवा योजना आयोग के स्तर पर कोई व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कौन कौन सदस्य हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० र० भगत)** : (क) जी, हां। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अर्धवार्षिक विदेशी मुद्रा आय व्ययक तैयार किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा को दृष्टि में रखते हुये आर्थिक कार्य विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और योजना आयोग के पारस्परिक परामर्श से ही वाणिज्यिक निर्यात की नीति निर्धारित की जाती है।

(ग) और (घ). जी, हां। योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ, पहले अधिकारियों के स्तर पर और फिर योजना आयोग के स्तर पर, अन्तर्विभागीय बैठकों में प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। अन्तिम निर्णय कैबिनेट स्तर पर किया जाता है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या विदेशी मुद्रा के आवंटन के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त निर्धारित किया गया है ताकि क्रम आवश्यक वस्तुओं को जैसे, विदेशी खिलौने, विदेशी शराब, आर्ट सिल्क, नाइलैन तथा ऐसे ही अन्य प्रकार के विलास वस्त्र, अधिक आवश्यक वस्तुओं, जैसे, दवाइयां, और औषधियां तथा औद्योगिक कच्चे सामान, के मुकाबले प्राथमिकता न मिल सके ?

†**श्री ब० र० भगत** : जी, हां।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या मैं जान सकता हूं कि वे सिद्धान्त क्या क्या हैं ?

†**श्री ब० र० भगत** : वर्तमान योजना के अधीन औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के बनाये रखने के लिये आवश्यक वस्तुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। फिर उन वस्तुओं को भी प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें खरीदने के लिये हम बाध्य हैं, हम संविधान बद्ध हैं उदाहरणार्थ; हमें बर्मा से चावल खरीदना है। फिर 'कोर' परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है। अन्य वस्तुओं को अत्याधिक निम्न प्राथमिकता दी जाती। इनके लिये सुनिश्चित सिद्धान्त है।

†**श्री राम नाथन चेट्टियार** : विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय व्ययक तैयार करते समय क्या वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों की मांगों को भी ध्यान में रखता है या कि वह वैसे ही तदर्थ आय व्ययक तैयार कर लेता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन सिद्धान्तों का चार विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्ध है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, वह तो खाद्य मंत्रालय के अधीन है, जहां तक कच्चे सामान का सम्बन्ध है, यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन है। मैं हैरान हूं कि जिस चीज को मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति समझ सकता है वह एक उद्योगपति की समझ में नहीं आ रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : विलास वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में किस आधार पर निर्णय किया जाता है ?

†**श्री ब० र० भगत** : आज कल विलास वस्तुओं का आयात नहीं किया जा रहा है। परन्तु जैसा कि मैंने बताया है, यदि इस प्रकार की वस्तुओं के लिये हमारे पास धन उपलब्ध होता है, तब हम कभी कभी उनके आयात के प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अन्यथा उनका आयात नहीं किया जाता ।

†**श्री फीरोज गांधी** : १९५७–५८ में, विदेशी मुद्रा की कठिनाई के बाद किस प्राथमिकता के अधीन बाहिर से घोड़े आयात किये गये थे। और किस प्रयोजन के लिये किये गये थे ?

†**श्री ब० र० भगत** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि कई बार हमें अपने निर्यात को बढ़ाने के लिये बाध्य हो कर बाहर से कई वस्तुओं का आयात करना पड़ता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने चार सिद्धातों का उल्लेख करते हुये यह बता दिया है कि हमें अन्य देशों से कियेहुये करारों के अधीन कुछ एक वस्तुओं का आयात करना पड़ता है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या मैं यह समझूं कि खिलौनों, नाइलौन व सिल्क और विदेशी शराब का आयात बिल्कुल बंद कर दिया गया है ?

†**श्री ब० र० भगत** : मैं उस बात का दावा नहीं करता कि इस अवधि में बाहर से इस प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं मंगाई थी। परन्तु हमारी नीति ऐसी है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने यह तो नहीं कहा है कि उनका आयात बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। उनका यह कहना है कि सभी वस्तुओं को उनके क्रम के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। जब कोई राशि उपलब्ध होती है तो वे वस्तुयें भी खरीद ली जाती हैं ?

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : उन्होंने कहा है कि जहां तक विलास सामग्री का सम्बन्ध है, उनका आयात बन्द कर दिया गया है।

†**श्री ब० र० भगत** : हम किसी भी विलास वस्तु के आयात की अनुमति नहीं देते ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : माननीय मंत्री का यह कथन है कि वे उन्होंने किसी भी प्रकार की विलास वस्तुओं के आयात की अनुमति नहीं दी है। उन्हें यह बात कहने से पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिये थी कि क्या बाहर से ऐसी वस्तुयें आ रही हैं या नहीं।

†**श्री ब० र० भगत** : अलग अलग वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पूछे जाने चाहियें। मैंने तो इस सम्बन्ध में सामान्य नीति बता दी है।

भारतीय लेखकों का प्रतिलिप्यधिकार[1]

+

†*८५६. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री भोगजी भाई :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लेखकों की रचनाओं का रूस में अनुवाद किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Copy rights.

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के अनुवाद भारतीय लेखकों से अनुमति लिये बिना ही किये जाते रहे हैं और अब भी किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय लेखकों के प्रतिलिप्यधिकार की रक्षा करने के लिये क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). जी हां।

(ग) क्योंकि रूस किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय का सदस्य नहीं है, इसलिये भारतीय रचनाओं का रूस में कोई भी प्रतिलिप्यधिकार नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में हमारी सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती। परन्तु विभिन्न लेखक व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही कर सकते हैं। वे भारत में उस पुस्तक के विक्रेता के विरुद्ध कोई भी फौजदारी अथवा दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। अथवा वे सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह उस प्रकार की पुस्तकों की प्रतियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दें। अथवा वे न्यायालय से भारत में उन पुस्तकों की बिक्री के विरुद्ध एक आदेश भी प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : भारतीय लेखकों की कितनी पुस्तकों का अभी तक रूस में अनुवाद किया जा चुका है।

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या रूस में महाभारत और कालीदास की रचनाओं के अनुवाद करने के लिये कोई राय ली है।

†**श्री हुमायून् कबिर** : जहां तक महाभारत और कालीदास की रचनाओं का सम्बन्ध है, उनके लिये रायल्टी का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

सीमा सुरक्षा सेना के लिये राशन

*८५८. **श्री पदम देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री ९ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा सेना को मुफ्त राशन देने की योजना की जांच इस बीच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरी कर ली जायेगी; और

(ग) यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी?

†**गृह-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) इस मामले में अभी इस आशय से जांच जारी है कि जहां तक हो सके सभी राज्यों की बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स का इन्तजाम एक सा हो।

(ख) इस जांच में अभी कुछ समय और लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) फिलहाल यह सवाल नहीं उठता।

†**श्री पदम देव** : उत्तर हिन्दी में भी दिये जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां।

(इसके पश्चात, उत्तर हिन्दी में भी पढ़ा गया)

श्री पदम देव : माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह स्कीम कोई चार साल से चालू है। और उनको यह भी मालूम है कि हिमाचल में, खास तौर पर तिब्बत बार्डर में पुलिस वालों को एक महीने का खर्च कम से कम ५० रुपये कनवेंयेंस का पड़ता है। उतना उनको कम्पेन्सेटरी एलाउंस भी नहीं मिलता। चार महीने केवल मार्ग खुला रहता है, बाकी बन्द रहता है और जाड़ा भी यहां पर बहुत होता है। ऐसी स्थिति में सरकार कब तक इस स्कीम को पूरा करने के बारे में सोचती रहेगी।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : उम्मीद है कि चन्द महीनों में मामला फैसला हो जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि सीमांत के बारे में जो यह पूछताछ की जा रही है यह केवल हिमाचल प्रदेश के तिब्बत सीमान्त पर ही की जा रही है या कि और जितना सीमान्त प्रदेश है उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है।

पंडित गो० ब० पन्त : बार्डर एरिया में जो पुलिस रहती है उसके बारे में विचार हो रहा है। सवाल यह है कि जिनको इस वक्त २५ रुपया महावार एलाउंस मिलता है उसके बदले में उनको वहां अनाज और दूसरी चीजें जैसी कि आर्मी में दी जाती हैं दी जायें या यही एलाउंस कायम रखा जाये।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का यह उद्देश्य था कि क्या इस तरह की कठिनाइयों के बारे में गवर्नमेंट के पास शिकायतें केवल हिमाचल प्रदेश से ही मिली हैं या उत्तर प्रदेश के तिब्बती सीमावर्ती इलाकों या और इलाकों से भी मिली हैं और क्या वहां के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

पंडित गो० ब० पन्त : यह तो जेनरली देखा जा रहा है कि जितने बार्डर एरियाज हैं, वहां एक यूनिफार्म रेट हो। इसी लिए टाइम लग रहा है।

अगरताला में पोलीटेक्नीक इंस्टीट्यूट

†*८५९. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरताला, त्रिपुरा, में भारत सरकार द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये एक पोलीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने छात्रों के लिये स्थान है : और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनमें से क्रमशः अनुसूचित आदिमजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिये कितने स्थान सुरक्षित हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) अगरताला में पोलीटेक्नीक त्रिपुरा प्रशासन द्वारा स्थापित किया जा रहा है।

(ख) आरम्भ में ६० उम्मीदवारों को प्रवेश करने का विचार है। इन्स्टीट्यूशन की पूर्णरूप से स्थापना हो जाने के पश्चात प्रतिवर्ष १२० उम्मीदवार लिये जाया करेंगे।

(ग) कुल स्थानों में से २५ प्रतिशत स्थान अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये सुरक्षित हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं है।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या सरकार का विचार इस इन्स्टीट्यूशन में उन लोगों के लिये, मैट्रिकुलेट नहीं है और बेकारों में जिनकी संख्या सबसे अधिक है, कोई जूनियर पाठ्यक्रम लागू करने का है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह प्रश्न पोलीटेक्नीक के बारे में है, अतः अनुपूरक का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : क्या निकट भविष्य में इन्स्टीट्यूशन में डिग्री पाठ्य-क्रम जारी किया जायेगा।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह पोलीटेक्नीक है। डिग्री पाठ्य-क्रम के बारे में अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

†**श्री दशरथदेव** : क्या आदिमजाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश करने का कोई उपबन्ध किया गया है ?

†**श्री हमायून् कबिर**: न केवल उपबन्ध ही किया गया है अपितु आदिमजाति के कुछ छात्र वास्तव में प्रवेश भी कर लिये गये हैं।

कानपुर के आयुध कारखाने में जांच बोर्ड

†*८६०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के आयुध कारखाने में ५० इंच वाली ५·८ टन की पिण्डकशाला की हानि का पता लगाने के लिये एक जांच बोर्ड नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) चूंकि ५ इंच वाले (५० इंच नहीं) पिण्डकशलाका जो बार मिल आफ आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर द्वारा खींचे गये थे उनका ठीक हिसाब नहीं दिखाया गया था, इस कारण उसकी जांच करने के लिये एक बोर्ड स्थापित किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां. प्रतिवेदन की जांच इस समय आयुध कारखाने के महानिदेशक द्वारा की जा रही है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : ५० टन वाले ५" के पिण्डकशलाका कितने मूल्य के थे ?

†**श्री रघुरामैया** : प्रतिवेदन अभी सरकार के पास नहीं आया है। इसकी जांच आयुध कारखाना के महानिदेशक द्वारा की जा रही है। मुझे पता चला है कि बोर्ड की यह उपपत्ति है कि कोई हानि नहीं हुई है। किसी भी दशा में अन्तर्गस्त वस्तुओं का मूल्य मोटे तौर पर ३०,०००रुपये है। मैंने अभी प्रतिवेदन देखा नहीं है, वह बाद को प्रस्तुत किया जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या संभरण महानिदेशक अथवा मंत्रालय या कोई स्थानीय पदाधिकारी इस समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया था ?

†**श्री रघु रामैया** : सर्वप्रथम इसकी जांच करने के लिये एक तथ्य-निर्धारण समिति की नियुक्ति की गई थी। वह यह निश्चय नहीं कर सकी कि वस्तुतः कुछ हानि हुई है। तत्पश्चात् एक प्रारम्भिक जांच बोर्ड भी स्थापित किया गया था। जिसका मैंने अभी उल्लेख किया यह उसी समिति का प्रतिवेदन है।

दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र गृह

+

†*८६१. { **श्री प्र० गं० देव** :
श्री वाजपेयी :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १७ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में विदेशी छात्रों के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय छात्र गृह की स्थापना करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : दिल्ली में अन्तराष्ट्रीय छात्र-गृह का भवन बनाने का काम अभी आरम्भ नहीं हुआ है किन्तु २१ अगस्त, १९५८ से दिल्ली विश्वविद्यालय के निकट के किराये के मकान में सांस्कृतिक कार्यों की भारतीय परिषद द्वारा एक अस्थायी अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-गृह आरम्भ कर दिया गया है।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या दिल्ली की विदेशी छात्र संस्था पथ-प्रदर्शन और समायोजन की समस्याओं की जानकारी की दृष्टि से इसकी शीघ्र ही स्थापना की आवश्यकता महसूस करती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह एक अलग प्रश्न है किन्तु जो विदेशी छात्र यहां आते हैं उनमें से कुछ के लिये हम प्राच्य-पाठ्यक्रम की व्यवस्था करते ह।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

†*८६४. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री पु० र० पटेल : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग, मेडीकल, तथा अन्य टेक्निकल संस्था के कितने लोग या तो पाकिस्तान चले गये हैं अथवा पिछले १० वर्षों में जिन्होंने पाकिस्तान में नौकरी कर ली है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** विश्वविद्यालय ने बताया है कि विश्वविद्यालय छोड़ देने के पश्चात छात्रों के बारे में यह पता लगाना सम्भव नहीं होता कि वे कहां जाते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि बाद में वे विश्विद्यालय के अनुशासन के अन्दर नहीं आते। केलव अप्रत्यक्ष रूप से प्राधिकारी अथवा विश्वविद्यालय के अध्यापकों छात्रों के बाद के जीवन के बारे में जान सकते हैं जो प्रमाणिक हो भी सकता है और नहीं भी।

विश्वविद्यालय के १९५६–५७ और १९५७–५८ के लिये दिये गये आंकड़ों से पता लगता है कि पिछले दो वर्षों में इंजीनियरिंग के ५ और ३ छात्र कालेज से पास होकर पाकिस्तान गये हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : इस स्टेटमेंट के देखने से जाहिर होता है कि दो बरस के अन्दर सिर्फ़ पांच और तीन स्टुडेंट्स, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कालेज से इंजीनियरिंग पास किया था, पाकिस्तान गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दस बरसों म पाकिस्तान जाने वाले स्टुडैंटस की संख्य क्या है, जिन्होंने वहां इंजीनियरिंग और साइंस का अध्ययन समाप्त किया था।

डा० का० ला० श्रीमाली : यूनिवर्सिटी से यह दर्याफ्त किया गया था, लेकिन उस के पास इस की पूरी जानकारी नहीं है। बात यह है कि जब तक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तब तक तो उन के बारे में यूनिवर्सिटी में पूरी जानकारी होती है लेकिन जब विद्यार्थी बाहर चले जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी को उन की जानकारी नहीं रहती।

श्री रघुनाथ सिंह : जिन लोगों को वहां अध्ययन के लिए स्कालरशिप दिए गए थे, उन में से कितने लोग हिन्दुस्तान में ह और कितने लोग हिन्दुस्तान से बाहर चले गए हैं?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस की मुझे अलग इत्तिला चाहिए। तब मैं पूरी जांच करके बाद में हाउस को इनफ़र्मेशन दे सकता हूँ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि जो लोग सरकार से स्कालरशिप पा कर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग या और विषयों में अध्ययन कर के परीक्षा पास करते है, वे हिन्दुस्तान में ही रहें।

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, यह तो साफ जाहिर है कि जिन विद्यार्थियों को हम यहां पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं, जिन पर हम खर्च करना चाहते हैं, वे यहां ही रहें। यह एक स्वाभाविक बात है, लेकिन कुछ लोग बाहर जाते हैं––खाली पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि और देशों में भी बाहर जाते हैं और वहां बस जाते हैं। उस का क्या किया जाय?

सेठ गोविन्द दास : मंत्री जी ने अभी यह कहा कि इन दस बरसों में कितने विद्यार्थी पाकिस्तान गए हैं, इस की कोई पालिका विश्वविद्यालय में नहीं है, परन्तु जो लोग यहां से बाहर चले जाते हैं उन की तालिका किसी न किसी सरकारी विभाग में––विशेषकर गृह मंत्रालय में––रहती है। क्या उस के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि इस प्रकार के कितने विद्यार्थी इन दस बर्षों में भारतवर्ष से पाकिस्तान गए हैं?

डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार के पास इस तरह की कोई इत्तिला नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** उनके पास विस्तृत ब्योरा नहीं है।

†**श्री नाथ पाई :** माननीय मंत्री के पास ब्योरा होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें इसके बारे में अलग प्रश्न पूछना चाहिये कि छात्रों को कितने पारपत्र दिये गये हैं, और वे छात्र वही होंगे जो पाकिस्तान जाते हैं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** क्या यह सच नहीं कि स्वतन्त्रता में भाग लेने वाले हमारे बहुत से कार्यकर्त्ताओं को इंग्लैण्ड में शिक्षा मिली थी ? इस कारण यदि वे पाकिस्तान जाते हैं तो वे पकिस्तान और भारत में मैत्री स्थापित करेंगे इसमें हानि ही क्या है ?

दिल्ली में विस्फोट

\+

†*८६५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वाजपेयी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले तीन महीनों में विस्फोटों (भयंकर पटाख और बमों) की घटनायें हुई हैं ;

(ख) क्या नये और पुराने विस्फोटों में कोई संबंध है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) पूरी जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]**

(ख) चूंकि दो मामलों की अभी जांच की जा रही है, अतः इस प्रक्रम पर निश्चित रूप से कुछ कह सकना सम्भव नहीं है।

(ग) जैसाकि १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, पुलिस में एक विशेष दस्ता संगठित किया गया है और विस्फोटक पदार्थों के कब्जे पर रोक लगाने के लिये प्रभावपूर्ण कार्यवाही की जा रही है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि इतनी सावधानी रखने के बावजूद भी दिल्ली में विस्फोट हो रहे हैं, इन विस्फोटों को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री दातार :** जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ एक विशेष दस्ते की नियुक्ति की गई है जो कार्य कर रहा है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या इन विस्फोटों से किसी विदेशी का सम्बन्ध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** मुझे इसकी जानकारी नहीं है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इन विस्फोटों को रोकने के लिये पुलिस का जो विशेष दस्ता रखा गया है उसमें कितने लोग हैं ?

†**श्री दातार :** इस समय मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री तंगामणि :** विवरण से पता लगता है कि तीन विस्फोट हुये थे—एक जून में और दो जुलाई में और २५ जन के विस्फोट की जांच अभी की जा रही है। क्या उन्हें विस्फोटों के बारे में कोई नवीनतम जानकारी है, और यदि है, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री दातार :** जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुल तीन घटनायें हुई थीं। दो के बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है। एक मामला न्यायालय के सम्मुख है।

†**श्री तंगामणि :** किन्तु बात यह है कि एक मामले की अभी जांच की जा रही है। विवरण से पता चलता है कि विस्फोट की तीन घटनायें हुई हैं। पहला विस्फोट २५ जून को हुआ, जिसकी अभी भी जांच-पड़ताल जारी है। क्या जांच-पड़ताल कुछ आगे बढ़ी है और कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं।

†**श्री दातार :** प्रश्न तीन महीनों के बारे में है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि और आगे जानकारी मांगी गई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यूनेस्को द्वारा नियोजन

†*८४०. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को में काम पर रखे गये भारतीय राष्ट्रजनों की प्रतिशत संख्या काफी कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) यह मसला यूनेस्को से उठाया गया है।

विस्फोट-सह मोटरों[1] की कस्टम से निकासी में देर

†*८४९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९५८ से पहले वैध लाइसेंसों के अधीन आयात की गई विस्फोट-सह मोटरों को कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Explosion Proof Motors

(ख) क्या इन मोटरों को छोड़ देने के लिये सरकार से कोई अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम हुये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० र० भगत)** : (क) जी नहीं। भेजा हुआ मोटरों का कुछ माल बम्बई और मद्रास में रोक लिया गया था क्योंकि यह ख्याल था कि इनका आयात जिन लाइसेंसों के मातहत किया गया है वह अवैध थे।

(ख) कुछ आयात करने वालों ने अभ्यावेदन किये थे।

(ग) आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के परामर्श से इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया और बम्बई तथा मद्रास के कस्टम अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दे दी गई थीं। इन हिदायतों के आधार पर बम्बई में रोके गये ९५ लदानों में से ९१ के बारे में न्याय-निर्णयन की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। मद्रास के मामलों में भी, जिनकी संख्या २४ है, शीघ्र अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है।

नेपाली प्रतिरक्षा शिष्टमंडल का दौरा

†*८५१. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री वाजपेयी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल के प्रधान सेनापति की अध्यक्षता में नेपाल के जिस प्रतिरक्षा शिष्टमण्डल ने हाल में भारत का दौरा किया था वह यहां कितने दिन रहा ; और

(ख) वह किन-किन स्थानों पर गया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) १३ से २४ मई, १९५८ तक--१२ दिन।

(ख) दिल्ली, अम्बाला, भाखड़ा-नंगल और देहरादून।

भारतीय नृत्यों की उड़ीसी तथा अन्य शैलियां

†*८५२. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नृत्यों की उड़ीसी तथा अन्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से इनका अध्ययन करने और मान्यता की शर्तें प्रदान करने के लिये संगीत नाटक अकादमी ने कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ; और

(ख) क्या इस विशेषज्ञ समिति ने (१) भारत नाट्यम, (२) कथकली, (३) मनीपुरी और (४) कत्थक नृत्यों की शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता की वैधता की भी जांच की है या करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । जिन चार शास्त्रीय नृत्य शैलियों को मान्यता दी जा चुकी है उनसे इस विशेषज्ञ समिति का कोई सम्बन्ध नहीं होगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†*८५४. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री अरविन्द घोषाल

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पश्चिमी बंगाल के सम्बद्ध कालेजों को अब तक वास्तव में कितनी राशि आवंटित की और दी है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा चुकी राशियों का उपयोग करने में इन कालेजों को होने वाली प्रविधिक व अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या आयोग द्वारा मंजूर की गई लेकिन इस प्रकार की कठिनाइयों के कारण कालेजों द्वारा वित्तीय वर्ष के भीतर न ली गयी राशियां पुनः आयोग को व्यपगत हो जायेंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को इस प्रयोजन के लिये ४,४३,००० रुपये दिये हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अत्यावश्यक सेवाओं में हड़तालें

†*८५५. **श्री बोडयार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने सभा को यह आश्वासन दिया था कि अत्यावश्यक सेवाओं में समय समय पर होने वाली हड़तालों को रोकने के लिये विधान बनाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब किया जायेगा ; और

(ग) गोदी-श्रमिकों की हाल की हड़ताल को अवैध घोषित कर रोका क्यों नहीं गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) इस प्रकार की हड़तालें समुदाय के सामान्य जीवन को अस्तव्यस्त कर देती हैं और उनसे बचना चाहिये लेकिन मुझे याद नहीं कि कभी मैंने ऐसा आश्वासन दिया था ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी मार्ग प्रदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो[1]

†*८५७. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा एवं व्यवसाय सम्बन्धी मार्ग प्रदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण के लिये एक प्रशिक्षण कोर्स संगठित कर रहा है ;

(ख) प्रशिक्षण के मुख्य विषय क्या होंगे ; और

(ग) अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). शिक्षा एवं व्यवसाय सम्बन्धी मार्ग प्रदर्शन के केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण के लिये संगठित शिक्षा एवं व्यवसाय सम्बन्धी मार्ग-प्रदर्शन का एक सत्रीय स्नातकोत्तर कोर्स १४ जुलाई, १९५८ को आरम्भ हुआ ।

इस कोर्स में यह विषय शामिल हैं :

(१) विकास मनोविज्ञान ;

(२) शिक्षा और मनोविज्ञान में मापन और मूल्यांकन ;

(३) भारत की शिक्षा प्रणालियों समेत पाठ्यक्रम विकास तथा संगठन ;

(४) मार्ग दर्शन और परामर्शदात्री मनोविज्ञान के सिद्धान्त और प्रक्रिया ; और

(५) व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें कार्य-विश्लेषण, व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों की युवक नियोजन सेवा ।

इस कोर्स में विभिन्न विषयों की व्यावहारिक शिक्षा का भी उपबन्ध है ।

सांची स्तूप

†*८६२. **श्री शिवनंजप्पा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने सांची के बौद्ध स्तूप के पुनरोद्धार का कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) मरम्मत की लागत कितनी कूती गई है ; और

(ग) यह काम कब पूरा होगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) पुनरोद्धार का तो कोई कार्य नहीं आरम्भ किया गया है लेकिन पतली भराई के काम के रूप स्तूप को सुदृढ़ बनाने के लिये कार्य किया जा रहा है ।

(ख) १९५८–५९ में ३६,३०० रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक काम पूरा कर लेने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Bureau of Educational and Vocational Guidance

तेल छिद्रण स्कूल

†*८६३. **श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार युवकों को तेल-छिद्रण कार्य में प्रशिक्षित करने के लिये कोई स्कूल खोलने या स्थापित करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). ज्वालामुखी में छिद्रण कर्मचारियों के लिये एक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना करने का प्रस्ताव है ।

रानीगंज कोयला खान के लिये बालू की थाक लगाने की योजना

†*८६६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीगंज क्षेत्र में स्थित कोयला खानों में थाक लगाने और बालू के संभरण के लिये केन्द्रीय योजनायें तैयार करने के लिये कोयला बोर्ड ने जो समिति नियुक्त की थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों के आधार पर कोई कार्यवाही आरम्भ की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां । समिति ने अपना प्रतिवेदन मई, १९५८ में कोयला बोर्ड को दे दिया था ।

(ख) यह प्रतिवेदन और साथ ही झरिया की कोयला खानों के बारे में गठित इसी प्रकार की समिति का प्रतिवेदन भी कोयला बोर्ड के विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

†*८६७. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने १९५७–५८ के लिये अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** (क) जी हां ।

(ख) जी हां । छपी हुई प्रतियां उपलब्ध होते ही ।

अखिल भारतीय पैट्रोल व्यवसायी संघ

†*८६८. **श्री वारियर**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अखिल भारतीय पैट्रोल व्यवसायी संघ से विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा उन पर लादे गये सस्त एकतरफ़ा करारों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत में काम करने वाली तेल कम्पनियां प्रमुख की हैसियत से अपने विक्रेताओं के साथ जो वाणिज्यिक करार करती हैं उनके प्रत्येक ब्योरे की बारीकी से छानबीन करना सरकार के लिये संभव नहीं है । लेकिन सरकार उनमें मोटे तौर पर सुधार कराने के लिये अपनी सद्भावना का उपयोग कर सकती है और उसने ऐसा किया भी है । उदाहरण के लिये, मेसर्स बर्मा शैल अब अपने बिक्रेताओं के साथ हुये करार के बदले में एक पुनरीक्षित प्रकार का करार ला रहे हैं जिसमें पंच निर्णयन का और नौकरी समाप्त करने के लिये उभय पक्षों की ओर से तीन महीने के नोटिस का उपबन्ध रखा गया है ।

माल्दा के भूमि सीमा शुल्क-कार्यालय में डकैती

†*८६९ **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९५८ के पहले हफ्ते में माल्दा के भूमि सीमा-शुल्क कार्यालय में सशस्त्र डाका पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो कितना रुपया चुराया गया ; और

(ग) क्या उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां । यह सच है कि १–८–५८ को रात को ८ बजे रायगंज के सीमा-शुल्क सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में, जिनका प्रधान कार्यालय माल्दा में है, सशस्त्र डाका पड़ा था ।

(ख) ९४७९ रुपये ८८ नये पैसे की सरकारी नकदी चोरी चली गई ।

(ग) उपद्रवियों में से अभी एक भी नहीं पकड़ा गया है । पुलिस ने भूमि सीम -शुल्क सर्किल के दो सिपाहियों और हाल ही में नौकरी से अलग किये गये एक भूतपूर्व सिपाही को संदेह में गिरफ्तार किया है ।

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा पाकिस्तानी रुपयों की खरीद व बिक्री

†*८७०. { **श्रीमती इलापाल चौधरी** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि भारत के रिजर्व बैंक ने पाकिस्तानी रुपये न खरीदने और बेचने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) व्यापारियों और भारत तथा पाकिस्तान के बीच होने वाले अन्य अदृष्य भुगतान के लिये इसके बदले में क्या अन्य प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** :(क) जी हां।

(ख) भारत का रिजर्व बैंक साधारणतया स्टर्लिंग को छोड़ कर अन्य और कोई भी मुद्रा खरीदने और बेचने का कार्य नहीं करता लेकिन फरवरी १९५१ में पाकिस्तान के साथ हुये व्यापार करार के बाद विशेष प्रबन्ध किया गया था ताकि वित्तीय लेन देन में, जो भारतीय रुपये के अवमूल्यन और पाकिस्तानी रुपय का अवमूल्यन न किये जाने के फलस्वरूप १९ सितम्बर, १९४९ से ठप हो गया था, सुविधा हो सके। इस करार के अधीन यह व्यवस्था की गई कि दोनों केन्द्रीय बैंकों के खातों में शेष फालतू राशि को स्टर्लिंग में परिवर्तित किया जा सकेगा, बजाय उन अधिकृत व्यापारियों की अलग अलग अवशिष्ट राशियों के जिन्हें भारत के या पाकिस्तान के रुपयों में पाकिस्तान से व्यापार करना था। इस प्रकार भारत के रिजर्व बैंक को अधिकृत व्यापारियों से पाकिस्तानी रुपये खरीदने-बचने पड़ते थे। अब पाकिस्तान से यह समझौता हो जाने के कारण कि पाकिस्तान से होने वाले सभी वित्तीय लेन देन का निबटारा स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देशों, जैसे बर्मा, श्रीलंका आदि, के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले तरीके से और स्टर्लिंग क्षेत्र की किसी भी मुद्रा में किया जा सकता है, इसलिये अब वह विशेष परिस्थिति नहीं रही है जिसमें भारत के रिजर्व बैंक को पाकिस्तानी रुपयों की खरीदो-फरोख्त करनी पड़े।

(ग) पाकिस्तान के साथ व्यापारिक और अन्य प्रकार की लेन-देन अब भारतीय रुपयों, पाकिस्तानी रुपयों, स्तर्लिंग या स्टर्लिंग क्षेत्र की किसी भी अन्य मुद्रा के रूप में की जा सकती है।

बन्दियों के लिये मजूरी कमाने की योजना

†*८७१. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की जेल में १९५६ में बन्दियों के लिये मजूरी कमाने की योजना लागू होने के बाद से उससे कितने बन्दियों ने लाभ उठाया है ;

(ख) योजना लागू होने के बाद से प्रत्येक वर्ष में बन्दियों में कुल कितनी राशि वितरित की गयी है ; और

(ग) इस योजना के अधीन कितने बन्दियों ने मजूरी नहीं ली है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य--मंत्री (श्री दातार)**: (क) एक ने भी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली निर्वाचक गण[1] (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९५८

*†८७२. **श्री तंगामणि :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विर्वाचक-गण के निर्वाचन हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किस प्रकिया का पालन किया गया ;

(ग) नयी दिल्ली में वह निर्वाचन हो जाने के बाद दिल्ली निर्वाचक-गण (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९५८ को सभा-पटल पर रखने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Electoral College

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली नगर पालिका निगम में निर्वाचन की प्रक्रिया दिल्ली नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५७ में, और उसके अधीन बनाये गये नियमों में निर्धारित है ; और छावनी और नयी दिल्ली के क्षेत्रों से १० सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दिल्ली निर्वाचक गण (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९५८ में निर्धारित हैं।

(ग) २ मई, १९५८ को लोक सभा में उपस्थापित अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की कण्डिका ६१ के अनुसार जो संविहित नियम तथा आदेश सभा के समक्ष रखे जाने चाहिये उन्हें सभा का सत्र होते समय गजट में प्रकाशित होने के बाद १५ दिन की अवधि के भीतर सभा के समक्ष रख दिया जाना चाहिये ; और यदि सभा का सत्र न हो रहा हो तो आगामी सत्र के आरम्भ के १५ दिन के भीतर सभा के समक्ष रख दिया जाना चाहिये। दिल्ली निर्वाचक गण (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९५८ गजट में ११ जुलाई, १९५८ को प्रकाशित हुए थे जब सभा का सत्र नहीं हो रहा था। यह नियम अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा निर्दिष्ट अवधि में काफी समय रहते पटल पर रख दिये गये थे।

मद्रास राज्य में मिला तेल

†*८७३. **श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :**
श्री नारायण स्वामी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में चिदम्बरम् के निकट वल्लम्पदुगै में एक नल कूप में से गैस और तरल पदार्थ निकल रहा है ;

(ख) क्या इस तरल पदार्थ को शीघ्र जल उठने वाला पाया गया है ; और

(ग) क्या भारत सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने वाली है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग): जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औषधि नियंत्रण तथा सीमा-शुल्क प्रयोगशाला संबंधी समिति

†*८७४. **श्री श्रीनारायण दास :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री २५ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि नियंत्रण तथा सीमा शुल्क प्रयोगशाला सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशों पर विचार को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख) प्रतिवेदन अब भी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्यिक शिक्षा का पुनर्गठन

†*८७५. **श्री सुबोध हंसदा:** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वाणिज्य सम्बन्धी प्रविधिक अध्ययन के अखिल भारतीय बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वाणिज्यिक शिक्षा के पुनर्गठन की जांच करने के लिये अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड, अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त समिति गठित की गयी है ; और

(ख) संयुक्त समिति में कौन कौन सदस्य नियुक्त किये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख)। लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध सख्या ३]**

प्रविधिक संस्थाओं के अध्यापक

†*८७६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ९ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक संस्थाओं के अध्यापकों की कमी का सामना करने की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं ;

इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी के होशियार युवक स्नातकों और डिप्लोमा धारियों को चुन लिया जाता है और इन्हें कुछ चुनी हुई प्रविधिक संस्थाओं में अध्यापकों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेज दिया जाता है। संबंधित संस्थाओं में इन अभ्यार्थियों को प्रोफ़ेसरों और वरिष्ठ अध्यापकों के साथ अधीनस्थ शिक्षार्थियों के रूप में लगा दिया जाता है और उन्हें अध्यापन कार्य के विभिन्न पहलुओं, जैसे पाठ्य क्रम तैयार करने, लेक्चर देने, प्रयोगशाला में हिदायत देने, ट्यूटोरियल क्लास चलाने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां काम का ढंग आम तौर पर वही होता है जो प्रैक्टिस स्कूल का होता है और सुविधाओं का प्रबन्ध संबंधित संस्थाओं को करना होता है। धीरे धीरे इन अभ्यार्थियों को प्रोफेसरों और वरिष्ठ अध्यापकों की देख रेख में अध्यापन कार्य भी सौंपा जाता है।

प्रशिक्षण काल दो से तीन वर्ष तक का होता है और इस की अवधि अभ्यार्थियो के पिछले अनुभव और योग्यताओं पर निर्भर होती है। इस अवधि में, स्नातक प्रशक्षणार्थी एक चुने हुए क्षेत्र में स्नातकोत्तर कोर्स पढ़ते हैं या ऐसा गवेषणा कार्य करते हैं जो उन्हें बाद में चल कर अध्यापन कार्य के योग्य बना दे। डिप्लोमाधारी आवश्यक व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिये एक निर्धारित अवधि किसी उद्योग में बितायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्येक अभ्यार्थी को प्रशिक्षण पूरा करने पर किसी प्रविधिक संस्था में अध्यापक का स्थान देने का आश्वासन रहेगा। उसे अध्यापक के रूप में कार्य करने का वचन भी देना पड़ता है।

प्रशिक्षण-काल में स्नातकों को ३५०–२५–४०० रुपये और डिप्माधारियों को २००–२०–२४० रुपये की अधिछात्रवृत्ति दी जाती है।

योजना के प्रथम वर्ष में ७५ स्नातकों और ५० डिप्लोमाधारियों को इस प्रशिक्षण के लिये चुनने का विचार है। बाद के वर्षों में इस संख्या को क्रमशः बढ़ाया जायेगा।

जिले के प्रशासन का पुनरीक्षण

†*८७७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकतंत्रात्मक बनाने के उद्देश्य से जिले के प्रशासन के लिये किसी एक से नमूने को अंतिम रूप प्रदान किया गया है ;

(ख) यदि राज्य सरकारों ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की हो तो वह क्या है; और

(ग) क्या क्षेत्रीय परिषदों में इस मसले पर चर्चा हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत)** : (ग) और (ख): यह मसला ऐसा है जो राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है।

(ग) जी नहीं।

दिल्ली में बच्चों का अपहरण

†*८७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में (३१ अगस्त, १९५८ तक) दिल्ली में कितने बच्चों का अपहरण हुआ; और

(ख) इन में से अब तक कितनों को ढूंढ़ निकाला गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). पुलिस में ९० नाबालिग बच्चों के अपहरण की शिकायतें दर्ज की गयीं थीं, जिनमें से ७९ का पता लग गया है। ३५ नाबालिग बच्चों से संबंधित ३४ रिपोर्ट रद् कर दी गयी हैं क्यों कि पता चला कि वे निस्सार थीं : २१ मामलों की जांच अभी जारी है।

दुर्गापुर के इस्पात कारखाने में गैर-दशमिक प्रणाली का प्रयोग

†*८७९. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरकेला और भिलाई की तरह दुर्गापुर के इस्पात कारखाने में मापों की दशमिक प्रणाली क्यों नहीं अपनायी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के निर्माण की ड्रांइंगें मापों की फुट-पौंड-सेकंड यूनिटों में हैं। लेकिन तीनों इस्पात कारखानों में उत्पादन, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, नये भारतीय दशमिक मानों के अनुसार होगा।

दुर्गापुर में निर्माण कार्य ब्रिटिश फर्मों के एक कंसर्टियम के सुपुर्द है। वह क्यों कि प्रारम्भिक रूप से फुट-पौंड-सेकेंड प्रणाली से कार्य कर रहे थे इस लिये भय था कि यदि डिजायन और काम के ड्रांइंग दशमिक यूनिटों में प्रगट करने की जिद की गयी तो कहीं कारखाने के निर्माण में देर न हो जाय। साथ ही निर्माण के दौरान में केवल माप की दशमिक प्रणाली का प्रयोग करने में भी विशेष कुछ लाभ नहीं था।

नेपाल को सहायता

*८८०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री निम्न जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने को कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने नेपाल की सरकार को कितनी सहायता दी; और

(ख) सहायता की रक़म किन-किन कामों पर खर्च की गई ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष के खाते अभी बन्द नहीं हुए हैं। १९५७-५८ में दी गयी सहायता पर लगभग ८५,००,००० रुपये खर्च हुए।

(ख) सिंचाई और जल पूर्ति की छोटी छोटी योजनायें

भू-सर्वेक्षण, सड़कों का निर्माण और रखरखाव

हवाई त्रिकोणमापन सर्वेक्षण और नक्शे तैयार करना

हवाई अड्डे का सुधार त्रिशूली पनबिजली प्रयोजना के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और प्रारम्भिक जांच-पड़ताल रक्सौल से अमलेख गंज तक नैरो गेज (संकरी लाइन) रेलवे को मीटर गेज (छोटी लाइन) में बदलने और उसे हितौरा तक बढ़ाने के लिये इंजीनियरी और यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण

भू-गर्भ-सर्वेक्षण

ग्राम विकास

इंजीनियरी, शिक्षा, डाक और तार, विधि और संसद सम्बन्धी विषयों, वित्त और लेखापालन आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएं

नेपाल सरकार द्वारा नामजद व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण-स्थानों की व्यवस्था।

स्वयंसेवी संगठन

†*८८१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस योजना के अधीन किस प्रकार और क्षेत्र के संगठन को वित्तीय सहायता दी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय की यह योजना है कि स्वयंसेवी शिक्षा संगठनों को अपनी मौजूदा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और विकसित करने तथा नयी सेवायें चलाने के लिये, जिस के लिये स्पष्ट आवश्यकता है, वित्तीय सहायता दी जाय। इस योजना का ब्यौरा मंत्रालय के "द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन स्वयंसेवी शिक्षा संगठनों को सहायता" शीर्षक (अंग्रेजी) पैम्फलेट में दी हुई हैं जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विकलांगों के लिये काम दिलाऊ संगठन

† ८८२. **श्री वाजपेयी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विकलांगों के लिये एक काम दिलाऊ संगठन की स्थापना के प्रस्ताव पर कुछ अन्तिम निर्णय हो गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी नहीं।

विश्वविद्यालयों में गांधी भवन

†*८८३. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में गांधी भवनों की स्थापना करने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका श्रीगणेश कब होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना पर विश्वविद्यालयों से चर्चा की जा रही है।

डोगरी लोक गीत तथा रंगचित्र[1]

†*८८४. **श्री हेमराज** :क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कांगड़ा तथा कुल्लू घाटी के लोक गीतों और रंगचित्रों का संकलन करने, उन्हें बनाए रखने तथा उन्हें लोक प्रिय बनाने के लिये कोई प्रयत्न किए हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (१) सरकार ने नयी दिल्ली की नेशनल गेलरी आफ माडर्न आर्ट, तथा राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये लगभग ३००० पहाड़ी चित्रों और रंगचित्रों को प्राप्त कर लिया है और ललित कला अकादमी ने पहाड़ी रंगचित्रों पर आधारित "कृष्णा लीजेंड" शीर्षक का एक चित्रसंग्रह प्रकाशित किया है।

(२) संगीत नाटक अकादमी ने डोगरी लोक गीतों का भी कुछ संग्रह किया है।

(३) ये संस्थायें पहाड़ी लोक गीतों तथा रंगचित्रों को सुरक्षित बनाए हैं तथा अपने प्रकाशन कार्यक्रमों और/अथवा प्रदर्शन द्वारा उन्हें जनप्रिय बना रही हैं।

ट्रैक्टर

*८८५. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच ,है कि देश में ट्रैक्टर बनाने की योजना प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही कार्यान्वित की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Painting.

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) प्रतिरक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिये ट्रैक्टर बनाने का विचार है लेकिन योजना को अभी अन्तिमरूप नहीं दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

†*८८६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिक संस्थाओं में कृषि इंजीनियरिंग के अवर स्नातक[1] पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने की कोई योजना है ; और

(ख) इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिये शिक्षा का कम से कम कितना स्तर होना चाहिये ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) : (१) कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रायः कृषि इंजीनियरिंग एक विषय रहता है।

(२) भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, खड़गपुर तथा कृषि संस्था, इलाहाबाद में कृषि इंजीनिरिंग की स्नातक उपाधि का पाठ्क्रम अलग से रखा गया है। खड़गपुर की संस्था में प्रवेश के लिये (भौतिक-शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित सहित) विज्ञान में इंटरमीजिएट तक की योग्यता होना आवश्यक है और इलाहाबाद संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये कृषि में इंटरमीजिएट या उसके समकक्ष योग्यता होना जरूरी है।

खड़गपुर संस्था में कृषि इंजीनियरिंग की एम० ए० की उपाधि के लिये स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है विशेष अध्ययन के लिये —

(१) भू तथा पानी संरक्षण (२) कृषि की शक्ति चालित मशीनरी—विषय रखे गये हैं।

(३) कृषि इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण की सुविधाओं को और बढ़ाने का प्रश्न अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय सेवा छात्र दल

†*८८७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् १९५८-५९ में राष्ट्रीय सेना छात्र दल के प्रशिक्षण और विस्तार की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४]**। राष्ट्रीय सेना छात्र दल के विस्तार के सम्बन्ध में योजना आयोग की सहमति से यह तय किया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में हर साल ३०,०००

---

†**मल अंग्रेजी में**

[1]Under Graduote.

सेना छात्र बढ़ाये जायें। वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य सरकारें इस गति से विस्तार करने के लिये आवश्यक खर्च का अपना हिस्सा देने में असमर्थ हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में विस्तार वास्तविक रूप से प्रति वर्ष २०,००० छात्र की दर से हुआ है। छात्र सेना एककों के लिये राज्य सरकारों की पूरी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं।

संघ राज्य-क्षेत्रों में बिक्री कर

†*८८८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां बिक्री कर नहीं लगाया गया ; और

(ख) कर-अपवंचन के लिये इन क्षेत्रों को काम में नहीं लाया जाएगा यह विनिश्चित करने के लिये क्या सावधानी बरती गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) आजकल हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समुदाय, तथा लक्कद्वीव, मिनीकाय और अमीनीदीव द्वीप समुदायों के संघ राज्य क्षेत्रों में बिक्री कर लागू नहीं है।

(ख) अब हिमाचल प्रदेश में पूर्वी पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, १९४८ लागू कर दिया गया है और १ अक्टूबर, १९५८ से इस संघ राज्य क्षेत्र में विशेष प्रकार के १५ सामानों पर बिक्री कर लगाया जाएगा। जहां तक त्रिपुरा का प्रश्न है, उसकी भौगौलिक स्थिति की विचित्रता को देखते हुए इस संघ राज्य-क्षेत्र में बिक्री कर अपवंचन की कोई समस्या नहीं है। यह बात अंडमान और निकोबार द्वीप समुदाय तथा लंक्कद्वीव, मिनीकाय, तथा अमीनीद्वीव द्वीप समुदायों पर लागू होती है जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं।

पूर्वी तथा पाश्चात्य सांस्कृतिक महत्व के पारस्परिक मूल्यांकन के संबंध में यूनेस्को की प्रमुख परियोजना[1]

†*८८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तथा पाश्चात्य सांस्कृतिक महत्वों के पारस्परिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में यूनेस्को की प्रमुख परियोजना की सलाहकार समिति की बैठक में क्या निर्णय हुए हैं ; और

(ख) उस बैठक में किए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) पूर्वी तथा पाश्चात्य सांस्कृतिक महत्वों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में यूनेस्को की प्रमुख योजना की सलाहकार समिति ने १२ से २७ फरवरी, १९५८ तक चलने वाली अपनी पेरिस की बैठक में यूनेस्को सचिवालय द्वारा १९५९-६० के लिये बनाये गए प्रमुख परियोजना की प्रारूप-योजना को मंजूर कर दिया है। और उसने प्रमुख परियोजना के अंतर्गत आने वाली मूल विचार धाराओं के सम्बन्ध में भी सिफारिशें करते हुए उन्हें अपनाये जाने के तरीकों और साधनों की भी चर्चा की है।

(ख) सलाहकार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी अधिकांशतः यूनेस्को पर ही है। इस मामले में भारत सरकार के लिये जो कार्यवाही करना जरूरी है उस पर जब यूनेस्को से विशेष प्रस्ताव प्राप्त हो जायेंगे तब भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] UNESCO'S Major Project on the Mutual Appreciation of Eastern and Western Cultural Values.

कर अपवंचन

†*८९०. **श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई कर प्रणाली का आय-कर, अधि-कर आदि अपवंचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका सरकार ने कोई निर्धारण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी निष्पत्तियां क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जिला गजेटियर

†*८९१. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री हेम राज :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जिला गजेटियरों के पुनरीक्षण के लिये राज्यों के सम्पादकों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के मुख्य निर्णय और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन में से किन को स्वीकार कर लिया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, हां। ६ और ७ जून १९५८ को हुआ था ।

(ख) उसमें निम्नलिखित मुख्य निर्णय हुए थे :—

(१) केन्द्रीय एकक द्वारा जिला गजेटियरों के लिये बनाये गये प्रारूप को कुछ सुधारों सहित स्वीकार करना । (२) जिला गजेटियरों के प्रकाशनों के नमूनों में एकरूपता लाने के लिये शीर्षक, मुद्रण, फार्म आदि बातों से संबंधित प्रश्नों पर समझौता हो गया था ।

उसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

(१) जिला गजेटियरों के मुद्रण के लिये अच्छा कागज प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण यह सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार को कागज दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

(२) राज्यों के सम्पादकों ने यह विचार व्यक्त किया कि जिला गजेटियरों को तैयार करने के लिये केन्द्र द्वारा २० लाख रुपयों का आवंटन पर्याप्त नहीं है और यह आवश्यक है कि इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार को अधिक रुपया देना चाहिये । उस में यह भी कहा गया है कि राज्यों में प्रति जिले के हिसाब से या तो ६,२११ रुपये या वास्तविक खर्च का ४० प्रतिशत, इन दोनों में से जो भी कम हो, देने की वर्तमान प्रणाली उचित नहीं है और इस बात पर जोर दिया गया है कि बराबर के वितरण के लिये एक योजना बनाई जाये ।

(३) राज्य सम्पादकों की वर्ष में कम से कम एक बार विभिन्न केन्द्रों में बैठक होनी चाहिये जिस से सामान्य समस्याओं पर चर्चा हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जिला गजेटियरों से संबंधित प्रारूपों तथा अन्य प्रविधिक मामलों के संबंध में सम्मेलन में जो निर्णय हुए थे, वे भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं। सम्मेलन की दूसरी सिफारिशें राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

दैवी विपत्तियों के लिये निधि

†*८९२. **श्री हेम राज :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री पाणिग्रही :

क्या **वित्त** मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैवी विपत्तियों के लिये निधियां बनाने के लिये शेष राज्यों से अपेक्षित जानकारी अब तक प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में शीघ्रता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) अब तक आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बम्बई, मैसूर और उड़ीसा की राज्य सरकारें दैवी विपत्तियों के लिये निधि बनाने को तैयार हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा जम्मू और काश्मीर की राज्य सरकारों ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय सूचित नहीं किया ।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों से शीघ्र निर्णय करने के लिये कहा गया है। सभी राज्य सरकारों को यह सूचित कर दिया गया है कि दैवी विपत्तियों के लिये केन्द्रीय सहायता का हिसाब उस खर्च पर लगाया जायेगा जो कि उस खर्च से अधिक होगी जिसके बारे में प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष के लिये अलग से रकम रखने के लिये सलाह दी जा चुकी है।

अध्ययन का राष्ट्रीय सम्मेलन

†*८९३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में होने वाले अध्ययन के राष्ट्रीय सम्मेलन में जो सिफारिशें की गई थी उनका किस हद तक पालन किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अध्ययन के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालय अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में अपनायेंगे।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है उसने दिल्ली में अध्ययन परियोजना जारी रखने तथा उसका विस्तार करने के लिये पहिले ही अनुदान दे दिया है और राज्य सरकारों को इसी प्रकार की परियोजनायें चालू करने के लिये अनुदान देना स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय सरकार की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिये अध्ययन संबंधी एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करेगी और यह सम्मेलन इस बात की सिफारिश करेगा कि देश में अध्ययन आंदोलन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जाये। केन्द्रीय सरकार से संबंधित अन्य सिफारिशों को अपनाने के बारे में विचार हो रहा है।

जहां तक राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों का संबंध है, उनके बारे में अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस सीमा तक संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगे क्योंकि उन्हें रिपोर्ट पर विचार करने के लिये कुछ समय चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†१३८७. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८–५९ में अब तक देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितना अनुदान दिया जा चुका है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट, ४, अनुबन्ध संख्या ५]**

बम्बई में पुस्तकालय

†१३८८. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में पुस्तकालयों के विस्तार के लिये सन् १९५८–५९ की अवधि में कोई रकम आवंटित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्थान हैं और उनके क्या नाम हैं जहां इस अवधि में पुस्तकालय खोले जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). बम्बई सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

बम्बई में बच्चों और महिलाओं के लिये पुस्तकालय

†१३८९. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने बम्बई में बच्चों और महिलाओं के लिए पुस्तकालय खोलने के लिये स्वयं सेवी समाज कल्याण संगठनों को कोई अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी रकम निर्धारित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख) १९५८–५९ की अवधि में अब तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिए बम्बई राज्य की ५५ संस्थाओं को १९,३२५ रुपये मंजूर किये हैं।

बम्बई में प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा

†१३९०. **श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अब तक बम्बई सरकार को प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा के लिये दी गई अनुदानों की बांट की रकम कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की उस नयी प्रक्रिया के अनुसार जिसे इस वर्ष आरंभ किया गया है अलग-अलग योजनाओं के लिये अलग-अलग अनुदान मंजूर नहीं किये जाते। इसके बदले में मई सन् १९५८ से प्रारंभ होने वाली माहवारी किस्तों के रूप में विकास के सभी क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का $^{3}/_{4}$ भाग "अर्थोपाय पेशगियां[1]" शीर्ष के अन्तर्गत दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]"Ways and Means Advances".

किसी भी वर्ग की योजनाओं के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, का हिसाब, वर्ष की पहिली तीन तिमाहियों में राज्य सरकार द्वारा की गई वास्तविक प्रगति के आधार पर चौथी तिमाही में लगाया जाएगा और उसके अनुसार इस समय में चौथी तिमाही प्राक्कलन के लिये तथा प्रत्येक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर की जाएगी।

कोयला उत्पादन

†१३९१. **श्री दामानी :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान** तथा **और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार की कोयला परिषद् ने भारत सरकार को यह सलाह दी है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कोयला उत्पादन का लक्ष्य १० करोड़ टन निर्धारित किया जाए ;

(ख) क्या परिषद् ने १० करोड़ टन के अन्वीक्षात्मक लक्ष्य का ब्यौरेवार वर्गीकरण सुझाया है ;

(ग) यदि हां, तो वह किस स्वरूप का है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और क्या उसका कोई निर्णय किया है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क): जी, हां। अन्वीक्षात्मक लक्ष्य सुझाया गया है। परंतु यह केवल इस प्रकार के प्रारंभिक आयोजन के लिए है जिसे आज भी शुरू किया जा सकता है।

(ख) से (घ). इस मामले की इन बातों के बारे में अभी कुछ निश्चित रूप से कहना ठीक नहीं है।

निर्वाचन

†१३९२. **श्री हेमराज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा लोक-सभा के और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक ही साथ किसी विधि के उपबंध के अन्तर्गत किये जाते हैं अथवा वे एक ही साथ सुविधा की दृष्टि से किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दूसरे सामान्य निर्वाचनों के अवसर पर बर्फ पड़ने वाले क्षेत्रों में निर्वाचन अलग से उस समय किए गए थे जब कि प्रायः सभी निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम घोषित हो चुका था और बर्फ पड़ने वाले क्षेत्रों के उम्मीदवारों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से वंचित रखा गया था ; और

(ग) सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ निर्वाचन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) लोक-सभा के लिये सामान्य निर्वाचन तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक ही साथ विधि के किसी उपबंध के अन्तर्गत नहीं किये जाते परन्तु इस लिये किये जाते हैं जिस से मितव्ययिता हो और प्रशासनिक सुविधा हो तथा लोक-सभा और विभिन्न राज्य विधान सभाओं की पांच वर्षों की अवधि लगभग एक ही समय समाप्त हो।

(ख) हिमाचल प्रदेश के तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा पंजाब के एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा एक राज्य विधान सभा क्षेत्र में देश के अन्य भागों में होने वाले निर्वाचनों के साथ ही निर्वाचन नहीं हो सकता क्यों कि इन निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ भाग में उस समय बर्फ गिर रही थी। अतएव उन निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सके और उप राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हुआ था।

(ग) जिन निर्वाचन क्षेत्रों में सारे भारत के साथ ही साथ, अपरिहार्य कारणों से, चुनाव नहीं हो सका, उनकी अल्प संख्या का विचार करते हुए भारत सरकार यह आवश्यक तथा व्यवहार्य नहीं समझती कि इस संबंध में कोई कार्यवाही की जाए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का रक्षण

†**१३९३. श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के आरक्षण के संबंध में २८ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अपेक्षित जानकारी अब एकत्रित कर ली गई है और क्या उसे सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसे बतलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]** । शेष जानकारी प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षितों में बेरोजगारी

†**१३९४. श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५७–५८ में शिक्षितों में बेरोज़गारी कम करने के लिये बम्बई सरकार को कुल कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) इस योजना के अधीन बम्बई राज्य में सन् १९५७–५८ में कितने आदमियों को नौकरी दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २८,०३,४१० रुपयों का कुल केन्द्रीय अनुदान मंजूर किया गया था

(ख) इस योजना के अन्तर्गत सन् १९५७–५८ में कोई नौकरी नहीं दी गई। पिछले वर्ष अर्थात् १९५५–५६ के बाद कोई नौकरी नहीं दी गई। योजना के निर्देश पदों के अनुसार सन् १९५५–५६ में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की नौकरी जारी रखने के लिए जितना खर्च होगा उसकी २५ परसैंट केन्द्रीय सहायता होगी अतएव सन् १९५७–५८ में यद्यपि कोई नियुक्ति नहीं की गई फिर भी इस अवधि के लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई की शिक्षा संस्थायें

†**१३९५. श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५६ से दिसम्बर १९५७ तक बम्बई की जिन गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं ने अनावर्ती अनुदान के लिए आवेदन किया है ; उन के क्या नाम हैं ;

(ख) प्रत्येक संस्था को कितना अनुदान दिया गया है ;

(ग) क्या ऐसे मामले अभी भी विचाराधीन हैं ;

(घ) यदि हां, तो विचाराधीन मामलों का निबटारा कब तक हो जाएगा ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७]**

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा

†**१३९६. श्री ओंकार लाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन के लिए १९५८–५९ में जो योजनायें भेजी गई हैं, उनकी संख्या क्या है;

(ख) क्या उन में से कोई योजना स्वीकार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राजस्थान सरकार को कितना रुपया दिया जाएगा या देने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) चौबीस ।

(ख) जी, हां ।

(ग) २४.५३७ लाख रुपये देने का प्रस्ताव है

आंध्र प्रदेश में विज्ञान मंदिर

†**१३९७. श्री मं० वें० कृष्णराव :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८–५९ में आंन्ध्र प्रदेश में विज्ञान मंदिर कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) :** राज्य सरकार के परामर्श से विज्ञान मंदिरों के स्थानों को तय किया जाएगा ।

आंध्र प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा

†**१३९८. श्री मं० वें० कृष्णराव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५८–५९ में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिए जो योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं उनकी संख्या क्या है और उनके क्या नाम हैं ; और

(ख) इस बाबत आन्ध्र प्रदेश सरकार को कुल कितना रुपया दिये जाने का प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) (१) सन् १९५६–५७ में १२ हाई स्कूल और कक्षाओं के १२८ अतिरिक्त वर्ग खोले गए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) ओरियेन्टल हाई स्कूलों १९५७–५८ में खोली गई उच्चतर कक्षाओं एवं अतिरिक्त सैक्शनों क लिए सहायक अनुदान ।

(३) सन् १९५७–५८ में २५ हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों तथा बहुप्रयोजनीय विद्यालयों में बदलने तथा उच्च स्तर के शिक्षकों का वेतन क्रम बढ़ाने में अतिरिक्त खर्च ।

(४) सन् १९५७–५८ में सहायता प्राप्त सेंकडरी स्कूलों में जिन नयी कक्षाओं की अनुमति दी गई है, उनके लिए सहायक अनुदान ।

(५) सन् १९५७–५८ में खोले गए नये हाई स्कूलों और लोकल बोर्ड हाई स्कूलों में नई कक्षाओं तथा नये सेक्शनों को चालू करने के लिए सहायक अनुदान ।

(६) सन् १९५७–५८ में उन सरकारी स्कूलों, लोकल बोर्ड स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिये इमारतें, खेल के मैदान और उपकरण आदि का प्रबंध करना जिन को हायर सेंकन्डरी स्कूलों में बदल दिया गया है ।

(७) गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, नेलोर का स्थापना खर्च ।

(८) गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालिज में कर्मचारियों का पुनर्संगठन ।

(९) सेंट जोसेफ कालेज, गुंटूर, में इमारतें तथा खेल के मैदान बनाना ।

(१०) गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, नेलोर, के लिये इमारतें ।

(११) गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, राजामुन्दरी, के लिए इमारतें ।

(१२) राज्य शिक्षा तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन ब्यूरो ।

(१३) सन् १९५७–५८ में ४ अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रखने का कार्यक्रम ।

(१४) डिवीज़नल इंस्पैक्टर आफ़ स्कूल्स के पदों का बनाया जाना ।

(१५) सरकारी परीक्षाओं के लिये आयुक्त के कार्यालय में दो अतिरिक्त सेक्शनों का खोला जाना ।

(१६) सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में १० अतिरिक्त स्कूल सहायकों की नियुक्ति ।

(१७) बी० एच० हिन्दू गर्ल हाई स्कूल, गुंटूर, के लिए इमारत का अनुदान ।

(१८) आर० वी० एस० तथा सी० वी० एस० हाई स्कूल चिलाकलापुदी के लिए इमारत अनुदान ।

(१९) हायर सेंकन्डरी तथा बहु प्रयोजनीय विद्यालयों की इमारतों को बनाना तथा उन्हें उपकरण देना ।

(२०) गवर्नमेंट हाई स्कूल विशाखापटनम् के लिये इमारत ।

(२१) बुनियादी शिक्षा के दो स्नातक पुनर्प्रशिक्षण पाठ्य क्रमों को चलाना ।

(२२) नागरिकता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को चलाना ।

(२३) एम० आर० कालेज, विजयनगरम के अंशकालीन बी० एड० पाठ्यक्रम को पूर्णकालीन बी० एड० पाठ्य क्रम वाले कालेज में बदलना ।

(२४) गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज में एक अतिरिक्त लिपिक तथा एक सेकंडरी ग्रेड शिक्षक की नियुक्ति ।

(२५) गर्ल्स स्कूलों की तीसरी निरीक्षका के पद का बनाया जाना ।

(२६) १९५६–५७ और १९५७–५८ में खोले गये स्कूलों को सहायक अनुदान ।

(२७) सन् १९५६–५७ में जिन स्कूलों को हायर सेकंडरी कक्षायें खोलनी हैं उनके लिये २९ अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति ।

(२८) सन् १९५७–५८ में जिन स्कूलों में हायर सेकंडरी कक्षायें खोलनी हैं उनके लिये २९ अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति ।

(२९) महबूबाबाद और सूर्यपेठ के हाई स्कूलों को बहुप्रयोजनीय विद्यालयों में बदलना ।

(३०) अग्रवाल हाई स्कूल को बहुप्रयोजनीय स्कूल में बदलना ।

(३१) ४६ हाई स्कूलों में मूल विषयों का सुधार ।

(३२) ४६ हाई स्कूलों के पुस्तकालयों का सुधार ।

(३३) बी० एड ० कालेज, बारंगल का पुनर्गठन ।

(३४) बहुप्रयोजनीय विद्यालयों में कुछ विषयों का फिर से शुरू किया जाना तथा वेतनों का पुनरीक्षण ।

(३५) सरकारी हायर सेकंडरी स्कूलों में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति ।

(३६) हायर सेकंडरी स्कूलों की नई कक्षाओं के लिये फर्नीचर और उपकरण ।

(३७) ३ सरकारी मिडिल तथा अर्ध हाई स्कूलों में हायर सेकंडरी स्कूलों का खोला जाना ।

(३८) सन् १९५८–५९ में नये सेकंडरी स्कूलों तथा नयी कक्षाओं के लिये अध्यापन अनुदान ।

(३९) हाई स्कूलों का बहुप्रयोजनीय विद्यालयों में बदला जाना ।

(४०) मूल विषयों में अध्यापन का सुधार ।

(४१) १७ हाई स्कूलों की इमारतें बनाना ।

(४२) गोष्ठी आदि का आयोजन ।

(४३) गर्ल्स स्कूलों की निरीक्षकाओं के दो पदों का बनाया जाना ।

(४४) डिपुटी डाइरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के एक अतिरिक्त पद का बनाया जाना ।

(४५) जिला शिक्षा अधिकारियों के लिये जीपों की व्यवस्था ।

(ख) १७.७६ लाख रुपये देने का प्रस्ताव है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†१३९९. **श्री मं० वें० कृष्णराव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में आंध्र प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी रकम बांट में दी जायगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सन १९५८–५९ में आंन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र, उसमानिया और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों को संभवत: ३३,९७,००३ रुपयों की रकम बांट में दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये कल्याण योजनायें

†१४००. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को १९५८–५९ के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये कल्याण योजनाओं के हेतु कुल कितना सहायक अनुदान आवंटित किया गया; और

(ख) क्या उसी अवधि में कोई गहन बहुप्रयोजनीय परियोजना चालू की जा रही है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** :

(क)

	१९५८–५९ में किया गया आवंटन	व्यय में केन्द्रीय सरकार का अंशदान
राज्य सैक्टर	लाख रुपये	लाख रुपये
अनुसूचित आदिम जातियां .	४२.६२	२१.३१
अनुसूचित जातियां . .	२५.८९	१२.९४
भूतपूर्व अपराधी आदिम जातियां .	३.१६	१.५८
अन्य पिछड़े वर्ग . .	४.३३	२.१७
कुल	७६.००	३८.००
केन्द्रीय सरकार सैक्टर		
	लाख रुपये	लाख रुपये
अनुसूचित आदिम जातियां . .	१९.३३	१९.३३
अनुसूचित जातियां . .	९.४४	९.४४
भूतपूर्व अपराधी आदिम जातियां .	१.६६	१.६६
कुल	३०.४३	३०.४३

(ख) जी, नहीं। पहले से जो चार बहुप्रयोजनीय परियोजनायें चालू की गई हैं उन्हें जारी रखा जायेगा ।

भिलाई इस्पात परियोजना नगर में मकानों का निर्माण

१४०१. **श्रीमती मिनीमाता**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात परियोजना क्षेत्र में अब तक श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए कितने मकान बनाये गये हैं और १९५८–५९ में कितने बनाये जायेंगे;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से कितने मकान श्रमिकों के लिए बनवाये गये हैं;

(ग) क्या श्रमिकों की बस्ती में पानी की सप्लाई का समुचित प्रबन्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस कठिनाई को दूर करने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित करने का इरादा है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख).

स्थायी मकान	अस्थायी मकान
१६७० स्थायी मकान बनाकर तैयार हो चुके हैं और ३०४४ निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।	४८५० अस्थायी मकान । श्रमिक झोपड़ियों के निर्माण की स्वीकृती है जिन में से १९१० अस्थायी मकान तथा १०० श्रमिक झोपडियां बनकर तैयार हो गयी हैं । १८४० अस्थायी मकान तथा १००० श्रमिक झोपड़ियों के निर्माण का आर्डर दिया जा रहा है । निर्मित हो रहे हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि

†१४०२. **श्री ओंकार लाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में प्रतिरक्षा मंत्रालय की कितने एकड़ भूमि है ;

(ख) कितने एकड़ भूमि जनता को पट्टे पर दी गई है ; और

(ग) शेष भूमि का क्या उपयोग किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) लगभग १२,८२५ एकड़ ।

(ख) लगभग ५८६ एकड़ ।

(ग) मुख्यत: प्रतिरक्षा विभाग और छावनी के लिये । यदि कोई कृषि योग्य भूमि अस्थायी तौर पर फालतू होगी तो उस में रेजीमेंट/यूनिट/सेना फार्म जहां तक सम्भव होगा काश्त करेगा और यदि सम्भव न हुआ तो सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार कृषकों/सहकारी संस्थाओं को पट्टे पर दे दी जायेगी ।

राजस्थान में अभ्रक के निक्षेप

†१४०३. **श्री ओंकार लाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में हाल ही में अभ्रक के निक्षेप मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वहां से कितनी मात्रा में अभ्रक उपलब्ध होने का अनुमान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) अभ्रक इस हालत में मिलता है कि उसकी मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । इसलिये रक्षित मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है। १९५५ और १९५६ में वास्तव में क्रमशः १२१,३४७ हंडरवेट और १५२,८८७ हंडरवेट अभ्रक निकाला गया था।

पुरस्कार बन्ध योजना[1]

†१४०४. **श्री वि० च० शुक्ल :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बचत आन्दोलन की क्षमता को देखते हुये सरकार कोई पुरस्कार बन्ध योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और यह किस अवस्था में है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: पुरस्कार बन्ध जारी करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के सैनिक

†१४०५. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कितने सैनिक अब तक भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेशी सेवा में चुने गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : इसका कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा गया है कि भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कितने सैनिक भारतीय प्रशासन सेवा में चुने गये हैं। उपलब्ध रिकार्डों से यह पता चलता है कि भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज का कोई सैनिक प्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती नहीं किया जा सका है ।

भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के चार पदाधिकारी भारतीय विदेशी सेवा में लिये गये हैं। चार तो राज दूत हैं और एक राजदूत के पद से सेवा निवृत्ति प्राप्त कर चुका है।

जेल पदाधिकारी प्रशिक्षण संस्थायें

१४०६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ के जेल प्रशिक्षण स्कूल और टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज, बम्बई को केन्द्रीय सरकार ने उचित मान्यता दे दी है और क्या उसके परिणाम स्वरूप इन दोनों संस्थाओं ने केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं के रूप में काम करना शुरू कर दिया है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Prize Bond Scheme.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) भारत सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि वे अपने जेल अधिकारियों को इन दोनों संस्थाओं में ट्रेनिंग के लिए भेजें। लखनऊ के जेल ट्रेनिंग स्कूल का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार देती है और टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज का खर्च एक प्राइवेट ट्रस्ट करता है ।

(ख) जेल अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए डाक्टर डब्ल्यू० सी० रेकलेस ने १९५३–५४ में जिस कोर्स का संचालन किया था उसके लिए गृह मंत्रालय ने टाटा इंस्टीट्यूट को ४,७७० रुपये का अनुदान दिया था। १९५६–५७ से शिक्षा मंत्रालय भी इस इंस्टीट्यूट को एक लाख रुपये का वार्षिक अनुदान दे रहा है (उससे पहले वह ८५००० का वार्षिक अनुदान देता था)।

पंजाब में राष्ट्रीय महत्व के मन्दिर

†१४०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में जो मंदिर राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये हैं उनके परिरक्षण और उनकी मरम्मत आदि के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : वे सब मंदिर ठीक हालत में हैं और उनकी विशेष मरम्मत की जरूरत नहीं है। वार्षिक मरम्मत नियमित रूप से हो रही है। और कन्जरवेशन असिस्टेंट और सर्कल सुप्रिंटेंडेंट ने इन मंदिरों का दौरा करने का कार्यक्रम निश्चित किया है ।

दुर्गापुर का इस्पात कारखाना

†१४०८. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह देखते हुए कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये उपकरण एक ही बार मंगवा लिया गया है क्या इस उपकरण की किस्म का ध्यान रखा जाता है और कौन इसका ध्यान रखता है ;

(ख) क्या उपकरण का संभरण करने वालों के साथ परामर्शदाताओं का तो कोई सम्बन्ध नहीं ; और

(ग) यदि नहीं तो यह सुनिश्चय कैसे किया जाता है कि उपकरण ठीक प्रकार का है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के परामर्शदाता, इंजीनियर कारखाने के लिये आने वाले संयन्त्र और उपकरण का निरीक्षण करते हैं।

(ख) जी हां, यद्यपि वे कुछ प्रकार के उपकरणों के ब्रिटेन के लिये एजेंट हैं परन्तु दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हो रहे संभरण से उन्हें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

"आर्मी रिमाऊंट डिपो[1], सहारनपुर"

†१४०९. **श्री ट० ब० विट्ठल राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी रिमाऊंट डिपो, सहारनपुर में इस समय कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ;

(ख) उनकी मजूरी की दर क्या है ;

(ग) क्या श्रमिकों पर सेवा की कोई शर्तें लागू की जाती हैं ; और

(घ) क्या सरकार को श्रमिक संघ से डिपो में कार्य करने की स्थिति के बारे कोई अभ्यावेदन मिला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) ७२४।

(ख) मजूरी की दर वर्गानुसार नीचे दी गई हैं :—

वर्ग	संख्या	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	अन्तरिम सहायता
जमादार				
आकस्मिक	कोई नहीं			
नियमित	३९	३५—१—५० रुपये	४० रुपये	५ रुपये
साईस				
आकस्मिक	२९	३० रुपये (स्थिर)	४० रुपये	५ रुपये
नियमित	२४८	३०—१/२—३५	४० रुपये	५ रुपये
बेलदार				
आकस्मिक	२२५	३० रुपये (स्थिर)	४० रुपये	५ रुपये
नियमित	कोई नहीं	—	—	—
हरवाह				
आकस्मिक	कोई नहीं	—	—	—
नियमित	८१	३०—१/२—३५ रुपये	४० रुपये	५ रुपये
भंगी				
आकस्मिक	कोई नहीं	—	—	—
नियमित	४३	३०—१/२—३५ रुपये	४० रुपये	५ रुपये
साईस लड़के				
आकस्मिक	५९	१५ रुपये (स्थिर)	२० रुपये	२·५० रुपये

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Army Remount Depot.

पंजाब में अनुसूचित जातियां

†१४१०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५६–५७ के प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ (पैरा १८) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिये मंत्रणा समितियों की स्थापना की ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी समिति कब स्थापित की जायगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) इस बारे में राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

पुरातत्व विभाग का पुस्तकालय

†१४११. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरातत्व विभाग के दिल्ली से बाहर चले जाने पर भी उसके पुस्तकालय को दिल्ली में ही रखने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** यह निश्चय किया गया है कि पुरातत्व विभाग का पुस्तकालय दिल्ली में ही रहेगा ।

रूरकेला बस्ती

†१४१२. **श्री सूपकार :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने की बस्ती कुल कितने क्षेत्रफल में है; और

(ख) भिलाई और दुर्गापुर की बस्तियों से यह छोटी है या बड़ी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) रूरकेला इस्पात कारखाने की बस्ती के लिये १४,८०० एकड़ भूमि का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है ।

(ख) भिलाई के लिये १३,७७३ एकड़ और दुर्गापुर के लिये १०,५३९ एकड़ भूमि है ।

स्त्री तथा बाल संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, १९५६

†१४१३. **श्री दामानी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन राज्यों ने स्त्री तथा बाल संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, १९५६, को लागू किया है ; और

(ख) शेष राज्य सरकारों ने अभी तक अधिनियम को क्यों लागू नहीं किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) कोई नहीं ।

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये जा रहे हैं और इसलिये किसी राज्य में अधिनियम को लागू नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

घड़ियों का तस्कर व्यापार

†१४१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक सरकार ने जो घडियां जब्त की हैं उनका मूल्य क्या है ; और

(ख) घड़ियों के तस्कर व्यापार को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) १९५८ के पहले के छः मास में २,५८,८७१ रुपये ।

(ख) घड़ियों और अन्य वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये कई विधान बनाये गये हैं और कई कार्यपालिका कार्यवाहियां की गई हैं । (१) तस्कर व्यापार को रोकने में लगे हुए सीमा शुल्क पदाधिकारियों की अनुसन्धान की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं ; (२) सीमा पुलिस की भी सीमा शुल्क सम्बन्धी शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं; (३) सन्दिग्ध जहाजों और विमानों की ठीक प्रकार तलाशी ली जाती है; (४) समुद्री तट और सीमान्त के उन भागों में नियमित और अकस्मात् गश्त की जाती है जहां से माल चोरी छिपे लाया जा सकता है; (५) सूचना मिलने पर सतर्क हो कर कार्यवाही की जाती है । समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत किये गये भारी जुर्मानों के अतिरिक्त माल जब्त कर लेने के अतिरिक्त जहां उचित समझा गया मुकद्दमें भी चलाये गये हैं ताकि लोग उससे सबक सीखें । १९५७ से केन्द्र में एक राजस्व गुप्तवार्ता विभाग भी काम कर रहा है जिस से तस्कर व्यापार को रोकने वाली संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय हो जाता है ।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सूची

†१४१५. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का पुनरीक्षण करने के लिये अब तक किन-किन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी प्रस्थापनायें भेजी हैं ;

(ख) क्या उनकी प्रस्थापनाओं का पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) निम्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपनी प्रस्थापनायें भेजी हैं :—

आन्ध्र	आसाम
बिहार	हिमाचल प्रदेश
बम्बई	लक्कादीव, मिनिकाय, अन्दमान द्वीप
मद्रास	मनीपुर
उड़ीसा	पश्चिमी बंगाल
पंजाब	

(ख) उनका परीक्षण किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय-कर

१४१६. श्री अमर सिंह डामर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कितने व्यक्ति आय-कर देते हैं ?

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी): मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के ३०४ व्यक्तियों के नाम १ अप्रैल, १९५८ को आयकर-निर्धारण के रजिस्टर में दर्ज थे ।

प्रतिरक्षा संस्थानों में अस्पताल

†**१४१७. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या युद्ध सामग्री डिपों और अन्य प्रतिरक्षा संस्थाओं (युद्ध सामग्री कारखानों के अतिरिक्त) में अस्पतालों की व्यवस्था की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : युद्ध सामग्री डिपों, ई० एम० ई० कर्मशालाओं, निरीक्षणालयों और प्रशिक्षण संस्थापनों में अस्पतालों की नहीं डिसपैन्सरियों की व्यवस्था की जा रही है । सेना के अस्पताल किसी विशेष संस्थापन के लिये नहीं होते हैं बल्कि वे विशेष स्टेशनों के लिये होते हैं। जहां से सभी युनिटों (सिवाये युद्ध सामग्री कारखानों के) के व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं ।

तस्कर व्यापार

†१४१८. **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री कोडियान :
श्री राम कृष्ण :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम गरीब :
श्री पांगरकर :
श्री दल जीत सिंह :
श्री साधू राम :
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में निम्नलिखित स्थानों पर प्रत्येक मास कितने तस्कर व्यापारी पकड़े गये :—

(१) पूर्वी और पश्चिमी भारत-पाक सीमा पर ;
(२) पूर्वी पंजाब सीमा पर;
(३) भारत के बन्दरगाहों पर ;
(४) प्रत्येक राज्य में;

(ख) कितने (किन-किन देशों के) तस्कर व्यापारियों को दण्ड दिया गया ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में तस्कर व्यापार करने वालों से जो वस्तुयें, विशेषकर सोना, जब्त की गईं उनका कुल मूल्य और अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) से (ग). एक विवरण जिसमें जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]**

सामुदायिक विकास पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

†**१४१९. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा अल्प कालीन पाठ्यक्रमों के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा संस्थाओं में भेजे गये पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरु हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कब आरम्भ होगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक -कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में स्कूलों की इमारतें

†**१४२०.** { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में दिल्ली में स्कूलों की कितनी इमारतें बनाई गईं;

(ख) उपरोक्त अवधि में स्कूलों की कितनी इमारतों की मरम्मत हुई ;

(ग) इन में कितनी इमारतें लोगों ने सरकार की सहायता के बिना और कितनी सरकार की सहायता से बनाईं ; और

(घ) १९५८–५९ में कितनी इमारतें बनाई जाने वाली हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २८ ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) (१) सरकार की सहायता से—२५

(२) सरकार की सहायता के बिना—कोई नहीं ।

(घ) ५३ जिनमें से २७ बन रही हैं ।

पंजाब में आय-कर देने वाले

†**१४२१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में पंजाब में (जिलावार) कितने कर दाताओं ने आय-कर नहीं दिया ; और

(ख) इस समय जिलावार आय-कर की बकाया राशि कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी) :** (क) एक विवरण, जिस में यह जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ख) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

क्षेत्रीय परिषद्

†**१४२२. श्री वाजपेयी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् क्षेत्रीय परिषदों के निर्णयों की कार्यान्विति के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) जी हां। क्षेत्रीय परिषदों के उल्लिखित निर्णयों की कार्यान्विति सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हो चुकी है और उसकी छानबीन की जा रही है।

(ख) जी हां। शीघ्र ही एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा।

दिल्ली कारपोरेशन के लिये भवन

†**१४२३.** { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राधा रमण :
श्री वाजपेयी :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को दिल्ली नगर निगम से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि अजमेरी गेट एक्सटेंशन एरिया में निगम के लिये नया भवन बनाने के हेतु सहायता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). वित्तीय सहायता के लिये सरकार को कोई प्रार्थना नहीं मिली है। दिल्ली नगर निगम ने निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय से कहा है कि वह निगम कार्यालय के नये भवन के लिये उपयुक्त भूमि का आवंटन करे।

पंजाब में भूतपूर्व सैनिक

†**१४२४. श्री दलजीत सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने भूतपूर्व सैनिकों को पंजाब में १९५७ और १९५८ में अब तक सरकारी/गैर-सरकारी नौकरियों पर रखा गया था ;

(ख) उन में से कितने अनुसूचित जातियों के थे ; और

(ग) उन में से कितने होशियारपुर के और कितने कांगड़ा जिले के थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) जनवरी, १९५७ से जून, १९५८ तक पंजाब राज्य में काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा ३३५२ भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाया गया था।

(ख) और (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी

†**१४२५. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६ अप्रैल, १९५८ के बाद भारतीय सीमा पुलिस अथवा सेना कर्मचारियों ने पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों पर गोली चलाई और बदले में उन्होंने कितनी बार गोली चलाई ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** :

१. सीमा पुलिस द्वारा तस्कर व्यापारियों पर चलाई गई गोली . ४

२. पाकिस्तान की ओर से चलाई गई गोली (गोली चलाने वालों की पहचान नहीं हो सकी) ३

३. पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों और भारतीय पुलिस ने एक दूसरे पर गोली चलाई ४

नोट : इनमें से किसी घटना में सैनिक अन्तर्ग्रस्त नहीं थे।

पेप्सू राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

†**१४२६. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलय के समय पेप्सू राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक कितने कर्मचारी (श्रेणीवार) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में लिये गये ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी थे ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) विलय के समय पेप्सू राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के कोई कर्मचारी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में नहीं लिये गये थे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के दौरे

†**१४२७. श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने कितनी बार पंजाब का दौरा किया ; और

(ख) वह राज्य में किन-किन स्थानों पर गये ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) केवल एक बार।

(ख) पठानकोट।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत का राज्य बैंक

†१४२८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री १३ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके पश्चात् ३० जून, १९५८ तक पंजाब राज्य में भारत के राज्य बैंक की कितनी शाखायें, भुगतान कार्यालय तथा सब-आफिस खोले गये ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी):** १३ फरवरी से ३० जून, १९५८ तक भारत के राज्य बैंक ने पंजाब राज्य के निम्नलिखित स्थानों पर चार शाखायें और एक सब-आफिस (भुगतान) खोला है :—

शाखायें	सब-आफिस (भुगतान कार्यालय)
१. फाजिल्का	१. नंगल (टाऊनशिप)
२. फिलौर	
३. नवांशहर (द्वाबा)	
४. पानीपत*	

त्रिपुरा के छात्र

†१४२९. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उच्च शिक्षा के लिये त्रिपुरा से कलकत्ता जाने वाले छात्रों को स्थानाभाव के कारण कई समय से बहुत कष्ट सहन करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या अनिवार्य कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता विश्वविद्यालय से कहा गया था कि वह अपने होस्टलों में त्रिपुरा के छात्रों के लिये स्थान रक्षित कर दे । विश्वविद्यालय ने उनके लिये हजारा रोड पर स्नातकोत्तर हाल में जो दिसम्बर, १९५८ से खोला जायेगा स्थान रक्षित रखना स्वीकार कर लिया है ।

टैक्नीकल कर्मचारियों की भर्ती

†१४३०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को टैक्नीकल कर्मचारियों और विशेषकर उन प्रविधिज्ञों को भर्ती करने के लिये, जो विदेशों में शिक्षा पा रहे अथवा काम कर रहे हैं, नया तरीका अपनाने के बारे में मंत्रणा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-सरकारों की प्रतिक्रियायें क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

*जो पहले सब-आफिस था ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारें सामान्यतः नये तरीके को अपनाने के पक्ष में हैं।

पदाधिकारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु

†**१४३१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना पदाधिकारियों की सेवा–निवृत्ति की आयु बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) इस प्रस्थापना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस प्रस्थापना को कार्यान्वित किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). जी नहीं। परन्तु कुछ पदाधिकारियों की भावी उन्नति के बारे में विचार किया जा रहा है जो, यदि स्वीकार हो जाये, तो कुछ वर्गों में सेना पदाधिकारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ जायेगी।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार

†**१४३२. श्री तंगामणि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक केन्द्रीय सरकार के कितने पदाधिकारियों के खिलाफ विशेष पुलिस संस्थापन ने घूंस लेने और गबन आदि करने के लिये कार्यवाही की ;

(ख) ये पदाधिकारी किन मंत्रालयों के थे ; और

(ग) प्रत्येक को क्या दण्ड दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). एक विवरण जिसमें जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]**

भू-राजस्व बन्दोबस्त कार्य

†**१४३३. श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बा (हिमाचल प्रदेश) में भू-राजस्व बन्दोबस्त कार्य के समाप्त हो जाने पर विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी सेवामुक्त हो जायेंगे ; और

(ख) सरकार ने उनको रोजगार देने के लिये यदि कोई योजना बनाई है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ख) चम्बा जिले में चल रहे बन्दोबस्त के काम के समाप्त हो जाने पर वहां के कर्मचारियों को मंडी जिले में शुरू किये जाने वाले बन्दोबस्त के काम पर लगाने की आशा है।

नाटक का विकास

†**१४३४. श्री संगण्णा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाटक के विकास और संवर्द्धन के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी सहायता दी गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) उस कार्य के लिये अभी तक १,७७,४४९ रुपये खर्च किये गये हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट

१४३५. श्री क० मे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित होती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे हिन्दी में भी प्रकाशित कराने की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

युद्धास्त्र कारखानों के पर्यवेक्षक

†**१४३६. श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धास्त्र कारखानों में नियोजित पर्यवेक्षकों के उच्च अध्ययन के लिये सुविधाओं की योजना का परीक्षण कर उसे अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं । इस योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

कपूरथला में तेल सर्वेक्षण

†**१४३७. सरदार इक्बाल सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में तेल प्राप्त होने की कोई संभावनायें हैं ;

(ख) यदि हां , तो उक्त जिले में ऐसे स्थानों के क्या क्या नाम हैं ; और

(ग) क्या ड्रिलिंग प्रारम्भ हो गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) इसकी जांच हो रही है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) कपूरथला जिले के किसी भाग में अभी ड्रिलिंग प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरें

†१४३८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में आदिम जाति गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत १९५६–५७ और १९५७–५८ में कितने आदिम जाति वासियों को लोहे की नालीदार चादरें सम्भरित की गई हैं ;

(ख) चादरों के पात्रों का चुनाव किस सिद्धान्त के आधार पर किया गया था ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में लोहे की नालीदार उपरोक्त चादरों से कितने मकान बनाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) इम्फाल में प्रचलित कीमत पर गृह-निर्माण करने के लिये २०७ आदिम जाति परिवारों को लोहे की नालीदार चादरों के २०६५ बण्डल जारी किये गये थे। इम्फाल से उखरूल और चूड़ाचांदपुर केन्द्रों तक इन चादरों को ले जाने का परिवहन व्यय सरकार वहन करेगी।

(ख) सब डिवीजनल अधिकारियों की सिफारिश पर लोहे की नालीदार चादरों का आवंटन किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत चादरें खरीदने में व्यक्ति की क्षमता और उनकी आवश्यकताओं की स्थानीय पुष्टि के पश्चात् ही उपरोक्त सिफारिश प्रस्तुत की गई थी।

(ग) २०७ मकान।

केण्टीन स्टोर्स विभाग

†१४३९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केण्टीन स्टोर्स विभाग में काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से भरती की जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) १९५७–५८ और ३१ जुलाई, १९५८ तक कितने कर्मचारियों की सीधी भरती की गई थी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी नहीं।

(ख) केण्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट निम्न कारणों से काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से अपने कर्मचारियों की भरती नहीं करता है :—

(१) यह वाणिज्यिक स्तर पर संचालित होने वाला स्वायत्तशासी निकाय है ;

(२) यह विभाग अखिल भारतीय संगठन है और कर्मचारियों की भरती अपनी चुनाव समिति द्वारा करता है। समिति की बैठक सामान्यतया दिल्ली और बम्बई में होती है।

(३) काम दिलाऊ दफ्तर जिन उम्मीदवारों की सिफारिश करते हैं वे कभी कभी अपने घर से बाहर अन्य स्थानों में नियुक्ति से विमुख रहते हैं और इससे प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं।

(ग) १३० और ४७ क्रमशः।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन याचिकायें

†१४४०. **श्री वाजपेयी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत आम चुनावों के पश्चात् उपचुनावों से सम्बन्धित कितनी याचिकाओं का निर्णय कर दिया गया है और कितनी अभी निर्वाचन न्यायाधिकरण के समक्ष निलम्बित हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : दूसरे आम चुनाव के पश्चात् हुए उपचुनावों से सम्बन्धित दो चुनाव याचिकायें पहली अगस्त, १९५८ तक निर्जित हो चुकी हैं और आठ याचिकायें अभी निर्वाचन न्यायाधिकरण के समक्ष निलम्बित हैं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल वार कालेज

१४४१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के नैशनल वार कालेज के पदाधिकारी मई, १९५८ में भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन स्थानों को देखा ; और

(ग) उनके आने का क्या उद्देश्य था ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली और आगरा ।

(ग) कालेज के विद्यार्थियों को बाहर की जानकारी कराने के लिये, कालेज के कोर्स के रूप में, अमेरिका सरकार हर साल अपने देश से बाहर विद्यार्थियों की यात्रा का इन्तज़ाम करती है। यह भारत यात्रा इसी सिलसिले में थी। इस बारे में आप का ध्यान २९-५-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०७ के भाग (ख) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

संघ राज्य क्षेत्र विदेश छात्रवृत्ति योजना

†१४४२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की संघ राज्य क्षेत्र विदेश छात्रवृत्ति योजना—१९५८-५९ के अधीन अध्ययन हेतु कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इंटरव्यू के लिये कितने प्रार्थी बुलाये गये थे ;

(ग) क्या उम्मीदवारों का अन्तिम चुनाव कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी अर्हतायें क्या हैं और उनके चुनाव का क्या आधार है?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) ६४ ।

(ख) २१

(ग) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) (१) विशेष रूप से निर्मित चुनाव समिति द्वारा योग्यता परिमाप के आधार पर उन्हें चुना जाता है ।

(२) चुने हुए उम्मीदवारों की अर्हतायें बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]**

व्यय कर[1]

†१४४३. **श्री कुन्हन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यय-कर अधिनियम १६५७ के अधीन १६५८–५६ में कितने व्यय पर कर निर्धारित करने की संभावना है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री गोपाल रेड्डी)** : सरकार के पास अभी तक जानकरी नहीं है ।

मध्य प्रदेश के लिये स्वीकृत धन राशि

१४४४. **श्री खादीवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के लिये कुल कितनी धन राशि स्वीकृत की है ;

(ख) उस स्वीकृत धन राशि में से केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी धन राशि दे दी है ; और

(ग) अब तक कितनी धन राशि उपयोग न किये जाने के फलस्वरूप व्यपगत हो गई तथा उसके क्या कारण हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी): (क), (ख) और (ग). स्वीकृत धन राशियां अदा की गयी धन राशियों से भिन्न नहीं हैं। धन की स्वीकृति सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा मूल्य आंकने के बाद दी जाती है और स्वीकृत धन की राशि योजना को क्रियान्वित करने की राज्य सरकार की क्षमता पर निर्भर होती है । केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जो धन राशि बाटी जाती है, वह व्यय की प्रगति को देख कर ही दी जाती है इसलिये स्वीकृत धन राशि व्यपगत न होनी चाहिये । १६५६ के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जिनको मिला कर मध्य प्रदेश बना है, केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गयी विभिन्न धन राशियों के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

संघ राज्य क्षेत्रों में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

†१४४५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य-क्षेत्रों में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पुरः स्थापित करने के लिये कोई क्रमबद्ध अथवा अन्य योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Expenditure tax.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख) आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक संघ राज्य-क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण भारत में ६ से ११ वर्ष तक की आयु के सब बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की सुविधाओं का उपबन्ध हो सकेगा।

गत वर्ष प्रारम्भ किया गया शिक्षा सर्वेक्षण लगभग पूरा हो रहा है और केन्द्रीय तथा राज्यकीय स्तर पर इस प्रयोजन के लिये आवश्यक कार्यवाही के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

जीवन बीमा समवाय

†१४४६. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या **वित्त** मंत्री अभी तक विभिन्न जीवन बीमा समवायों को दी गई कुल प्रतिकर राशि बताने की कृपा करेंगे?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: ४,०३,२३,८६७ रुपये

भारतीय सेवा में विदेशी

†१४४७. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री सरकारी सेवा में गैर भारतीय अधिकारियों की कुल वर्तमान संख्या प्रकट करते हुए यह बतायेंगे कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति किस किस पद पर काम कर रहा है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा

†१४४८. **सरदार इकबाल सिंह**: क्या **शिक्षा** मंत्री पंजाब राज्य को १९५८-५९ में अभी तक पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा योजनाओं के लिये आवंटित राशि बताने की कृपा करेंगे?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने के बारे में इस वर्ष प्रारम्भ की गई नवीन प्रणाली के अनुसार प्रत्येक योजना के लिये पृथक राशि स्वीकार नहीं की जाती है। इसके स्थान पर चतुर्मुखी विकास के लिये ग्राह्य केन्द्रीय सहायता का तीन चौथाई हिस्से तक "अर्थोपाय अग्रिम" एकमुश्त रकम मई, १९५८ से नियमित मासिक किश्तों के रूप में दी जा रही है।

किसी भी प्रकार की योजनाओं के लिये किसी भी राज्य सरकार को ग्राह्य केन्द्रीय अनुदान की रकम का हिसाब योजनाओं की प्रथम तीन तिमाही की यथार्थ प्रगति के आधार पर लगाया जायेगा और चौथी तिमाही का प्राक्कलन तथा योजनावार केन्द्रीय अनुदान की स्वीकृति उस समय तदनुसार जारी कर दी जायेगी।

प्रशासनिक सतर्कता डिवीजन की रिपोर्ट

†१४४९. **श्री सिदय्या**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक सतर्कता डिवीजन की रिपोर्ट की प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : आशा है कि ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्रशासनिक सतर्कता डिवीजन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के चालू सत्र में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

पाकिस्तान से बकाया ऋण की वसूली

†१४५०. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार का पाकिस्तान सरकार से जुलाई, १६५८ तक बिजली, नहरी पानी और लोकऋण के खाते में विभाजन पूर्व और विभाजन पश्चात् ऋण और बकाया राशि कुल कितनी है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

(क) नहरी पानी

विवादहीन	२७,८१,६३१ रुपये
विवादग्रस्त	६७,१६,६८० रुपये
कुल	१२५,०१,६११ रुपये

(ख) बिजली

(ग) **लोक ऋण** : भारत की ओर पाकिस्तान का विभाजन ऋण अभी निश्चित नहीं किया गया है । हमारा अनुमान है कि यह लगभग ३०० करोड़ पये होगा ।

पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान

†१४५१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १६५८–५६ में अभी तक पंजाब विश्वविद्यालय को दी अनुदान राशि बताने की कृपा करेंगे ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १६५८–५६ में (८ अगस्त, १६५८ तक) पंजाब विश्वविद्यालय को २५,२१,५५०.०० रुपये दिये गये हैं ।

पंजाब उच्च न्यायालय

†१४५२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब उच्च न्यायालय की प्रत्येक बैंच में दायर मामलों की आजकल कितनी संख्या है ; और

(ख) इन बेंचों में से प्रत्येक में आजकल कितने न्यायाधीश हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) ३१ जुलाई, १६५८ तक दिल्ली की सरकिट बैंच में २,६१२ और चण्डीगढ़ स्थित मुख्य सीट में १०,७४६ मामले विलम्बित थे ।

(ख) दिल्ली की सरकिट बैंच में दो न्यायाधीश और चण्डीगढ़ की मुख्य सीट में १३ न्यायाधीश बैठते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अफीम

†१४५३. **श्री साधूराम** : क्या **वित्त** मंत्री सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा १९५८ के प्रारम्भ से जब्त की गई अफीम की कुल मात्रा और मूल्य बताने की कृपा करेंगे ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : ३ मन ३ सेर और ११ तोले अफीम जिस की कीमत ४९,२५५ रुपये अनुमानित है ?

अमरीकी विश्व विद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी

१४५४. **श्री सरजू पांडे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस समय कितने भारतीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : हाल ही की उपलब्ध सूचना के अनुसार, १-१-१९५८ को अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में १,९९४ भारतीय छात्र पढ़ रहे थे। अलग-अलग विश्व-विद्यालयों के ब्यौरे का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३]**

प्रोफेसर काल्दर की रिपोर्ट[1]

†१४५५. **श्री पू० र० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांख्यकी संस्था (इण्डियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट) के आमंत्रण पर प्रोफेसर काल्दर ने भारत में जनवरी से मार्च तक ठहर कर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के समक्ष भारतीय कर सुधार रिपोर्ट (जो काल्दर रिपोर्ट के नाम से लोकप्रिय है) के प्रस्तुत करने के लिये उन्हें कितनी रकम दी गई है; और

(ख) इस सर्वेक्षण और रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार ने कितनी रकम खर्च की है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)** : (क) प्रोफेसर काल्दर को उन की सेवाओं के लिये कोई वेतन नहीं दिया गया। किन्तु इण्डियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में काम करने की अवधि तक यहां रहने और यात्रा सम्बन्धी खर्च इंस्टीट्यूट की ओर से दिया गया था।

(ख) रिपोर्ट के प्रकाशन पर लगभग ६,४०० रुपये खर्च हुए हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां

१४५७. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों के लिये भवन निर्माण योजना पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुए तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होने वाले व्यय के आधार पर मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों के लिये दी गई धनराशि का वितरण किस प्रकार हुआ है;

(ख) मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को कितनी कितनी राशि दी गई है; और

(ग) इस राशि की सहायता से उपरोक्त जाति के कितने परिवारों की आवास की समस्या अब तक हल हो चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Professor Kaldor's Report.

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क), (ख) और (ग). मांगी गई सूचना राज्य सरकार से मंगाई है और प्राप्त होते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

काश्मीर का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†**१४५८. श्री राम कृष्ण**: क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को १९५७-५८ में काश्मीर के भूतत्वीय सर्वेक्षण के बारे में कोई रिपोर्ट मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट में किन-किन मुख्य संसाधनों की ओर संकेत किया गया है;

(ग) प्रत्येक स्थिति में खनिज पदार्थ की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(घ) क्या चालू वर्ष के लिये सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं, १९५७-५८ में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा की गई खनिज सम्बन्धी अनुसन्धान अभी तैयार किया जा रहा है और जो नमूने एकत्रित किये गये हैं उन का विश्लेषणात्मक पैट्रोल सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक जांच पूरी होने पर वह प्राप्त होगी।

(ख) भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि जम्मू में जंगलगली क्षेत्र में ड्रिलिंग के परिणामस्वरूप कोयले की महत्वपूर्ण मात्रा का पता लगाया गया है।

(ग) चूंकि अभी इस कार्य की प्रगति हो रही है उसकी संचित राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ?

(घ) और (ङ). जी हां, श्रीमान्। जांच पूरी होते ही प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकट कर दी जायेगी। चालू सत्र में जांच सम्बन्धी निम्न कार्य किये जा रहे हैं :—

जम्मू प्रान्त के रियासी क्षेत्र में सीमेंट निर्माण की उपयुक्तता की दृष्टि से प्रेस से खण्डवार तक ग्रेट लाइमस्टोन की विस्तृत जांच।

जंगलगली कोयला क्षेत्र का ड्रिलिंग के रूप में विस्तृत जांच सीसा, जस्त और तांबे के निक्षेपों का रियासी क्षेत्र के 'ग्रेट लाइमस्टोन वेल्ट' में जांच।

बटोट में ड्रिलिंग की सहायता से जिप्सम के निक्षेप की विस्तृत जांच सुमहल खनिजयुक्त स्पर का भूतत्वीय सर्वेक्षण।

निकाहम क्षेत्र में लिग्नाइट का ड्रिलिंग २६ जुलाई, १९५८ को प्रारम्भ हुआ था और बोरहोल नं० १ म कुल २९७ फुट गहरी ड्रिलिंग हो चुकी है।

मुत्तल-लैन क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण निम्नलिखित परियोजनाओं की भूतत्वीय व्यवहार्यता की अल्पकालीन जांच :—

जवाहर (बनिहाल) सुरंग में निर्माण सम्बन्धी पदार्थों की भूतत्वीय अवस्था और जमीन के नीचे विस्तृत अनुसन्धान।

---

†मूल अंग्रेजी में

ईसाई धर्म का प्रचार

१४५९. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में ईसाई धर्म के प्रचार के लिये विदेशों से कितना धन भारत में आया ;

(ख) इस में अमरीका से कितना आया है ; और

(ग) इस समय भारत में कितने विदेशी पादरी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं और अखंड भारत में उन की कुल संख्या कितनी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार) : मांगी गई जानकारी नीचे दी जाती है:

	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६	१९५७ जनवरी से जून तक
(क) भारत में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों को १९५३ से १९५६ और पहली जनवरी १९५७ से ३० जून, १९५७ तक मिली कुल विदेशी सहायता (लाख रुपयों में)	७,२०	८,१३	९,१३	*९,२७	*५,११
(ख) अमरीका से	५,१३	५,९६	६,९१	*६,६४	*३,६९

नोट : यह सूचना प्राप्त नहीं है कि इस रकम में से कितने ईसाई धर्म पर प्रचार के लिये थी ।

(ग) पहली जनवरी १९५८ को भारत में ४८४४ रजिस्टर्ड विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक थे । प्राप्त सूचना के अनुसार १५ अगस्त, १९४२ से १४ अगस्त, १९४७ तक के पांच सालों में भारत में २२७१ विदेशी धर्म प्रचारक रजिस्टर्ड थे ।

दिल्ली में अपराध

†१४६०. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९५७ और १९५८ की प्रत्येक तिमाही में निम्न कोटियों के अन्तर्गत दर्ज किये गये अपराधों की कितनी-कितनी संख्या है ;

(१) हत्या, (२) बलात्कार, (३) अप्राकृतिक अपराध, (४) डकैती, (५) लूटपाट, (६) चोरी, (७) ठगी और (८) अन्य अपराध ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में प्रत्येक कोटि के अन्तर्गत ऐसे कितने मामले हैं जिनका पता नहीं लगा है और इसके क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

*यह आंकड़े अन्तिम नहीं हैं ।

(ग) कितने मामले मुकदमा चलाने के लिये भेजे गये और अपराधियों को दण्डित किया गया ; और

(घ) कितने मामलों में न्यायपालिका द्वारा पुलिस की आलोचना की गई और तदनन्तर उस पर कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है ? **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**

(घ) चार मामलों में न्यायपालिका द्वारा पुलिस की आलोचना की गई थी ऐसे तीन मामलों में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई ; अभी दो विचाराधीन हैं और एक में विभागीय रूप से दण्ड प्रदान कर दिया गया है । चौथे में किसी प्रकार की कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

स्थगन प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कई स्थगन प्रस्तावों की सूचना आई है । लेकिन मैं कल ही इस बात को बता चुका हूं कि यह राज्य का विषय है । मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी कैसे ठहराई जा सकती है । मेरे पास इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव आते हैं मगर मेरी समझ में नहीं आता कि इस में केन्द्रीय सरकार की क्या जिम्मेदारी है ।

श्री सरजू पांडे (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय जहां तक केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी का प्रश्न है मेरा निवेदन यह है कि पिछले दिनों जब खाद्य समस्या पर बहस हो रही थी तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयी हैं एक तो वह बहुत कम है और दूसरे जो गल्ला केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है वह दूसरी स्टेट के मुकाबले में बहुत ही कम है । आज उत्तर प्रदेश की खाद्य समस्या बहुत कठिन है और इसी सदन के एक सीनियर मेम्बर श्री शि०ला० सक्सेना भूख-हड़ताल किये हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी सैंकड़ों लोग सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के लिये वहां भूख हड़ताल कर रहे हैं । आन्दोलन चला रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जायें हर तरफ से यही आवाज आपको उठती नजर आयेगी कि हमारे केन्द्रीय सरकार के जो फूड मिनिस्टर हैं उन को इस्तीफा दे देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं । मैं तो जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की क्या जिम्मेदारी है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : (बरहामपुर) : यह विषय संविधान की ७ वीं अनुसूची की सूची संख्या ३ की प्रविष्टि संख्या ३३ के अधीन आता है, जहां खाद्य पदार्थों के व्यापार, उत्पादन, वितरण और संभरण का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार खाद्य पदार्थ अनुवर्ती सूची में आते हैं, वे केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं हैं । प्रविष्टि संख्या ३३ से केन्द्र के ऊपर एक संवैधानिक जिम्मेदारी आ जाती है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय मंत्री ने हमें यह बताया था कि कानपुर, इलाहबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों में ३००० सस्ते गल्ले की दुकानें खोली

---

†मूल अंग्रेजी में

गई हैं लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार वहां केवल २४०० सस्ते गल्ले की दुकानें काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश को गल्ला उचित मात्रा में नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाया है कि केन्द्र ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच गल्ले की आमदरफ्त में प्रतिबन्ध हटाने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार केन्द्र इस मामले में रुकावटें पैदा कर रही है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : (फिरोजाबाद) : केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश को उपयुक्त मात्रा में अनाज नहीं दे रही है। उन्हों ने उत्तर प्रदेश के अभावग्रस्त इलाकों को अनाज भेजने की जिम्मेदारी निभाने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार इस बात का सीधा दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। इस के अलावा वहां कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिस से संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने की आशंका है ।

†**श्री जगदीश अवस्थी** (बिल्लौर) : जब माननीय प्रधान मंत्री, गृह-कार्य मंत्री और खाद्य मंत्री के राज्य में यह हालत है तो दूसरे राज्यों की क्या हालत होगी ?

श्री यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जब गोरखपुर में स्केर-सिटी एरियाज (अभाव ग्रस्त क्षेत्रों) का दौरा करने गये तो उन्हों ने खुल कर के यह कहा कि हम को काफी मात्रा में केन्द्र से खाद्यान्न नहीं मिल रहे हैं। इसलिये हमारे लिये असम्भव है कि लोगों को सप्लाई कर सके और साथ साथ दामों में जो बढ़ौतरी हो रही है उस को भी रोकना हमारे लिये असम्भव है। उन्हों ने यह भी कहा कि यह सीधे केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न है। उन्हों-ने कहा कि दाम और सप्लाई का जो प्रश्न है सिर्फ केन्द्र से सम्बन्ध रखता है इसलिये मैं समझता हूं कि यह केन्द्रीय प्रश्न है और इस पर बहस होनी चाहिये ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : श्री त्रिदिब कुमार चौधरी ने समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या ३३ का निर्देश किया है। इस में खाद्य पदार्थों के वाणिज्य तथा व्यापार का जिक्र है। यहां प्रश्न वाणिज्य और व्यापार का नहीं है बल्कि केन्द्र द्वारा सम्भरण का है। इसलिये स्थगन प्रस्ताव में उठाया गया प्रश्न प्रविष्टि संख्या ३३ के अन्दर नहीं आता है ?

खाद्य स्थिति पर चर्चा के समय मैं ने बताया था कि विभिन्न राज्यों को हम कितना अनाज भेज रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों को अनाज का सम्भरण करने की जिम्मेदारी केन्द्र की है और क्या राज्य सराकारों द्वारा स्वयं खरीदने और बांटने पर कोई रोक लगी है। अगर केन्द्र ने इस की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है, तो मैं उस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : जहां तक केन्द्र द्वारा राज्यों को खाद्य संभरण का प्रश्न है, इस की पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्र पर नहीं है। किसी भी व्यक्ति या राज्य सरकार के अपने राज्य में या राज्य के बाहर खरीद करने पर प्रतिबन्ध नहीं है । इस प्रकार राज्य सरकारों की आवश्यकता पूरी करना केवल मात्र केन्द्र का दायित्व नहीं है। निस्सन्देह केन्द्र विदेशों से खाद्य का आयात कर रहा है। केन्द्र ने कुछ राज्यों में अनाज वसूल भी किया है। उक्त अनाज से केन्द्र यथाशक्ति राज्यों की सम्भरण कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार जितना गल्ला मांगे वह सारा उन्हें देना केन्द्रीय सरकार का दायित्व नहीं है। हम यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं तथापि इस की संवैधानिक जिम्मेदारी हम पर नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथपाई :** (राजापुर): समवर्ती सूची की जिस प्रविष्टि का जिक्र किया गया है उस में संभरण और वितरण शब्दों का उल्लेख है। उन्हों ने यह कह कर अपनी जिम्मेदारी टाली है कि खाद्य सम्भरण का पूरा दायित्व उन पर नहीं है। वस्तुतः विदेशों से खाद्य का आयात करना केन्द्रीय सरकार का काम है और देश के अन्दर भी अन्य राज्य से खाद्य का सम्भरण करना केन्द्र की सहमति के बिना नहीं हो सकता है । तब भला यह केन्द्र का दायित्व क्यों नहीं है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** वैधानिक रूप से किसी भी राज्य पर खाद्य का आयात करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हम उत्तर प्रदेश को प्रतिमाह ६० हजार टन खाद्यान्न का संभरण कर रहे हैं। पत्पश्चात् उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री से मेरी वार्ता हुई और मैं ने स्वयं उत्तर प्रदेश का दौरा किया जिस के फलस्वरूप सितम्बर में हम उत्तर प्रदेश को २५,००० टन अतिरिक्त खाद्यान्न देने को सहमत हो गये हैं। यह खाद्यान्न रवाना हो चुका है कलकत्ते से विशेष गाड़ियां भेजी जा चुकी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश को सितम्बर में ६०,००० टन के अलावा २५,००० टन अतिरिक्त खाद्यान्न भी भेजने में समर्थ होंगे ।

सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने के स्थान निश्चित करना उत्तर प्रदेश की सरकार पर निर्भर है। कुछ महीनों पूर्व वहां सस्ते गल्ले की २००० दुकानें थीं अब उन की संख्या बढ़ा कर ३७०० कर दी गई है। वे अधिक दुकानें खोल रहे हैं इस प्रकार खाद्य अवस्था पर हुए विवाद के बाद संभरण की स्थिति में सुधार हुआ है, सस्ते दामों की दुकानें बढ़ गई हैं और केन्द्र ने अपना दायित्व भरसक निबाहने की कोशिश की है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की खाद्य समस्या में ऐसी क्या बात है जिस से वहां इस प्रकार का आन्दोलन हो रहा है। कुछ इस के अन्य कारण हैं या खाद्य संकट केवल बहाना मात्र है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों की कीमतें बिहार और पश्चिम बंगाल के बराबर ही हैं। वहां की स्थिति में कोई विशेष बात नहीं है।

लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने एक विशेष प्रकार का रवैया अपनाया है। उन में कुछ भूख हड़ताल करने पर आमादा हैं, कुछ स्थानीय अधिकारियों को घेरने पर उतर आये हैं और कुछ खाद्यान्नों के गोदामों पर हमला बोल रहे हैं। वे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो कर यह काम कर रहे हैं। वस्तुतः ये बातें उत्तर प्रदेश की बिगड़ती स्थिति के लिये जिम्मेदार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुन चुका हूं। मेरा मत है कि खाद्य संभरण की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। निस्संदेह केन्द्रीय सरकार भारी मात्रा में खाद्यान्न खरीद कर स्थिति का सामना करने के लिये जागरूक रहती है। लोगों के कल्याण का उसे हमेशा ध्यान रहता है, चाहे वे किसी राज्य के रहने वाले हों । जहां तक खाद्य वसूली का प्रश्न है राज्य सरकारें अपने राज्य में या अपने जोन के अन्य राज्यों से भी अनाज की वसूली कर सकती है। माननीय मंत्री ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में सस्ते गल्ले की दुकानें और खोल दी गई हैं। उन्हों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने जो मदद मांगी है वह उसे दी जाती है। वहां कितना अनाज चाहिये इसका फैसला राज्य सरकार कर सकती है, ताकि यहां बैठ कर माननीय सदस्य राज्य सरकार की मांग के अनुसार केन्द्र ने खाद्य संभरण की मात्रा बढ़ा दी है। इस प्रकार केन्द्र ने इस सम्बन्ध में कोई ढिलाई या विलम्ब नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः मैं स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं देता हूं ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हम विरोध में सदन से बाहर जाते हैं ।

इसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये ।

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १८ अगस्त, १९५८ को पारित सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक, १९५८ को राज्य सभा ने अपनी एक सितम्बर, १९५८ की बैठक में बिना संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

सभा से अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने आठवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को, प्रतिवेदन के सम्मुख दिखाई गई अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति देने की सिफारिश की है :

श्री सु० चं० चौधरी
श्री मोहम्मद इलियास
श्रीमती ललिता राज्य लक्ष्मी
श्री बाली रेड्डी
श्री मुहीउद्दीन
श्री पोकर साहेब
श्री द० स० राजू
श्री तेवर
श्री याज्ञिक
श्री क० उ० परमार
श्रीमती विजयराजे सिन्धिया
श्री कमल नारायण सिंह

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है । सदस्यों को तदनुसार सूचना दे दी जायेगी ।

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब पं० श० देशमुख द्वारा २-९-१९५८ प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा करेगी :

"मनीपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित कुछ विधियों के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

श्री लै० अचौ० सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि कब तक लोगों को इस सदन को त्यागने के लिये बाध्य किया जाता रहेगा ? इस मुल्क में भुखमरी फैली हुई है, लोग जहर खा खाकर मर रहे हैं । और हम कब तक इस चीज़ को बरदाश्त कर सकते हैं ? आप कब तक लोगों को मजबूर करेंगे कि वे .....

†**अध्यक्ष महोदय** : वहां राज्य सरकार मौजूद है । आप उस से जाकर कहिये ।

†**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की नहीं ।

इसके पश्चात् माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये ।

†**श्री ले० अचौ० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : वर्तमान विधेयक का उद्देश्य त्रिपुरा और मनीपुर के सहकारी समिति अधिनियमों के स्थान में बम्बई व आसाम के तत्सम्बन्धी अधिनियमों को रखना है । १९५० के संघ क्षेत्र विधियां अधिनियम से अन्य राज्यों के अधिनियम संघ क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं लेकिन उनके अधिनियम रद्द नहीं हो सकते हैं यह शक्ति इस अधिनियम से दी गई है। इस में एक बचाव खंड भी है जिससे पहिले अधिनियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

हम लोग इस समय विभिन्न विकास परियोजनाओं में लगे हुए हैं । अतः सहकारी प्रणाली का पुनर्निर्माण आवश्यक है ।

जहां तक हमारे क्षेत्र में सहकारी समितियों के विकास का प्रश्न है, ये समितियां १९४७ में प्रारम्भ हुई थीं जब कि आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण लगा हुआ था लेकिन बाद में जब इन वस्तुओं पर विनियंत्रण हो गया तो ये सहकारी समितियां भी अपने आप समाप्त हो गईं ।

तत्पश्चात् वहां उत्पादक समितियां खुलीं लेकिन वे असफल रहीं । सहकारी विभाग का सारा रुपया कर्मचारियों की संख्या की वृद्धि में ही समाप्त हो गया । कर्मचारियों में भी पक्षपात, तथा असंतोष के कारण कार्य संतोषजनक गति से नहीं चल रहा है ।

एक ओर समितियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो दूसरी ओर समितियां समाप्त भी हो रही हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ३२३ समितियां थीं जब कि ३० नवम्बर १९५७ में इनकी संख्या २७३ ही रह गई ।

संख्या में कमी का एक प्रमुख कारण वहां का पंजीयक भी है । वहां लोग केवल रुपया पाने के लिये ही सहकारी समितियां खोल लेते हैं और फिर धन का दुरुपयोग करते हैं । कुछ तेल पेरने और हाथ से धान कूटने की सहकारी समितियों को बिना उनके काम की जांच किये सहायता दी जाती रही है । वस्तुतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उक्त पंजीयक और सहकारी विभाग के कार्य की जांच करें ।

मनीपुर में एक एम० डी० वी० सहकारी बैंक खुला था । बार बार मांग करने के बावजूद भी उसे ऋण नहीं दिया गया । अब एक केन्द्रीय सहकारी बिक्री समिति खुली है । मैं इसकी स्थापना का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको अवश्य सफलता प्राप्त होगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

जहां तक आसाम अधिनियम के मनीपुर और त्रिपुरा में लागू होने का प्रश्न है, आसाम का तत्सम्बन्धी अधिनियम दोषपूर्ण है क्योंकि उस में पंजीयक को व्यापक और सर्वोपरि अधिकार दिये

---

†मूल अंग्रेजी में

गये हैं। बम्बई का अधिनियम इस सम्बन्ध में इससे अच्छा है क्योंकि उसमें पंजीयक के विरुद्ध अपील करने का उपबन्ध है ।

तथापि मैं केन्द्रीय सरकार से यह अपील करूंगा कि भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न अधिनियमों को वहां लागू करना उचित और लाभकारी नहीं है । इससे वहां और गड़बड़ी फैलती है । इसलिये सरकार को क्षेत्रीय परिषदों को यह शक्तियां देनी चाहिए कि वे वहां की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त विषयों में कानून बनायें ।

†**श्री दशरथ देब** (त्रिपुरा): मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि वर्तमान अधिनियम स्थिति का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। हम लोगों की यह मांग रही है कि इन पुराने विधानों का संशोधन होना चाहिए ताकि स्थानीय स्थिति का समुचित ढंग से सामना किया जा सके । मंत्री महोदय को सभी अधिनियमों को चर्चा के लिए संसद् के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, ताकि उसका पूरा परीक्षण किया जा सकता । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इतनी शीघ्रता से हमारी स्वीकृति क्यों प्राप्त करना चाहते हैं ? मेरी प्रार्थना है कि आगे से संघ क्षेत्रों के किसी भी विधान को प्रस्तुत करते हुए उन्हें संसद् को उस पर चर्चा करने का पूरा अवसर देना चाहिए ।

मैं त्रिपुरा के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में वहां स्थिति क्या है । गत वर्षों में वहां बहुत सी सहकारी समितियां बन गयी हैं । इनकी संख्या लगभग ४०० तो होगी ही । मुख्यत: देहाती ऋण के साथ ही इनका सम्बन्ध है । इस क्षेत्र में ७७ प्रति शत लोग खेती करते हैं । यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है अत: सहकारिता के विकास के लिए काफी गुंजाइश है । लोग साहूकारों से काफी तंग हैं । वे बहुत अधिक ब्याज लेते हैं । यदि सहकारी समितियों के विकास अथवा भूमि-बंधक बैंकों की स्थापना द्वारा किसानों की सहायता की जाय तो बहुत अच्छी बात होगी । अभी तक यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि इतनी संख्या में होते हुए भी ये सहकारी समितियां कोई ोस आधार पर नहीं चल रही हैं । सहकारिता अधिकारी प्राय: इन संस्थाओं के कामों में हस्तक्षेप करते रहते हैं । पुनर्वास विभाग की लगभग ७५ सहकारी समितियों में अधिकारियों का ही बोलबाला है । सामान्य जनता को उनमें सम्मिलित नहीं किया जाता और सारा काम कागजी ही रहता है । सहकारिता अधिकारी कई नाजायज बातें करते रहे हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि यह उपरोक्त ७५ सहकारी समितियां लगभग अस्तित्वहीन हो कर रह गयी हैं । अत: मेरा मत है कि केवल बम्बई सहकारी समिति अधिनियम के लागू करने से ही काम नहीं चलेगा । सरकार को यह व्यवस्था करनी होगी कि सामान्य जनता इसमें भाग ले ।

सहायता और पुनर्वास विभाग की सहकारी समितियों के सम्बन्ध में यह पता चला है कि इनको जो रुपया दिया जाता है, उसका लेखा परीक्षण भी समुचित ढंग से नहीं किया जाता । पता नहीं लेखा परीक्षण का कोई उपबन्ध है भी या नहीं । क्या पता चल सकता है कि इस दिये गये धन का सदोपयोग होता है या दुरोपयोग । जब इन लोगों से पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि यह सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आता है, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है । मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में खातों का तुरन्त लेखा परीक्षण करवायें ।

अगरतला में केन्द्रीय क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थापना की गयी है, परन्तु इस में सब सहकारी समितियों के प्रतिनिधि नहीं लिये गये । यह सब अधिकारियों द्वारा ही किया गया और इस में उन्हीं लोगों को चुना गया जो अधिकारियों को पसन्द थे । सहकारिता अधिकारियों और

---

†मूल अंग्रेजी में .

[श्री दशरथ देब]

त्रिपुरा प्रशासन के जिलाधीश ने इस में पूरा भाग लिया । केवल कुछ बदनाम और काला बाजार करने वाले व्यापारी ही इससे लाभ उठा रहे हैं, और लाखों पया इन्हें दिया जा चुका है । मेरा सुझाव यह है कि सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को लेकर ही सरकार को केन्द्रीय क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थापना करनी चाहिए । यह बड़ा अच्छा काम करेंगी और लोगों को भी इससे लाभ होगा । आज तो अवस्था यह है कि सहकारिता अधिकारी का बड़ा भाई ही सहकारी समिति का मालिक बना हुआ है इसी प्रकार वहां एक परिवहन सहकारी समिति है, उसे लाखों मिले हैं, परन्तु उसकी अवस्था भी ऐसी ही है । इस में भी अधिकारी महोदय के बड़े भाई का बोलबाला है । केन्द्रीय सरकार को इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि लोगों ने राशन वितरण के लिए एक सहकारी समिति बनाने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे राशन वितरण की अनुमति ही न दी गयी । परन्तु एक व्यक्ति विशेष को राशन वितरण की आज्ञा दे दी गयी । यह हालत है, इसलिए यदि सरकार सचमुच चाहती है कि सहकारिता का विकास हो और देहाती क्षेत्रों की समुचित देखरेख की जाय तो सरकार को अपेक्षित प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम बनाना चाहिए ।

बेलोनिया सब डिवीजन के जुलाईबाड़ी क्षेत्र में एक सहकारी समिति बहुत ही अच्छा काम कर रही है । प्रत्येक वर्ष उनका लेखा परीक्षण भी हो रहा है । उन्होंने कम कीमत पर चावल खरीद कर स्टाक में रखा और जब त्रिपुरा में खाद्य संकट आया तो इस सहकारी संस्था ने स्वयं ही सरकार को २० से २२ रूपये मन पर चावल देने की पेशकश की जब कि मंडी में उस समय भाव ४० से ४५ रुपये मन था । परन्तु सरकार ने उन्हें अगरतला चावल ले जाने की अनुमति नहीं दी । वह सरकारी गोदामों में चावल भेजने को तैयार थे ।

आदिम जाति कल्याण विभाग ने भी कुछ सहकारी संस्थाओं का निर्माण किया है, इस में भी सरकारी कर्मचारियों को ही पदाधिकारी निर्वाचन किया जा रहा है । जिन लोगों ने अंश खरीदे हैं उनको पूछा भी नहीं जा रहा है । जब मैं ने पुनर्वास मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम काफी पया दे रहे हैं, और शरणार्थी एक दूसरे को जानते नहीं, अतः नियंत्रण का कार्य अधिकारियों के सपुर्द किया गया है । परन्तु ध्यान पूर्वक देखा जाय तो युक्ति निराधार है सामान्य जनता के सहयोग के बिना आप सहकारिता का विकास कैसे कर सकेंगे । ऐसे हालात में ही प्रायः सहकारी समितियां हानि उठाने के बाद असफल होकर रह गयी हैं । मंत्री महोदय को मामले के इस अंग की ओर समुचित ध्यान देकर समस्त दोषों को दूर करना होगा ।

ये सहकारिता अधिकारी कानून और नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं । समितियों के पंजीकरण में भी भेदभाव का व्यवहार किया जाता है । यदि सहकारिता अधिकारी की मर्जी न हो, तो सहकारी समिति को रजिस्टर ही नहीं किया जाता । चार-चार वर्षों के रजिस्टर होने के आवेदन-पत्रों पर कुछ कार्यवाही नहीं हो पाई है । मेरा सुझाव है कि त्रिपुरा के इलाके में भूमिहीन लोगों को सहकारिता के आधार पर भूमि दी जानी चाहिए । पर ऐसी कोई सहकारी संस्था अभी तक नहीं है । नियमों में कुछ ऐसी ढील भी दी जानी चाहिए कि गरीब लोग भी सहकारी समितियों के सदस्य बन सकें । यद्यपि एक वर्ष पूर्व कृषि सहकारी बैंक स्थापित किया गया था, परन्तु इसमें लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार पूंजी की व्यवस्था न हो सकी । मेरा सुझाव है कि इस प्रकार का सहकारी बैंक बनाया जाना चाहिए । भूमि पर उन्हें कर्जा मिलना चाहिए । इस प्रकार की संस्था सहकारिता के आधार पर इस क्षेत्र में बहुत भारी कार्य कर सकती है ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट): मैं यह समझ नहीं सका कि वर्तमान मनीपुर अधिनियम को क्यों समाप्त किया जा रहा है और नया अधिनियम क्यों बनाया जा रहा है। मंत्री महोदय ने जो दोष बतलाये हैं वे तो संशोधन द्वारा दूर किये जा सकते हैं। इस प्रकार ८०, ८५ धाराओं का विधान इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना ठीक नहीं। इस प्रकार हमें २०० से अधिक धाराओं को ४ अधिनियमों में रख कर विधान बनाने को कहा जा रहा है। इस प्रकार तो इस मामले की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सकता। अतः मेरा कहना है कि मनीपुर अधिनियम को संशोधन करके ठीक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मनीपुर और त्रिपुरा के अधिनियमों में एकरूपता होनी चाहिए। यदि आसाम अधिनियम मनीपुर के मामले में ठीक था, तो उसे त्रिपुरा के लिए भी उचित समझा जाना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने तो इन क्षेत्रों को आसाम में मिलाने का सुझाव दिया था। हो सकता है कि यह सुझाव अब भी कायम हो।

बम्बई अधिनियम की कठिनाई यह है, कि त्रिपुरा के हालात बम्बई जैसे नहीं हैं। राजनीतिक और आर्थिक हालात के अतिरिक्त सहकारिता के विकास और ऋण उपलब्धता के हालात भी वैसे नहीं हैं। अतः मैं बम्बई अधिनियम को त्रिपुरा के लिए उपयुक्त नहीं समझता। साहूकारों के लाइसेन्स शुल्क को इतना अधिक कम कर देने की बात भी मैं ठीक नहीं समझता।

मंत्री महोदय का कहना है कि इसके लिए त्रिपुरा और मनीपुर की सरकारों की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। क्या इन दो राज्यों की सलाहकार समितियों की राय प्राप्त की गयी है। उनकी राय तो ली ही जानी चाहिए थी। सहकारिता विकास के औचित्य के सम्बन्ध में तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। मुझे केवल यह भय है कि ये दो विभिन्न अधिनियम इन दो क्षेत्रों के लिए उपयोगी नहीं होंगे। इनके लिए आसाम अधिनियम ही ठीक रहता। बम्बई अधिनियम त्रिपुरा के हालात के अनुसार नहीं रहेगा।

श्री बांगशी ठाकुर (त्रिपुरा-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : त्रिपुरा पर इस विधेयक का क्या प्रभाव होगा, इस बारे में मैं कुछ कहूंगा। नये अधिनियम लागू किये जा रहे हैं, कहा गया है कि पुराने अधिनियम ठीक नहीं हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाता हूं कि समय समय पर अपने अधिनियमों में वृद्धि और परिवर्तन करते रहना चाहिए ताकि त्रिपुरा के किसानों के हितों की रक्षा होती रहे। इन लोगों को साहूकारों के पंजे में जाने से बचाना ही चाहिए। इसके लिए राज्य बैंक अथवा रक्षित बैंक के अन्तर्गत भूमि-बंधक बैंक आरम्भ किये जाने चाहिएं, अन्यथा साहूकार तो इस अधिनियम का उल्लंघन करते ही रहेंगे।

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधेयक से उन माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध हुआ जो मनीपुर और त्रिपुरा में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में सहकारी समितियों के कार्य के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। यह प्रश्न किया गया है कि दो क्षेत्रों के लिए दो अधिनियम क्यों अपेक्षित हैं? आसाम अधिनियम को ही मनीपुर और त्रिपुरा दोनों क्षेत्रों में क्यों लागू नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि बम्बई अधिनियम को काफी प्रगतिशील समझा गया है और साथ ही त्रिपुरा में इसकी मांग भी की गयी थी। इसी कारण वहां हम ने इसे लागू किया है। मैं यह भी बता दूं कि मनीपुर और त्रिपुरा की सलाहकार समितियों ने भी इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है। जो अधिनियम हम वहां लागू करना चाहते हैं वे वहां की सरकारों और सलाहकार समितियों को स्वीकार हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पं० शा० देशमुख]

यह तो सम्भव नहीं कि मैं उन तमाम दोषों का उल्लेख करूं जिनका कि माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है । यद्यपि भावना तो क्रांतिकारी परिवर्तन करने की है, परन्तु इससे कोई विशेष क्रांतिकारी परिवर्तन होने नहीं जा रहे । उद्देश्य सीमित ही है, विधेयक द्वारा केवल कुछ दोषों को दूर किया जा रहा है । जिन उपबन्धों द्वारा सहकारिता के सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है, उन्हें हटा दिया जायेगा । अधिकारियों के कुछ और अधिकार भी वापिस ले लिये जायेंगे । मेरे माननीय मित्र ने शिकायत की है कि कई अधिकारी सहकारिता के हित में काम नहीं कर रहे हैं । एक भाई अधिकारी होता है और दूसरा भाई सहकारी समिति चलाना आरम्भ कर देता है । वर्तमान विधान में यह सम्भव था, परन्तु अब यह सम्भव नहीं होगा, क्योंकि हम ने काफी नियन्त्रण लगा दिया है ।

माननीय मित्र ने यह भी शिकायत की थी कि लेखा-परीक्षण भी नियमित रूप में नहीं होता । यह भी हमारा विचार है, नये अधिनियम में नियमित लेखा परीक्षण सम्बन्धी उपबन्ध रखा गया है । तात्पर्य यह कि इस विधेयक का उद्देश्य यह कि सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया जाये । परन्तु प्रत्येक बात तो कानून से सम्भव नहीं । हमें इससे कुछ समितियों को मान्यता देने के काफी अधिक अवसर मिलेंगे और किसानों को काफी धन पेशगी दिया जा सकेगा । इसी उद्देश्य को समक्ष रख कर परिवर्तन किया जा रहा है । सभी जानते हैं कि सहकारी ऋण को काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है । इन दो क्षेत्रों में भी हम इसका कुछ विस्तार कर सकेंगे । हम अपने पथ प्रदर्शन के लिए प्रत्येक बताये गये दोष पर पूर्णरूप से विचार करेंगे, चाहे वह दोष किसी अधिकारी का हो अथवा प्रणाली सम्बन्धी हो । इस बात का आश्वासन मैं अपने माननीय मित्र को दे सकता हूं कि हमारा यह इरादा कभी भी नहीं है कि सहकारिता का नियन्त्रण अधिकारियों के हाथों में हो । हालात के अनुसार हम जितना भी हो सका उसको कम करके सहकारिता और सहकारी समिति की भावना की रक्षा करेंगे । अन्ततः मैं यह कह सकता हूं कि हम इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि सहकारिता को, उसकी सच्ची भावना के आधार पर ही, चलाया जाय ।

श्री अ० च० गुह ने समय की कमी की शिकायत की है, यह ठीक है, परन्तु इससे किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी । हम बने बनाये अधिनियम ले रहे हैं । यदि सविस्तार चर्चा किये बिना भी उन्हें लागू कर दिया जाये तो कोई हानि नहीं होगी । सलाहकार समितियों की स्वीकृति हमारे पास है ही । अतः माननीय मित्र की आपत्ति में कुछ तत्व नहीं है । यदि इन दो अधिनियमों में कोई उपबन्ध ठीक नहीं होगा तो सम्बद्ध सलाहकार समितियां हमेशा हमें उसके बारे में लिख सकती हैं । जो भी परिवर्तन वे करना ठीक समझेंगी, वे कर दिये जायेंगे । यदि इस प्रकार के विधानों के लिए भी हम ने सविस्तार चर्चा का समय लिया, तो मामला असम्भव हो जायेगा । हम ने आवश्यक काट छांट कर दी है । मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मनीपुर के लिए आसाम अधिनियम इस लिए रखा गया है, क्योंकि वह उसके लिए उपयुक्त है, और सलाहकार समिति की मांग भी यही थी ।

भूमि-बंधक बैंकों की मांग भी मैं ने सुनी है और हम देखेंगे कि इस दिशा में क्या किया जा सकता है । अब तक शायद इस बारे में कुछ नहीं किया गया । वहां की केन्द्रीय क्रय-विक्रय समितियों के सम्बन्ध में भी कुछ शिकायत हैं । मैं उनकी देख भाल करने का भी वायदा करता हूं । किसी आधार के बिना इस प्रकार की समिति नहीं होनी चाहिए, यह मैं मानता हूं । प्रत्येक क्षेत्र में इसके लिए प्रतीक्षा तो नहीं की जा सकती । हम ने जनहित में इस परियोजना का प्रयोग किया है । यदि समिति जन हित की रक्षा नहीं करती, तो यह हमारी ही निन्दा है, इस लिए हम उसका पूरा परीक्षण करेंगे और जो भी सुधार सम्भव होगा वह करेंगे ।

एक माननीय सदस्य ने सारे भारत के लिए ही केन्द्रीय क्रय-विक्रय संस्था बनाने का सुझाव दिया है, ताकि मनीपुर और त्रिपुरा का भी पथ प्रदर्शन किया जा सके। उन्हें ठीक परामर्श भी दिया जा सके। हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इस विचार को कार्यान्वित कर के हम क्या सहायता कर सकते हैं।

मैं, सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं कह चुका हूं कि जो भी दोष होंगे उनको दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पुनर्वास विभाग तथा आदिम जातियों के कल्याण विभाग के कार्यों का भी कुछ उल्लेख किया गया, परन्तु मुझे उसकी सारी जानकारी नहीं है। परन्तु यदि किसी बात की छानबीन करनी अपेक्षित हुई तो सम्बद्ध विभागों को लिखा जायेगा और आवश्यक सहायता दी जायेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मनीपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित कुछ विधियों के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर संशोधन कोई नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ४, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ से ४, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री दशरथ देब** : जहां तक बम्बई साहूकार अधिनियम का सम्बन्ध है उस के बारे में परामर्श-दाता समिति ने एक सुझाव दिया था। मैं नहीं कह सकता कि उस सुझाव को इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं। अथवा उसी रूप में माना गया है या किसी अन्य रूप में।

बम्बई सहकारी समितियां अधिनियम के बारे में मेरा यह निवेदन है कि अगर ६ महीने अथवा एक वर्ष की अवधि के बाद उसे अधिक उपयुक्त न पाया जाये तब उसे भी यहां पर चर्चा के लिये लाना चाहिये।

†**श्री ले० अचौ० सिंह** : बम्बई अधिनियम में धारा १८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के विनिश्चय से फिर कोई अपील नहीं हो सकती। परामर्शदाता समिति ने इस धारा के औचित्य पर सन्देह प्रकट किया है। इसलिये मंत्री महोदय को इस धारा में उचित संशोधन करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

हमें मनीपुर में भी साहूकारी व्यापार को नियमित करने के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये क्योंकि वहां पर शहरों तथा गांवों में लोगों की ऋण के कारण बड़ी बुरी दशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख**: ये दोनों विधेयक उन स्थितियों का सामना करने के लिये ही लाये गये हैं जिन का मेरे मित्रों ने अभी-अभी संकेत किया है। हम सहकारी संस्थाओं द्वारा अधिकाधिक ऋण देने की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि किसानों को अत्यधिक व्याज देने के लिये मजबूर न होना पड़े। हम सहकारी संस्थाओं द्वारा कम व्याज पर रुपया देने की व्यवस्था कर रहे हैं। साहूकार अधिनियम भी अत्यधिक ब्याज की प्रवृत्ति को रोकने के लिये बनाया गया है। मैं श्री दशरथ देब जी को बता देना चाहता हूं कि बम्बई साहूकारी अधिनियम को त्रिपुरा की परामर्शदाता समिति के सुझाव के अनुसार संशोधित रूप में ही वहां पर लागू किया जायेगा। इन सुझावों को हम अधिसूचित कर देंगे। उन्हों ने यह भी पूछा है कि अगर यह विधेयक त्रिपुरा की स्थितियों के अनुकूल न हुआ तो क्या हम इसे बदल सकेंगे? निश्चय ही अगर परामर्शदाता समिति तथा लोगों को यह अधिनियम ठीक न जंचा तो हम इस में परिवर्तन करने के लिये हमेशा तैयार हैं। हम उन के सुझावों एवं अभ्यावेदनों पर हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये तैयार हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक राजघाट समाधि अधिनियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। १९५१ में इस समाधि की देखभाल रखने के लिये एक परिनियत समिति बनाई गई थी। जिस समय यह अधिनियम पास किया गया था उस समय यह समाधि दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत थी। किन्तु अब दिल्ली नगर निगम अधिनियम के पास होने के बाद से यह समाधि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आ गई है। १९५१ के अधिनियम के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका का प्रेसीडेंट उक्त समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया था। अब इस विधेयक में उस के स्थान पर दिल्ली निगम के मेयर को इस समिति का पदेन सदस्य नियुक्त करने का उपबन्ध किया गया है।

दूसरे जब यह अधिनियम पास किया गया था। उस समय संसद् का केवल एक सदन ही था। तदनुसार १९५१ के विधेयक में यह उपबन्ध किया गया था कि इस समिति में जो संसद् के दो सदस्य होंगे उन का नामनिर्देशन अध्यक्ष करेगा। अब क्योंकि संसद् के दो सदन हो गये हैं इसलिये यह सोचा गया है कि इस समिति में संसद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिये। क्योंकि सामान्यतया जिन समितियों में संसद् के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधान रहता है वहां लोक-सभा के तथा राज्य-सभा के सदस्यों का २:१ का अनुपात रहता है इसलिये इस विधेयक में यह कहा गया है कि इस समिति में संसद् के तीन प्रतिनिधि होंगे जिन में से दो लोक-सभा के सदस्यों में से चुने जायेंगे और एक राज्य-सभा के सदस्यों में से।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल विधेयक में इस समिति में संसद् के सदस्यों की कार्यकाल अवधि के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया था। अधीनस्थ विधान समिति ने अपनी १९५७ की रिपोर्ट में यह कहा है कि इस समिति में काम करने वाले संसद् सदस्यों की कार्यावधि निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि संसद् के सदस्यों की कार्यावधि उन की संसद् सदस्यता की अवधि के साथ ही समाप्त होनी चाहिये।

अतः ये परिवर्तन लाने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस पर कुछ संशोधन रखे गये हैं। मैं उन के बारे में बाद में प्रकाश डालूंगा। इस समय मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि यह एक सरल सा संशोधन विधेयक है तथा ये संशोधन हम क्यों करना चाहते हैं। अब मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (डरभंगा) : इस विधेयक में समिति में संसद् सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा दिल्ली निगम के मेयर को इस समिति का पदेन सदस्य बनाने का उपबन्ध किया गया है। मैं समझता हूं यह दोनों उपबन्ध समयानुकूल व सर्वथा उपयुक्त हैं। किन्तु मुझे इस विधेयक का शीर्षक ठीक नहीं जंचा। हमें समाधि शब्द के 'महात्मा गांधी' शब्द और जोड़ने चाहिये थे ताकि स्पष्ट हो जाता कि यह विधेयक कौन सी समाधि के बारे में है।

इस विधेयक में संसद् सदस्यों की संख्या २ से बढ़ा कर ३ करने के लिये कहा गया है और साथ ही १ गैर सरकारी प्रतिनिधि भी बढ़ाने के लिये कहा गया है ताकि समिति के सदस्यों की संख्या विषम बनी रहे। इस से पहले इस समिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत ३ ग़ैर-सरकारी प्रतिनिधि हैं। मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इस समिति में मेयर के अतिरिक्त दिल्ली निगम अथवा दिल्ली प्रशासन परामर्शदाता समिति के एक अन्य सदस्य को भी लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सरकार को इस समिति में लगभग ११ सरकारी व ग़ैर-सरकारी सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है। चेयरमैन नियुक्त करने का अधिकार भी सरकार को है। मेरा निवेदन है कि सरकार अपने द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से ही चेयरमैन चुने उसे इन के अलावा बाहर से किसी व्यक्ति को चेयरमैन चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह समिति समाधि की देख-भाल के लिये कुछ व्यक्तियों को नौकर रखती है। उन लोगों को वर्दी, छुट्टी वग़ैरह के लिये सरकारी कर्मचारी समझा जाना चाहिये और उन्हें इस प्रकार का काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के समान सभी सुविधायें दी जानी चाहियें।

†**श्री नाथ पाई** (राजपुर) : यह विधेयक राजघाट समाधि की उचित देखरेख के लिये प्रस्तुत किया गया है। कुछ दिन पहले मैं वहां पर गया था। वहां की दशा बड़ी शोचनीय हो रही है। वहां जाकर हमें यह नहीं लगता कि महात्मा गांधी जैसी महान् आत्मा के स्मारक स्थान पर आये हैं बड़ी रंजिश होती है कि हम राष्ट्रपिता के लिये अपने राष्ट्र की महान् परम्पराओं के अनुकूल समाधि तक नहीं बना पाये। जहां तक कि वहां पर चबूतरे पर जो 'हे हरे हरे राम' शब्द लिखे हुए हैं वे भी गलत लिखे हैं और उन का सीमेंट उखड़ा हुआ है। आखिर हम ने ११ वर्ष से उसकी क्या देखभाल की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

विदेशों में राष्ट्रीय महान् आत्माओं के स्मारक स्थानों पर उन की महानता की स्पष्ट छाप ज्वलन्त रूप में दिखाई देती है किन्तु यहां पर इस तरह की कोई भावना नहीं दृष्टिगोचर होती। राजघाट पर जाने पर हमारे दिल में उस महान् आत्मा की एक भी शिक्षा नहीं प्रस्तुत होती। आखिर यह समिति इतने वर्षों से क्या करती रही है ?

एक बार हमारे प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि इस स्थान को एक राष्ट्र मन्दिर बनाना चाहते हैं जहां से बापू, प्यारे बापू की शिक्षायें सारे संसार में गूंजती हुई दिखाई दें। आज भारत में विदेशों से आने वाला प्रत्येक उच्च पदधारी व्यक्ति राष्ट्र निर्माता बापू के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने जाता है। परन्तु वहां पर बापू के जीवन की एक भी झांकी उसे नहीं दिखाई देती।

मैं समझता हूं इस विधेयक के उद्देश्य सुन्दर हैं। मुझे उन से कोई मतभेद नहीं। किन्तु इस समिति को वहां पर बापू की शिक्षाओं को मूर्तिगत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिये ताकि वहां पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिल में उस महान् आत्मा के प्रति व उस की शिक्षाओं के प्रति एक श्रद्धा तथा आदर की भावना उत्पन्न हो सके।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : इस विधेयक के खंड २ का उपखंड (ख) विशेष महत्वपूर्ण है। इस में राजघाट समाधि की देखरेख के लिये परिनियत समिति में संसद् के ३ सदस्यों के प्रतिनिधान के बारे में उपबन्ध किया गया है। आजकल विभिन्न संस्थाओं तथा सरकारी निगमों में संसद् सदस्यों के प्रतिनिधान का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं में संसद् के प्रतिनिधान के लिये संसद् सदस्यों का किस प्रकार नामनिर्देशन किया जाय ? यह प्रश्न एक बड़े महत्व का प्रश्न है। इस विधेयक में यह उपबंधित किया गया है किये सदस्य निर्वाचन द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे। मैं इस सिद्धान्त की सराहना करता हूं और चाहता हूं कि प्रत्येक ऐसी जगह जहां संसद् के सदस्यों के प्रतिनिधान का उपबन्ध हो संसद् सदस्य निर्वाचन द्वारा ही नामनिर्देशित किये जाने चाहियें। फिर भी मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक में इस सिद्धान्त को किस आधार पर अपनाया है और क्या सभी स्थानों के लिये भविष्य में इस सिद्धान्त का पालन किया जायेगा ?

दूसरी बात मैं बिल के नामकरण के बारे में जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह नाम राजघाट के स्मारक का महात्मा गांधी के अन्य स्थानों पर स्मारकों से विभेद करने के लिये चुना गया है अथवा यह महात्मा गांधी की समाधि के लिये बनाया गया है। सरकार राजघाट अथवा महात्मा गांधी में से किस चीज़ पर अधिक बल देना चाहती है ? इस विधेयक में महात्मा गांधी का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया ?

†**श्री आचार** (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम के अनुसार इस समिति में पहले ९ सदस्य होते थे, उन में से ६ बल्कि ८ सरकार द्वारा मनोनीत होते थे। अब इस संशोधन विधेयक के पश्चात् समिति के ११ सदस्य होंगे जिन में ४ निर्वाचित होंगे और शेष ७ सरकार द्वारा मनोनीत। मैं प्रजातंत्र के इस युग में मनोनीत करने के सिद्धान्त का विरोधी हूं। मैं समझता हूं इस समिति में अधिक से अधिक संख्या निर्वाचित सदस्यों की रखनी चाहिये। एक या दो सरकारी व्यक्तियों को मनोनीत करना पर्याप्त हो सकता है। मुझे आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक के बारे में श्री नाथ पाई द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूर्णतया सहमत हूं।

---

† मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक के नामकरण में महात्मा गांधी के नाम का न होना एक बड़ी खटकने वाली बात है। आखिर हम राजघाट की यादगार को ताज़ा नहीं करना चाहते। हम राष्ट्रपिता गांधी की यादगार को हरा रखना चाहते हैं। मंत्री महोदय को इस स्तर पर भी इस चूक को ठीक करने का विचार करना चाहिये।

सरकार ने अब इस समाधि के लिये अन्तिम रूप से नमूनों का निर्णय कर लिया है। इसलिये उन के बारे में तभी कुछ कहा जा सकता है जब वे पूर्णतया तैयार हो जायेंगे। मगर हमें इस बीच में भी उस स्थान की पवित्रता तथा सुन्दरता का ध्यान रखना चाहिये। लोग अब भी वहां पर प्रातः और सायं दिशा शौच आदि के लिये बैठ जाते हैं। कुछ लोग वहां जाकर ताश व जुआ खेलते हैं। सरकार को इन की रोकथाम का पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

मैं अपने पूर्व वक्ता की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार को सभी मनोनीत सदस्यों की बजाय निर्वाचित सदस्य रखने चाहियें। वास्तव में इस समिति के वही सदस्य होने चाहियें जिन का जीवन गांधी जी की उच्च शिक्षाओं से ओत प्रोत है। वे अपने आप कभी निर्वाचन नहीं लड़ना चाहेंगे। इसलिये उन को आगे लाने के लिये सरकार के पास यह अधिकार रहना आवश्यक है।

गांधी समाधि पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, छुट्टी के नियम व वर्दी वगैरह के नियम सरकारी कर्मचारियों की भांति होने चाहियें।

गांधी समाधि पर इस समय जूतों व सामान इत्यादि की देखरेख का कोई उचित प्रबन्ध नहीं। प्रायः लोगों का सामान वैसे ही पड़ा रहता है। उस की कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। कई बार लोगों की जूतियों व सामान की चोरी हो जाती है।

इसी प्रकार वहां पर जो दानपात्र पड़ा हुआ है उस में कई बार लोग नोट आदि डाल देते हैं। वह सन्दूक वहां पर वर्षा व आंधी में पड़ा रहता है। उस के अन्दर पानी चला जाता है और नकदी व नोट वगैरह खराब हो जाते हैं। समिति को वहां पर कोई वाटर प्रूफ बाक्स अथवा उस बाक्स की वर्षा आदि के पानी से रक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

इस समय समाधि पर प्रत्येक शुक्रवार को ताज़ा फूल चढ़ाये जाते हैं। मैं समझता हूं हमें प्रति दिन वहां पर ताज़ा फूल चढ़ाने की प्रथा बनानी चाहिये। वहां पर कोई पुजारी नियुक्त करना चाहिये जो उचित समय पर प्रातः व सायं वहां पर धूप, दीप आदि जलाये जिस से चारों ओर के वातावरण में शुद्धता व पवित्रता की झलक मिल सके और लोग वहां पर एकाग्रता से पूजा कर सकें।

इस समय समाधि के इर्द गिर्द पीने के ठंडे पानी की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। गर्मियों में एक प्याऊ होता है। गेट पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। नई दिल्ली नगरपालिका इन सब बातों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। यदि हम उस स्थान की पवित्रता की उचित रूप से संधारण करना चाहते हैं तो हमें वहां पर इन सब चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में श्री राधा रमण तथा श्री नाथ पाई द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा नई दिल्ली नगरपालिका के स्थान पर दिल्ली निगम के मेयर को समिति का सदस्य बनाने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। हर विषय में सदस्यों को निर्वाचन द्वारा मनोनीत करने के सिद्धान्त

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० सुशीला नायर]

का मैं विरोध करती हूं और खास कर वर्तमान विषय में। मैं समझती हूं मनोनीत करने का सिद्धान्त ठीक है। क्योंकि जो लोग गांधी की शिक्षाओं पर चलने वाले हैं वे ऐसे चुनाव नहीं लड़ना चाहते।

गांधी जी की समाधि के इर्द-गिर्द अच्छा वातावरण रखने के लिये हमें लोगों के वहां पर प्रवेश अधिकार के सम्बन्ध में कुछ विनियम बनाने चाहियें।

गांधी जी की समाधि पर काम करने वाले कर्मचारियों का संवरण भली भांति होना चाहिये। मेरे विचार में बुनियादी शिक्षा विभाग से हमें इस काम के लिये उपयुक्त व्यक्तियों का संवरण चाहिये। ये ऐसे लोग होने चाहियें जो केवल लोगों के जूतों व सामान की देखभाल ही न करें बल्कि वहां पर जाने वाले लोगों को गांधी जी की शिक्षाओं व जीवन के बारे में भी कुछ बता सकें। जो लोग भी वहां जायें उन्हें चुपचाप रहने व शोर न मचाने की आदत डालनी चाहिये। इस के लिये लोगों को विनम्रता से सचेत करना चाहिये।

हमें गांधी समाधि की परिसीमाओं में एक बुनियादी शिक्षा का स्कूल खोलना चाहिये। यह संस्था ईंटों और चूने के स्मारकों से उस महान् आत्मा की शिक्षाओं का कहीं अधिक प्रभावशाली तथा जीवन्त स्मारक होगी। वहां ऐसे स्थान होने चाहियें जहां दुबले पतले अपांग बच्चे अपने शरीर तथा आत्मा को बलवान बना सकें।

वहां पर एक अजायबघर बनाया जा रहा है। यह केवल वस्तुओं और पदार्थों की प्रदर्शनी मात्र ही नहीं होनी चाहिये। वहां पर खादी के प्रचार के लिये हो रहे कार्य का सक्रिय प्रदर्शन होना चाहिये।

समाधि के ठीक पीछे ही गंदी बस्तियां बसीं हुई हैं जिन के उद्धार के लिये गांधी जी जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे। सरकार को सर्वप्रथम वहां की गन्दी बस्तियों को हटाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे बहुत कुछ कहना है सब से पहिले तो इस विधेयक के नाम का प्रश्न है। इस का नाम राजघाट समाधि ठीक नाम नहीं है। आने वाली पीढ़ी राजघाट समाधि का अर्थ क्या समझेगी। अतः इस का नाम गांधी समाधि होना चाहिये। इस समय जहां पर गांधी समाधि है वहां जमुना की बाढ़ का हमेशा भय रहता है। अतः मेरा सुझाव है कि यह समाधि कहीं और बनाई जाये। अच्छा हो कि इसे भंगी कालोनी के पास वाली पहाड़ी के पास कहीं बनाया जाये ताकि बाढ़ के खतरे से मुक्त हो जाये।

बड़े खेद की बात है कि आज गांधी जी की मत्यु को ११ वर्ष हो गये पर उनका कोई समुचित स्मारक अभी तक नहीं बन पाया है। अतः इस सम्बन्ध में हमें शीघ्रता करनी चाहिये। राजघाट के कर्मचारियों की कुछ शिकायतें हैं कि उन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। अतः निवेदन है कि राजघाट समाधि के कर्मचारियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाये जैसाकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ होता है। राजघाट की देख भाल करने वाली समिति में सरकारी सदस्यों तथा गैर-सरकारी सदस्यों के बीच कोई भेदभाव किया जाना समुचित नहीं।

अन्त में मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि समाधि को और भव्य बनाया जाये। वहां का गन्दा नाला ढक दिया जाये। दिल्ली गेट से वहां तक एक अच्छी सड़क बना दी जाये। मुझे आशा है कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, गांधीजी की समाधि की व्यवस्था और देख-भाल करने के सम्बन्ध में जो सलाहकार समिति बनेगी, उस में कुछ सदस्यों की नियुक्ति करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । जैसाकि श्री श्रीनारायण दांस ने कहा है, दिल्ली को दो अंगों में विभाजित किया जा सकता है—एक नगर निगम और दूसरा दिल्ली प्रशासन । जहां तक नगर निगम का सम्बन्ध है, जब हम नगर निगम के महापौर—मेयर— को कमेटी में ले लेते हैं, तो निगम के प्रतिनिधित्व का प्रश्न तो पूरा हो जाता है । दिल्ली प्रशासन से संबंधित एक सलाहकार समिति बनी हुई है, जिस के अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री जी हैं । मैं समझता हूं कि यदि सलाहकार समिति के सदस्यों को भी इस में सम्मिलित कर लिया जाता, तो वह बहुत उपयुक्त होता । इस विधेयक में केन्द्रीय सरकार द्वारा चार सदस्य नामीनेट किये जाने की भी व्यवस्था की गई है । उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि जो चार सदस्य लिये जायें, वे इस प्रकार के होने चाहियें कि गांधी जी के विचारों में उन की आस्था हो और वे गांधीजी की विचार-धारा में विश्वास रखते हों । अगर ये चार सदस्य प्रशासन की दृष्टि से या टेक्निकल विशेषज्ञ होने की दृष्टि से रखे जायेंगे, तो उन से वह महत्व या प्रभाव नहीं होगा, जो कि गांधीजी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को रखने से होगा ।

जहां तक समाधि का सम्बन्ध है, जब कोई व्यक्ति वहां जाता है, तो दिल्ली दरवाज़े से चल कर उस को सबसे पहले गन्दे नाले के दर्शन होते हैं । एक परम पवित्र और पावन स्थान पर जब हम जायें, तो यह आवश्यक है कि ज्यों ज्यों हम उस ओर बढ़ते जायें, हमारे मन में पवित्रता बढ़ती जाय, हमारा मन उस शान्त और पवित्र वातावरण से प्रभावित हो और हम में श्रद्धा के भाव उत्पन्न हों । इस तरह का वहां का वातावरण होना चाहिए, लेकिन आज यदि हम दिल्ली गेट से चलते हैं, तो बड़ा विचित्र सा लगता है । एक तरफ़ तो फुटबाल का मैदान है, जो कि थोड़े दिनों के लिए ओपन-एयर सिनेमा बन जाता है, जहां शाम के वक्त बड़ा हो-हल्ला मचता है । दूसरी तरफ़ गन्दा नाला बहता रहता है । उसके आगे जायें, तो बहुत सी झौंपड़ियां पड़ी हुई हैं, एक गन्दी बस्ती बसी हुई है, जिसका वातावरण बहुत ही घिनौना है और उसके साथ यदि हम समाधि का मेल करें, तो बड़ा विचित्र लगता है । वहां पर कूड़ा और गन्दगी पड़े रहते हैं और म्यूनिसिपल कमेटी का रेफ्यूज़ वहां डाल दिया जाता है । एक तरफ़ जमुना है, लेकिन अगर वह न होती, तो उस ओर भी यही दशा होती । मैं माननीय मन्त्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम समाधि की देख-भाल करें, वहां यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि वहां के चारों ओर के वातावरण में परिवर्तन होना चाहिए । वहां इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि जो व्यक्ति वहां जाये, उसके मन में पवित्रता उत्पन्न हो और श्रद्धा जाग्रत हो । जहां तक बापू की समाधि का सम्बन्ध है, इस देश के निवासी तो उसको बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते ही हैं, परन्तु बाहर से, दूसरे देशों से जो लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं, वहां जाते हुए उन के मन में क्या भाव उत्पन्न होंगे ? जहां तक मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है, मैं समझता हूं कि जो इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, उन के लिए सरकार काफ़ी कुछ प्रयत्न करती है और उनके विकास के लिए काफ़ी खर्च करती है । मैं पिछले छः साल से यहां लोक सभा में सदस्य बन कर आया हूं और मैंने देखा है कि राजघाट समाधि के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न किए जाते हैं कि वह कब बनेगी, कैसे बनेगी, कैसा कैसा मैटीरियल लगेगा, इत्यादि । हर बार मन्त्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि अभी नक्शा तैयार नहीं हुआ है, नक्शों की प्रदर्शिनी हो रही है, माडल बन गए हैं, उनकी प्रदर्शिनी हो रही है, इत्यादि । अब सुनते हैं कि वह माडल भी तैयार हो गया है, स्वीकार भी कर लिया गया है, किन्तु उसका निर्माण कब किया जायगा, कब यह काम हाथ में लिया जायगा, यह समझ में नहीं आता है । हो सकता है कि इस सम्बन्ध में यह कहा जाय कि पैसे की कमी है । मैं नहीं समझ सकता कि जब अशोका होटल और बड़े बड़ दफ्तर बन सकते हैं, तो फिर राजघाट की समाधि का विकास

[श्री नवल प्रभाकर]

क्यों न हो, जो कि हमारे लिए एक परम पवित्र स्थान है। आखिर वहां पर इमारत का निर्माण कब प्रारम्भ किया जायगा ? मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस इमारत को देश के कोटि कोटि लोग देखना चाहते हैं। उसका आविर्भाव शीघ्र होना चाहिए। बापू जी जहां जहां जाते थे, जन जन के मन में उनके भाव और उनके विचार व्याप्त होते थे। आज इस देश के लोग यह देखना चाहते हैं कि उनकी भावनाओं और उनके विचारों के अनुरूप आज वह समाधि तैयार होती है या नहीं। मैं माननीय मन्त्री जी से फिर कहना चाहता हूं कि समाधि की जो रूपरेखा आपने तैयार की है, उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाय और समाधि का निर्माण किया जाय।

†**श्री नंजप्पा** (नीलगिरि): इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि समाधि समिति में दिल्ली को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। विधेयक में कहा गया है कि दिल्ली नगरपालिका निगम का मेयर इस समिति का पहले सदस्य होगा पर मेरा सुझाव है कि निगम के एक सदस्य को इस समिति में प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जाना चाहिए। इस आशय का एक संशोधन मैंने दिया है।

गांधी जी की समाधि का नाम "राजघाट समाधि" है। इस नाम के लिए कुछ लोगों ने आपत्ति की है उनका कहना है कि इसका नाम 'गांधी समाधि' होना चाहिए। पर मैं सोचता हूं कि जो नाम समाधि का है वह गांधी जी के जीवन के उद्देश्य के अनुकूल ही है।

कुछ व्यक्तियों ने यह भी कहा कि समाधि के आसपास की स्थिति अच्छी नहीं है। खैर, मुझे खुशी है कि उनके मन में यह भावना तो पैदा हुई, पर अब की स्थिति ठीक है। हमें वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने जाना चाहिए न कि राजघाट देखने के लिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि समाधि की समिति में गांधी जी के अनुयायियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये। पर ये प्रतिनिधि कब तक जीवित रहेंगे। अतः मुझे इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि सरकारी और गैर-सरकारियों को कितना प्रतिनिधित्व मिले। समिति का काम तो समाधि की देखभाल करना और उसका प्रबन्ध करना है। अतः मेरा निवेदन है कि दिल्ली निगम का कम से कम एक सदस्य इस समिति में अवश्य लिया जाये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): मैं उन सदस्यों में से एक हूं जिनका यह मत है कि विधेयक का नाम राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक के स्थान पर महात्मा गांधी समाधि रखा जाये। गांधीजी की समाधि के सम्बन्ध में हमारी भावनायें कुछ ऐसी होनी चाहियें जिससे संसार को पता लग जाये कि हम, यानी भारतवासी राष्ट्रीयता का सम्मान किस प्रकार करते हैं। आज यदि हम समाधि को देखने जायें तो हमें बड़ी निराशा होती है क्योंकि समाधि की हालत बहुत खराब है। उसमें दरारें पड़ गई हैं परन्तु उसकी देखभाल ठीक नहीं होती। हमारा लोक निर्माण विभाग अशोक होटल को तो बहुत शानदार ढंग से सजा कर रखता है और उसकी देखभाल करने के लिए हज़ारों लोग लगे हैं। किन्तु समाधि की, जहां इतने विदेशी दर्शक आते हैं, हालत पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता।

हमें समाधि को एक स्मारक भवन के रूप में बनाना चाहिए। दरवाज़े से समाधि तक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे भवन के अन्दर जाने वाले व्यक्तियों को यह अनुभव हो सके कि वह राष्ट्रपिता के पुनीत स्मारक भवन में घुस रहे हैं। इसीलिए मेरा यही कहना है कि संसद् को इसके निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि को स्वीकार कर लेना चाहिए। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह कुछ प्रशासनिक बातों को ठीक करने के लिये लाया गया है और उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो समाधि के निर्माण के बारे में यह चाहता हूं कि यहां एक स्मारक भवन इस प्रकार

---

†मूल अंग्रेजी में

का बनाया जाना चाहिए जिसको देश के चारों ओर से लोग देखने आयें और जो वास्तुकला का एक नमूना हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे और इसका समर्थन करेंगे।

श्री रंगा (तेनालि) : मैं श्री कृष्णन् नायर के इस सुझाव से पूरी तरह से सहमत हूं कि इसे महात्मा गांधी समाधि कहा जाये। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सुन्दर भवनों और सुन्दर स्मारकों को कोई महत्व नहीं देते। हमारे देश में शानदार इमारतें बनती चली आई हैं। और यही वजह है कि हमारे यहां ताजमहल जैसी आकर्षक इमारतें हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसलिये यह कहना ठीक नहीं होगा कि महात्मा गांधी के स्मारक के लिये किसी भवन को बनाने की आवश्यकता नहीं। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमने इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया है। अशोक होटल जैसे भव्य भवन हमने बनाये, मैं इस पर आपत्ति नहीं करता लेकिन आप ही सोचिये कि क्या हमारे राष्ट्रपिता की एक उपयुक्त समाधि बनाना इतना मुश्किल काम था जो आज दस वर्ष बीत जाने पर भी पूरा नहीं हो पाया है। पूरा होना तो दूर रहा अभी डिज़ाइन तक तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि ये हमारी सरकार के लिये एक अफ़सोस की बात है।

मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के व्यक्ति इस बात में एकमत हैं कि हमारे राष्ट्रपिता की शानदार और उपयुक्त समाधि बनाई जाये। समाधि की भूमि बढ़ा कर हमें चारों ओर सुन्दर भवन बनाने चाहियें जिससे सारा स्थान दूर से ही अच्छा लगे। कम से कम इसके आसपास ऐसी कुछ इमारतें भी बनायी जानी चाहियें जहां दर्शनार्थी आकर रुक सकें। सरकार को इस प्रकार का भवन बनाने के लिए पहले ही आगे बढ़ना चाहिए था परन्तु बड़े खेद का विषय है कि इतने समय के पश्चात् भी अब तक कुछ नहीं किया गया है।

मुझे प्रसन्नता है कि गांधी साहित्य, आदि के नाम पर वहां कुछ भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वहां पर एक अजायबघर भी था मैं चाहता हूं कि उसको स्थायी बना दिया जाये। मेरी सरकार से अन्त में यही प्रार्थना है कि इस प्रश्न को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने जो अभी बोल कर चुके हैं, सरकार की इस बात की आलोचना की है कि उपयुक्त स्मारक भवन के बनाने में बहुत देर कर दी गई है। उनका यह कहना ठीक है। परन्तु यह एक बड़ा कठिन प्रश्न हमारे सामने रहा है; इस सम्बन्ध में लोगों के बड़े अलग अलग विचार थे। कुछ लोगों का मत था कि हमें समाधि पर एक विशाल भवन बनाना चाहिए जबकि कुछ लोग इसके विरोधी थे। यह विवाद चलता रहा और बहुत से प्रस्ताव आये, जिन पर विचार किया गया लेकिन फिर वे अस्वीकार कर दिये गये।

इसी बीच कुछ वृक्ष लगाये गये और चबूतरे बनाये गये। वृक्ष तो आकर्षक हैं परन्तु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि चबूतरे आदि जो बनाये गये हैं वह आकर्षक नहीं ह। परन्तु चूंकि हम उपयुक्त परिवर्तन किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिये उनको वैसा ही रहने दिया गया है।

फिर हमने कलाकारों को बुलाया और शायद भारत के अलावा अन्य देशों के कलाकारों को भी बुलाया। इसके डिज़ाइन का चुनाव करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई और हमने प्रथम पुरस्कार शायद १०,००० रुपये देने की घोषणा की। डिज़ाइनों को देख कर एक का चुनाव किया गया लेकिन चुनाव करते समय कलाकारों के नाम डिजाइनों से अलग रखे गये जिससे पक्षपात की कोई गुंजाइश न रह जाये। एक भारतीय चित्रकार का नमूना पसन्द आया। इसकी हमने पूरी तरह से जांच की। समिति के अतिरिक्त हमने अन्य लोंगों की सलाह भी ली। अधिकांश लोंगों न उसे पसंद ही किया तथा कुछ ने नापसंद भी किया। हमने इसमें कुछ परिवर्तनों के सुझाव दिए थे और ये परिवर्तन उसमें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कर दिए गए। परिवर्तन करने में वास्तुकला शास्त्री को कई मास लग गए। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, अन्त में हमने एक विशेष डिज़ाइन को स्वीकार कर लिया, जो कई प्रक्रमों में विभाजित है। इसके पूरे बनने में कई वर्ष लगेंगे। यह एक बड़ा सीधा साधा सा परन्तु फिर भी एक नया सा डिज़ाइन है। मैं यह नहीं कह सकता कि जो इसे देखेगा वह एकदम पसंद कर लेगा परन्तु काफ़ी सोच विचार करने के पश्चात् हमें गांधी जी की समाधि के लिए यह डिज़ाइन बिल्कुल उपयुक्त लगा।

कुछ प्रश्नों के उत्तर में बताया गया कि इसकी लागत ५०,६० अथवा ७० लाख रुपये आयेगी। वास्तव में अधिकांश रुपया मिट्टी खोदने के काम पर व्यर्थ होना था, इसी लिए हमने वास्तु शिल्पी से कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा जिससे अधिक धन व्यय न हो। मेरा विचार है कि अब इसकी लागत आधी रह गई है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि यह एक उपयुक्त स्मारक होगा और गांधी जी के विचारों के अनुरूप होगा।

कुछ व्यक्तियों ने सुझाव दिया कि जमना तक संगमरमर की सीढ़ियां लगाई जानी चाहिएं। मुझे यह सुझाव ठीक नहीं लगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें बहुत देर हो गई है परन्तु यह कोई बहुत अविलम्बनीय महत्व का मामला भी तो नहीं था। जल्दबाज़ी में ऐसी इमारत खड़ी कर देने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं था जिससे बाद में हमें खेद हो। ज्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो स्मारक बनाया जाये वह उपयुक्त हो।

आज हमारे देश में आम लोगों में कला-प्रियता का बहुत अभाव हो गया है। मेरा अभिप्राय कलाकारों या वास्तु-शिल्पियों से नहीं, बल्कि साधारण जनता से है। इसका कारण यह है कि बचपन से ही हमारा पालन कलाहीन वातावरण में हुआ है। इसकी जिम्मेदारी कुछ अंग्रेजी शासन पर है जिसके ज़माने में उच्च स्तर की वास्तुकला का विकास ही नहीं हुआ और कुछ देश के धनियों पर है जिनमें कला के प्रति रुचि का नाम तक नहीं है। इन लोगों ने अपने रहने के लिये या मन्दिरों आदि के लिए विशाल और मूल्यवान भवन बनाये हैं। दिल्ली में एक प्रसिद्ध मन्दिर है, जो चाहे कुछ हो मगर कम से कम कला का नमूना नहीं कहा जा सकता।

तो हमें इस कठिनाई को दूर करना है। लोग हमसे विशाल भवन बनाने, संगमरमर का काम करवाने आदि का सुझाव देते हैं। लेकिन हमारी राय में गांधी जी के लिए यह सब अनुपयुक्त होगा। कुछ का विचार था कि कोई भवन होना ही नहीं चाहिए। मेरा भी अपना यही विचार था कि खुला मैदान हो और उसमें एक बग़ीचा हो। कई तरह की रायें दी गईं। खैर अब हमने जिस डिज़ाइन को पसन्द किया है उसमें भी कोई बड़ी इमारत नहीं बननी है। माननीय सदस्य नमूने को देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रथम प्रक्रम शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा।

यह सुझाव दिया गया और यह एक अच्छा सुझाव है कि जब यह काम आरम्भ हो तो जैसे अन्य काम किए जाते हैं वैसे न हो। सुझाव था कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को इस काम में जितना सम्भव हो सहयोग देना चाहिए, धन को बचाने के ख्याल से नहीं बल्कि इस ख्याल से कि इस काम में सबका कुछ हिस्सा हो। यद्यपि हमने समस्त योजना को स्वीकार कर लिया है, परन्तु फिर भी पहला प्रक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात् और द्वितीय प्रक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व हम इसको फिर ठीक प्रकार से देखेंगे।

जहां तक स्मारक का स्थान बदलने का प्रश्न है मैं समझता हूं कि इस स्थान का कुछ महत्व है और इसके पीछे कुछ भावना है। आप स्मारक को भारत के किसी भी भाग में नहीं बना सकते। रहा जमुना के पानी का सवाल, तो इस सारी ज़मीन को ऊंचा कर दिया जायेगा जिससे बाढ़ वग़ैरा का असर न हो।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : क्या उस स्थान पर जहां महात्मा गांधी के गोली लगी थी, कोई स्मारक बनाने का विचार है ?

†**सभापति महोदय**: इस विधेयक का विषय राजघाट है इसलिये इस समय अन्य बातों को यहां पर न लिया जाये। अन्य बातें अन्य किसी समय उठायी जा सकती हैं।

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : नाम परिवर्तन के बारे में क्या सोचा गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि नाम बदल जाना चाहिए। नाम बदलने में मैं कोई खास बात नहीं देखता हूं क्योंकि महात्मा गांधी का नाम इसमें रखने से उनका यश और नहीं बढ़ जाता है। यह राजघाट पर गांधी जी का स्मारक है। राजघाट का नाम भारत में सभी ने सुना है और यह पुराना नाम है। इसलिये इस विधेयक का नाम राजघाट पर गांधी का स्मारक विधेयक रखने से कोई अन्तर नहीं पड़ जाता है। मेरा तो अपना मत है कि वर्तमान नाम ठीक है।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर): मैं अपने नेता, भारत के प्रधान मन्त्री के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। वास्तव में महात्मा गांधी के चरण जिन जिन स्थानों पर पड़े वे सभी स्थान हमारे लिए बड़े पवित्र हैं और वह स्थान भी उतना ही पवित्र है जहां पर उनकी अन्तिम क्रिया की गई। इसीलिए हम चाहते हैं कि राजघाट समाधि को जहां पर वह इस समय है, वहां से हटाया नहीं जाये, अपितु उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

नाम के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि वर्तमान नाम उपयुक्त नहीं है। इसे राजघाट पर बापू समाधि कहा जा सकता है। जहां जहां गांधी जी की अस्थियां गईं वहां उसे महात्मा गांधी स्मारक का नाम दिया गया है इसलिए हमें यहां पर भी इसका नाम बापू समाधि रखना चाहिए।

मैं राजघाट समाधि पर प्रायः जाता रहता हूं और उस स्थान पर पहुंच कर मुझे गांधी जी के सारे जीवन का स्मरण हो आता है क्योंकि वहां का वातावरण कुछ इसी प्रकार का है। मेरा अपना यही विचार है कि हमें उस स्थान पर सीधा सादा सा स्मारक ही बनाना चाहिए।

हमें प्रयत्न करना चाहिए कि उसके आसपास गन्दी बस्तियां न बसें। इसका मतलब यह नहीं है कि गरीब व्यक्तियों को वहां पर न रहने दिया जाये अपितु उस स्थान को साफ और पवित्र रखने का विचार है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

अन्त में, मेरा कहना है कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि इस सभा से और अधिक सदस्यों को लिया जाना चाहिये। मेरा अपना विचार है कि इस समय जो एक अथवा दो सदस्य नाम निर्देशित किये जाते हैं, वह पर्याप्त हैं और हमें उसके लिये निर्वाचन नहीं करना चाहिये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में श्री नायर के सुझाव का सख्त विरोधी हूं। श्री नायर का कहना है कि समाधि को यहां से हटा कर किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाये। इसलिये ले आया जाये कि यमुना इसे कभी न कभी बहा कर फैंक देगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं.....

†**श्री च० कृ० नायर** : मेरा मतलब मानुमेन्ट (स्मारक) से था। समाधि नहीं हटायी जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह : मानुमेंट (स्मारक) को भी बहाने का सवाल नहीं है। मैं उन की सूचना के लिये बतलाऊं कि यमुना पर वटेश्वर में जो इतना बड़ा घाट बना हुआ है उसे सैकड़ों साल हो गये। वहां पर महाराज भदावर जो थे उन्होंने सैकड़ों साल पहले १०१ मन्दिर बनवा कर यमुना का कोर्स बदल दिया था, और तब से लेकर आज तक वह घाट उसी तरह बना हुआ है। इतनी बाढ़ें आईं लेकिन वह हिलाया नहीं जा सका। इस लिये मेरा यह कथन है कि इस को इस तरह बनाया जाये कि इसके बहने की सम्भावना न रहे। जैसा प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा, उस को ऊंचा उठा कर बनाया जाये और उस के लिये सोचा जाये कि किस तरह उस की रक्षा होगी तो उस के बहाये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। इसलिये मैं कहूंगा कि जो भी समाधि बनानी है और जो कुछ भी मानुमेंट बनना है किसी किस्म का, वह उसी स्थान पर बनना चाहिये। वहां से किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई सवाल नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य कुछ और वक्त लेना चाहते हैं तो वह कल ले सकते हैं।

रेलवे भाड़ा दर जांच समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "रेलवे भाड़ा दर जांच समिति की सिफारिशों तथा सरकार द्वारा उन पर किये गये निर्णयों के वक्तव्य पर, जो १८ अगस्त, १९५८ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

इस प्रश्न पर मुदालियर समिति ने जांच की, रेलवे बोर्ड ने इतना विचार किया किन्तु हम लोगों को विचार के लिये केवल दो घंटे ही दिये जा रहे हैं। इतने थोड़े समय में इस विस्तृत विषय पर पूर्णतया विचार नहीं हो सकता।

ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय मिलना चाहिये तथा माननीय मंत्री को स्वतः प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये।

रेलवे के सरकार के अधीन आने के बाद हम आशा करने लगे थे कि इससे पर्याप्त आय होगी और इस आमदनी को रचनात्मक कार्य में प्रयोग किया जायगा जिससे देश की उन्नति होगी।

मुदालियर समिति को भाड़े की दरों की जांच करने को कहा गया और उन्हें बताया गया कि वे इस बात का ध्यान रखें कि दरें ऐसी हों जो चल सकें तथा आय में भी वृद्धिकारक बन सकें।

प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है। हमारे सामान्य नियति से हमारी यह आवश्यकता पूरी नहीं होती और इसी कारण हमें बार बार विदेशों में ऋण के लिये भागना पड़ता है। किन्तु हमें यह कहीं भी नहीं बताया गया कि निर्यात सम्वर्धन के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

दूसरे रेलवे का भाड़ा देश के पिछड़े भागों के लिये भी उपयुक्त नहीं है। आसाम, राजस्थान तथा बिहार जैसे प्रान्तों में हमें उद्योगों को भी बढ़ाना है अतः भाड़े की दरें वहां के लिये इस प्रकार

---

†मूल अंग्रेजी में

की होनी चाहिये थीं जिनसे वहां के लोगों पर किसी प्रकार का भार न पड़े। इस सम्बन्ध में इस प्रतिवेदन में थोड़ी बहुत बातें होनी ही चाहिये थीं और सरकार ने जो निर्णय इस पर किये हैं उनके लिये भी सरकार को स्पष्ट बातें बतानी चाहिये थीं।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

सरकार अपने निर्णयों के बारे में यह तो बताये कि किस आधार पर उसने समस्त कार्यवाही की है।

यह मैं ने देखा है कि देश के आम लोगों ने सरकार की इस कार्यवाही की सराहना की है कि उन्होंने समिति की सिफारिशों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। बात यह है कि रेलवे मंत्रालय कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं करना चाहता जिससे चीज़ों के मूल्य और भी ज्यादा बढ़ जायें। रेलवे ने वैसे १२ प्रतिशत के अतिकर से लगभग २७ करोड़ रुपया कमाया है। हो सकता है इससे कीमतों पर प्रभाव पड़ा हो किन्तु यह बहुत ही थोड़ा है। महंगाई के अन्य कारण हैं अर्थात् मुद्रास्फीति आदि।

योजना में रेलवे के लिये ११०० करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। किन्तु महंगाई के कारण सम्भवतया १०० करोड़ अतिरिक्त रुपये की और भी आवश्यकता पड़ जाये। किन्तु रेलवे के ठीक बनाये रखने के लिये जितनी राशि इसमें रखी गयी है वह अपर्याप्त है। इस में रेलवे के विस्तार आदि को सम्मिलित नहीं किया गया।

रेलवे जांच समिति ने भाड़े की दरों से वर्तमान सम्मान के यातायात को ध्यान में रखते हुये कहा था कि इससे ३२ करोड़ रुपये की आय होनी चाहिये किन्तु सरकार ने इसे कम कर के ९ करोड़ पर ही सन्तोष किया है। जो लोग देश की आर्थिक अवस्था में ज्यादा उत्साह नहीं रखते वे तो शायद इससे सन्तुष्ट हों किन्तु जो देश से प्यार करते हैं वे यह नहीं चाहते।

आज हमने तो तपस्वी की भांति बलिदान देना है। स्थिति कठिन है। इसलिये आज यदि अपनी लोक-प्रियता को हानि पहुंचा कर हम अधिक कर लगाने का समर्थन करते हैं तो इसका कारण यह है कि हम देश से प्यार करते हैं।

एक और भी बात है। आज केन्द्रीय वेतन आयोग कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के प्रश्न पर विचार कर रहा है। यदि अन्य कर्मचारियों को उसकी सिफारिशों से लाभ पहुंचे तो सरकार को चाहिये कि वह लाभ रेलवे कर्मचारियों को भी पहुंचाए।

रेलवे को अपनी आय से केवल आप को ही सम्हालना नहीं है किन्तु इसे राष्ट्रीय हित का भी कार्य करना है। अतः रेलवे वालों को अपना दृष्टिकोण उदार रखना होगा।

अभी कल ही अतिरिक्त अधिकर लगा है। समिति ने कहा था कि इस प्रकार की अस्थायी कार्यवाही न करके सरकार को चाहिये कि वह स्थायी साधन अपनाये तो सरकार ने उसे नहीं माना। हो सकता है सरकार वेतन आयोग का प्रतिवेदन आने के पश्चात् अगले सत्र में यह कहने लगे कि हमारा कोष खाली हो गया है अतः किराये बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिये। मेरे कहने का आशय यह है कि इस प्रकार देने से क्या लाभ कि एक हाथ से दो और दूसरे से ले लो।

दरों सम्बन्धी न्यायाधिकरण के सभापति के बारे में मुदालयर समिति ने सिफारिश की है कि उसका सभापति न्यायपालिका से सम्बन्ध रखने वाला हो किन्तु उन्होंने ही कहा है कि सामान्यतया न्यायाधीश सामाजिक जागृति का ध्यान नहीं रखते। यह दो परस्पर विरोधी विचार ये भी मेरी समझ में नहीं आये।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : व्यापार तथा वाणिज्य पर रेलवे भाड़ों का प्रभाव आरम्भ से ही महान् रहा है । १९२२, १९३६ तथा १९४२ में भाड़ा दरों के सम्मानीकरण के प्रयास भी हुये हैं । किन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस समिति के निर्देशन पद ऐसे थे जिससे उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान नहीं रखा जा सकता था ।

इस समिति को कहा गया था कि देश की विकासशील परिस्थितियों का ध्यान रख के वह रेलवे भाड़े के पुनरीक्षण पर ध्यान दे । समिति ने सदैव यही बात सामने रखी कि रेलवे का स्थायित्व कैसे बना रहे ।

अब समिति ने सिफारिश की है कि पहले अपनाये गये भाड़े के ढांचे में पुनरीक्षण की आवश्यकता है अर्थात् अधिक दूरी पर कम किराये के मामले में दूरी को और भी कम किया जाये । इसने यह भी कहा है कि माल डिब्बों की कमी रहेगी अतः थोड़ी दूर पर माल ले जाना बंद किया जाये । इसी प्रकार समिति ने अनेक सिफारिशें कीं । किन्तु मुझे इनकी एक सिफारिश बहुत पसन्द आई है कि माल को डब्बों में बदलने तथा यातायात की स्थिति में इधर से उधर ले जाने पर कोई खर्चा न लिया जाय और सीधे दरें निश्चित हो जानी चाहिये ।

जो बात मैं पसन्द नहीं करता वह यह है कि रेलवे भाड़ा जांच समिति ने सिफारिशें करते समय सदैव यही ध्यान रखा है कि ३०० करोड़ की कमी किसी न किसी तरह से पूरी की जानी चाहिये । इस प्रकार समिति ने उपभोक्ताओं के हितों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया ।

मेरे कहने का आशय है कि सरकार ने भाड़े की दरों के पुनरीक्षण के बहाने इन्हें बढ़ाने की सोच ली है । रेलवे भाड़ा दर जांच समिति पर तो ३०० करोड़ रुपये की कमी पूरी करने का ही भूत सवार रहा है ।

सभा यह जानती है कि अवमूल्यन निधि में रेलवे किसी वैज्ञानिक आधार पर धन नहीं दे रही । ४५ करोड़ की राशि कोई महत्वपूर्ण नहीं है । यह ठीक है १९६०–६१ तक इस निधि में ६६ करोड़ रुपये जाने लगेंगे ।

मैं इन बातों से बड़ा हैरान हूं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस तरह से कैसे काम चलेगा । जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तभी सरकार भाड़ा ज्यादा कर देती है । क्या प्रशासन व्यय में कमी नहीं हो सकती ? क्या ईंधन में कम व्यय नहीं हो सकता ? अभी तक सरकार ने यह सिद्ध नहीं किया कि वे कम से कम चीजें रेलवे में इस्तेमाल करके पूर्ण मितव्ययिता से काम ले रहे हैं । अतः मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता ।

अभी तो १२ करोड़ की राशि की ही वृद्धि के लिये सरकार हमारे सामने आई है किन्तु और वृद्धि के लिये भी सरकार हमारे यहां आ सकती है । माननीय मंत्री पहले से ही इस प्रकार की चेतावनियां तो देने लगे हैं ।

अब तक तो माल भेजने वालों को ही यह सिद्ध करना पड़ता था कि माल की चोरी या उसके ह्रास का उत्तरदायित्व रेलवे पर है । यदि माल चोरी हो जाये तो रेलवे वालों पर कोई प्रभाव न पड़ता था । किन्तु अब समिति ने कहा है कि माल ले जाना वास्तव में रेलवे की जिम्मेदारी है और इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ? रेलवे रुपया तो ज्यादा से ज्यादा बटोरना चाहती है किन्तु अपना कर्तव्य पालन भी

---

†मूल अंग्रेजी में

तो उसे करना चाहिये । हम आशा करते हैं कि इसे अधिक रुपया बटोरने का बहाना नहीं बनाया जायगा ।

माननीय मंत्री ने बताया कि रेलवे दर न्यायाधिकरण सम्बन्धी विधेयक पारित हो चुका है । यह ठीक है किन्तु न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को क्यों कम किया गया है । वस्तुओं के वर्गीकरण तथा पुनर्वर्गीकरण का अधिकार इसे दिया जाना चाहिये ।

मैं पुनः यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रुपये की आवश्यकता इसी प्रकार किराये बढ़ा बढ़ा कर ही करती रहेगी ? क्या वह आन्तरिक बचत नहीं करेगी ? सरकार ने व्यापार के सम्बन्ध में कोई भी बात नहीं बताई ।

इसके पश्चात् मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार अवमूल्यन निधि के बारे में क्या नीति अपनाना चाहती है । क्या वह समिति की सिफारिशें मानेगी ? हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे भाड़े की दरों से ही निर्यात को सम्वर्धन प्राप्त हो सके ।

इसके बाद पिछड़े क्षेत्रों में भाड़े की दरों का प्रश्न है । आसाम जैसे अविकसित क्षेत्रों में भाड़े की दरें ऐसी होनी चाहियें जो व्यवहार में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हों ।

मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वह किराया बढ़ा बढ़ा कर जनता को न पीसें । उपभोक्ताओं का भी उन्हें यथोचित ध्यान रखना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : रेलवे भाड़ा दर जांच समिति का प्रतिवेदन अत्यन्त महत्वपूर्ण है । सरकार ने इस पर कतिपय निर्णय किये हैं और वही हमारे सामने हैं । अक्तूबर से कतिपय वस्तुओं पर भाड़ा बढ़ा दिया जायेगा । इसका प्रभाव यही होगा कि बहुत सी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी ।

मैं तो यह समझता हूं कि सरकार का यह कहना कि समिति ने तो ३१ करोड़ की वृद्धि के लिये कहा था किन्तु हम केवल ९ करोड़ की ही वृद्धि कर रहे हैं यह भी न्यायोचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इससे भी तो वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी ।

माननीय मंत्री आरम्भ से ही इस बात के बड़े इच्छुक रहे हैं कि वस्तुओं के भाड़े की आय ज्यादा हो जाये और वास्तव में ऐसा होता भी रहा है । आप प्रति वर्ष के आंकड़े देख सकते हैं । माननीय मंत्री महोदय ने गत आयव्ययक सत्र में यह बात कही थी कि वस्तुओं से भाड़े की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है । १९५६–५७ से लगातार, १९५७–५८ तक २ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । मैं यह आंकड़े इस कारण दे रहा हूं ताकि सभा जान ले कि रेलवे की आय कम नहीं होगी ।

इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय पर पूरे एक दिन के लिये चर्चा होनी चाहिये थी । इतना थोड़ा समय इसके लिये पर्याप्त नहीं है ।

अभी मई में जब रेलवे उप मंत्री मदुरै गये थे तो वहां के व्यापारियों ने उन्हें बताया था कि भाड़े की दरों के बढ़ाये जाने से लागत पर काफी प्रभाव पड़ेगा और इससे व्यापार को धक्का लगेगा । महंगाई भी बढ़ेगी ।

जहां तक भाड़े की आय की वृद्धि का प्रश्न है उसमें तो कोई भी व्यक्ति सन्देह नहीं कर सकता । यातायात बढ़ा है किन्तु इंजन तथा डिब्बे आदि की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई । इसका परिणाम यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

हुआ है कि कर्मचारियों को काम ज्यादा करना पड़ा और उन्हीं डिब्बों का ज्यादा प्रयोग हुआ। किन्तु ये सब चीज़ें एक ही सीमा तक सम्भव है। उन्हीं डिब्बों से हमेशा थोड़ा ही काम चलाया जा सकता है

दूसरे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक वस्तुओं के यातायात की मात्रा पहले से ६१० लाख टन और बढ़ जायेगी और इंजन डिब्बे आदि में जो भी वृद्धि होगी वह इस सारे माल के वहन में अपर्याप्त रहेगी। औद्योगिकरण के युग में यातायात सम्भवतया बढ़ेगा ही। इस प्रकार स्थिति बड़ी संकटपूर्ण हो जायेगी। बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह विचार जांच समिति ने प्रकट किया हैं। इसलिये इसका उपचार यह नहीं कि आप भाड़े को बढ़ाते रहें बल्कि आपको चाहिये कि माल डिब्बों की संख्या को बढ़ायें।

औद्योगिकरण के लिये भारी उद्योगों की महत्ता पर कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि यातायात तथा परिवहन का समुचित प्रबन्ध न हो तो निस्सन्देह इस प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी ही। हमारे यहां की एकीकृत योजना में यह आवश्यक है कि प्रगति सर्वांगीन होनी चाहिये। हमारी समस्या यही है कि हमारे यहां माल डिब्बों की कमी है। चीज़ें ले जाने में पर्याप्त विलम्ब होता है। इसी विलम्ब के कारण चोरियां होती हैं और सामान खराब होता है।

यदि रेलवे का प्रबन्ध दक्षता से चले और यातायात में विलम्ब न हो तो हमें रुपया भी आसानी से उपलब्ध हो सकता है।

सरकार जो भाड़े बढ़ाना चाहती है उस पर उसे पुनर्विचार करना चाहिये।

१९४८ में भाड़े, की दरों का पुनरीक्षण हुआ था। इसके पश्चात् भारतीय प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन आया और उसने कोयले आदि के यातायात के लिये कतिपय रियायतें मांगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह सब रियायतें कहां तक दी गईं? मेरे विचार में उलटा हर दर में वृद्धि हीं हुई है।

१-४-१९५६ को अनाज, दालों, खादी, समाचार पत्रों आदि को छोड़ कर अन्य सामान पर एक आना की वृद्धि की गई। हमें यह कहा गया कि इससे योजना के ५० करोड़ रुपये की कमी को पूरा किया जायगा। इसके अतिरिक्त अधिकर भी लगाया गया। अब दशमिक टंकन की प्रणाली के लागू होने से भाड़े की दरों में वृद्धि ही की जा रही है अर्थात् उन्हें ५ प्रतिशत तक कम करने के स्थान पर १० प्रतिशत किया जा रहा है। मैं यह नहीं समझ सका कि सरकार इस प्रकार से दरों को क्यों बढ़ाया करती है।

कोयले पर भी इस समय जो रियायत दी जा रही है वह भी मेरी समझ में पर्याप्त नहीं है। इससे ज्यादा रियायत मिलनी चाहिये।

यह ठीक है समिति ने बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है किन्तु यह भी स्पष्ट है कि समिति के सामने ३०० करोड़ की कमी को पूरा करने का प्रश्न रहा और उसी दृष्टिकोण से समिति ने सिफारिशें कीं। वास्तव में मैं तो जितना सोचता हूं यही समझता हूं कि अब भाड़े की दरों में कमी करने का समय है न कि वृद्धि का। हमें व्यापारियों की कठिनाइयों पर भी तो ध्यान देना चाहिये। जो भाड़े में जो भी वृद्धि होती है उसका असर आखिर में गरीब उपभोक्ता पर ही पड़ता है। हमने यात्री किराये पहले ही बहुत बढ़ा दिये हैं अब भाड़े की दरें बढ़ाने से जनता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : रेलवे भाड़ा दरों का विषय बहुत जटिल है। इस पर विचार करने के लिये एक जानकार समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने इस विषय पर विचार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

करने में १६ महीनों से अधिक समय लिया । अब इस समिति की सिफारिशें तथा निर्णय सभा-पटल पर रखे गये हैं निसन्देह ऐसे विशेषज्ञों के निर्णय को चुनौती देना निरी गलती होगी तथापि मैं अपना भाषण कुछ सामान्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तों तक सीमित रखूंगा । जिन पर यदि उचित ध्यान दिया जायेगा तो भाड़ा दर पर पुनर्विचार करने तथा वस्तुओं के कुछ विशेष वर्गों पर, कुछ विशेष दूरी के लिये, दरों के पुनरीक्षण की आवश्यकता होगी ।

सब से आश्चर्य की बात तो यह है कि समिति ने ३२ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की सिफारिश की थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने सिफारिशों पर विचार करने के उपरान्त यह निश्चय किया कि ९ करोड़ रुपयों से अधिक आय प्राप्त करना उचित नहीं होगा । यद्यपि प्रस्तावक महोदय ने भी मंत्री महोदय को यही सुझाव दिया है कि वे रेलवे भाड़ा दरों में अधिक वृद्धि करें जिससे उन्हें समिति द्वारा सुझाई गई आय हो सके लेकिन मेरे विचार से रेलवे बोर्ड ने एक यथार्थवादी रवैया अपनाया है ।

वस्तुतः बात यह है कि आज रेलवे की परिवहन क्षमता वह नहीं रह गई है जो दो वर्ष पहिले थी । इस दिशा में पर्याप्त सुधार हुआ है । कहीं कहीं तो रेलवे को सड़क परिवहन की प्रतिद्वंदिता के समक्ष झुकना पड़ा है । आज तक रेलवे सदा से ही सड़क परिवहन पर हाबी रही हैं लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनकी वजह से सड़क परिवहन को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे । समिति ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वे कम दूरी वाले स्थानों के लिये सड़क परिवहन को और अधिक दूरी के स्थानों के लिये रेलवे द्वारा माल ले जाने को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तथापि इस सम्बन्ध में कुछ किया नहीं गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि सारा फायदा रेलवे ही हड़पना चाहती है और इस प्रकार वह सड़क परिवहन के मार्ग में बाधा पहुंचा रही है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे प्रशासन ने व्यापार के ढांचे पर भी ध्यान नहीं दिया है । वस्तुतः इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दिया गया है । सरकार ने देश की अर्थ व्यवस्था की उन्नति को ध्यान में रखते हुये भाड़ा दर में परिवर्तन करने चाहिये थे । तथापि अभी प्रतिवेदन को प्रकाशित हुये १५ दिन का समय नहीं हुआ कि निर्यात संवर्धन समिति ने सरकार से अपील की कि निर्यात में बाधक विषयों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और जहां आवश्यकता हो वहां भाड़ा दरों में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिये । रेलवे प्रशासन भी इस बात से सहमत हो गया कि जब कभी ऐसे मामले उनके निगाह में लाये जायेंगे तो वे वस्तुओं तथा दूरी के सम्बन्ध में भाड़ा दरों में परिवर्तन कर देंगे । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि या तो वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श हीं नहीं किया गया या वाणिज्य मंत्रालय को स्वयं अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पता नहीं था । इसीलिये १५ दिन बीतते न बीतते उन्होंनें भाड़ा दरों में परिवर्तन की मांग की है ।

अब मैं अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों को लेता हूं । भाड़ा दरों में परिवर्तन करते समय सरकार ने अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों के विकास को ध्यान में नहीं रखा है जब कि रेलवे को राष्ट्रीय विकास की ओर ध्यान देना चाहिये ।

अधिक दूरी के लिये कोयले पर भाड़े की दरें बढ़ा दी गई हैं । यद्यपि समिति ने कम दूरी के लिये भाड़ा दरों को कुछ घटाने की सिफारिश की थी लेकिन रेलवे प्रशासन ने दरें पूर्ववतः रखी हैं या उन में कुछ वृद्धि की है । अधिक दूरी के लिये दरों में पर्याप्त वृद्धि की गई है । इससे जो क्षेत्र कोयले वाले क्षेत्रों से काफी दूर अवस्थित हैं उनके विकास को धक्का लगेगा । जब हम इस्पात की कीमत सारे देश में एक सी रख सकते हैं तो भला कोयले का मूल्य अत्यधिक रूप में एक सा रखने का प्रयत्न क्यों नहीं कर सकते हैं अतः मेरा निवेदन है कि अर्ध विकसित क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रख कर भाड़ा दरों पर पुनर्विचार किया जाय ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । समिति ने अपनी सिफारिशों में यह सुझाव दिया है कि कम दूरी के परिवहन के लिये हमें परिवहन के अन्य खाद्यान्नों को प्रोत्साहन देना चाहिये अधिक दूरी के लिये हमें रेलवे द्वारा परिवहन को प्रोत्साहन देना चाहिये जब कि व्यवहारतः उन्होंने कम दूरी के लिये कोयले का भाड़ा कम किया है और अधिक दूरी के लिये बढ़ा दिया है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं इस प्रस्ताव के लिये सदस्यों को धन्यवाद देता हूं वस्तुतः सरकार द्वारा रखे गये सुझावों का अल्पाधिक रूप में सारे देश में स्वागत हुआ है । देश के लगभग सभी समाचार पत्रों ने, चाहे वे उद्योग, व्यापार या उपभोक्ता किसी भी हित से सम्बन्ध रखते हों, के निर्णय का स्वागत किया है । इसलिये, जैसा कि श्री तंगामणि ने कहा है यह कहना कि वाणिज्य संघ ने उन प्रस्तावों का विरोध किया है, गलत है ।

यह प्रश्न उठाया गया कि दरें निश्चित करते समय निर्यात संवर्द्धन पर ध्यान क्यों नहीं रखा गया था । इस प्रयोजन के लिये विशेष दरें निश्चित नहीं की जा सकती थीं । इस के लिये हम रियायतें दे सकते हैं । और यदि कुछ विशेष वस्तुओं के लिये विशेष क्षेत्रों से कुछ खास बन्दरगाहों तक रियायितें दी जायेंगी तो एक स्टेशन से स्टेशन तक की दरें विहित की जायेंगी । इस के लिये सामान्य दरें निर्धारित नहीं की जा सकती हैं । इस से अन्य जटिलतायें पैदा हो जातीं । वस्तुतः भाड़ा दर जांच समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय भी हम ने इस पर विचार किया । उस समय यह निश्चय किया गया कि विदेशी मुद्रा कमाने के प्रयोजन से वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये यदि कुछ वस्तुओं के भाड़ा दरों में रियायतें करने की आवश्यकता होगी तो रेलवे इसे सहर्ष स्वीकार करेगी । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के परामर्श से इस श्न पर विचार किया जा रहा है । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जब कभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या रेलवे मंत्रालय के सम्मुख कोई विशेष मामला लाया जायेगा तो उस विशेष वस्तु के निर्यात के संवर्द्धन के लिये यथासंभव कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह ने यह प्रश्न उ ाया है कि भाड़ा दर जांच समिति की अधिक आय प्रदान करने वाली सिफारिशों को रेलवे ने क्यों स्वीकार नहीं किया । श्री हरीश्चन्द्र माथुर ने उस का उत्तर देने का प्रयत्न किया है । सिफारिशें स्वीकार न करने का केवल यह कारण नहीं था हम अधिक यातायात प्राप्त नहीं कर सकेंगे । अपितु हम ने देश की समस्त अर्थ व्यवस्था को भी ध्यान में रखा था । हमें इस बात पर भी विचार करना था कि यदि किन्हीं वस्तुओं के परिवहन की क्षमता, या अधिक भाड़ा वहन करने की क्षमता के कारण भाड़ा वृद्धि से देश की अर्थ व्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ता है तो उन की दरों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये । इन सभी बातों पर विचार करने के उपरान्त रेलवे मंत्रालय और सरकार ने यही निश्चय किया कि इस समय जांच समिति द्वारा सुझाये गये अनुसार दरों में वृद्धि करना उचित नहीं होगा । इसलिये हमें समिति की सिफारिशों में परिवर्तन करना पड़ा ।

जहां तक पूंजी व्यय का आय से पूरा करने का सवाल है, मैं इस सिद्धान्त पर बहस नहीं करूंगा तथापि यह स्वीकार कर लिया गया है कि विकसित अर्थ व्यवस्था में आय का कुछ भाग पूंजी-पुंज में अवश्य जाना चाहिये ।

सदस्यों को ज्ञात है कि द्वितीय योजना की अवधि में रेलवे को दिये गये ११२५ करोड़ रुपयों में से, ३७५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था रेलवे ने स्वयं करनी है । तथा कीमतों तथा श्रम की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण यह आशा की जाती है कि रेलें कुछ अधिक अंशदान करेंगी । १९५६ और १९५७ में प्रति वर्ष ६½ प्रतिशत का अधिभार लगाया गया इस प्रकार कुल १२½ प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

अधिभार लगाया गया। हम आशा करते हैं कि उक्त अनुपूरक भार, विकास रक्षित निधि, अवक्षण रक्षित निधि और खुली हुई लाइनों की आय से हमें ३७५ करोड़ रुपये और इस से कुछ अधिक आय प्राप्त हो सकेगी। यदि हम कुल भाड़ा दरों में ४ प्रतिशत की भी वृद्धि करें तो हम योजना आयोग द्वारा अपेक्षित राशि देने में समर्थ हो जायेंगे। अतः हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत को ध्यान में रखते हुए ४ प्रतिशत की वृद्धि करना पर्याप्त है।

रेलवे और सड़क परिवहन की प्रतिद्वंदिता हमारे देश में ही नहीं है यह प्रतिद्वंदिता कई देशों में चल रही है। हमारे देश में दोनों के विकास का काफी क्षेत्र है। केवल समायोजन की आवश्यकता है जिस से एक ओर परिवहन क्षमता का अपव्यय न हो और दूसरी ओर अनुपयोगी क्षमता की वृद्धि न हो। यद्यपि इस समय भी कई क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है। मैं इस बात की चिन्ता नहीं करता कि यह रेलवे के लिये एक चुनौती है अपितु इस से राष्ट्रीय परिवहन क्षमता का अपव्यय हो रहा है वस्तुतः यदि ये सुविधायें ऐसे स्थानों में उपलब्ध की जायें जहां रेलें नहीं हैं तो राष्ट्र की अधिक सेवा हो सकती है।

उदाहरण के लिये दिल्ली और कानपुर के बीच रेलों के विकास के साथ साथ यातायात के विकास के कारण सड़क परिवहन भी बहुत विकसित है। मुझे इस की चिन्ता नहीं है कि इस से रेलों की आय पर क्या प्रभाव हो रहा है तथापि इस सड़क परिवहन क्षमता का देश के उन भागों में उपयोग किया जा सकता था जहां रेलवे यातायात की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाती है।

निसन्देह मार्ग-परिवहन के द्वारा माल प्रेषकों को कुछ लाभ होते हैं वे माल प्रेषक के स्थान से माल उठा कर माल प्राप्त कर्ता के स्थान तक पहुंचा सकते हैं। कुछ विशेष वस्तुओं के सम्बन्ध में जहां माल प्रेषक को कुछ चालाकी या चालबाजी इत्यादि करनी होती है वहां भी सड़क परिवहन से अधिक सुविधा होती है। सड़क परिवहन में विशेषतः माल के सम्बन्ध में कोई निश्चित दरें भी नहीं होती हैं और भाड़ा देते समय भी चालाकी की जा सकती है।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में कई क्षेत्रों में उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः जहां एक या दूसरी सुविधा उपलब्ध है वहां पुनः उस सुविधा को उपलब्ध करने से राष्ट्रीय क्षमता का नुकसान ही हो सकता है। अतः जब तक परिवहन की दृष्टि से हमारा देश पूरी तरह विकसित नहीं है, तब तक रेल व सड़क-परिवहन के संघर्ष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। सभी प्रकार के परिवहन साधनों के लिये पर्याप्त सामग्री मौजूद है। कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां निकट भविष्य में रेलों के निर्माण की संभावना नहीं है। वहां सड़क परिवहन का विकास किया जाना चाहिये। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में सड़क परिवहन के विकास के लिये काफी क्षेत्र है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** समिति ने यह सिफारिश की है कि कम दूरी के लिये सड़क परिवहन को प्रोत्साहन दिया जाय, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने क्या किया है ?

†**श्री जगजीवन राम :** इस सिफारिश पर रेलवे बोर्ड ने बहुत अच्छी प्रकार विचार कर लिया है। माननीय सदस्यों को पता है कि देश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां थोड़ी-दूरियों के लिये भी सड़क परिवहन की सुविधायें नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिये, उन में कोयला ढोने के लिये तथा अन्य कच्चा माल ढोने के लिये हमारे पास क्या व्यवस्था है। जहां तक २०, २५, ३० या ५० मील की दूरी का सम्बन्ध है हम इस बात से सहमत हैं कि हमें रेलवे परिवहन को निरुत्साहित करना चाहिये और सड़क परिवहन को प्रोत्साहित करना चाहिये। पर यदि हम ३०० मील की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

दूरी को कम दूर के क्षेत्रों में सम्मिलित कर लें और दरों को बढ़ा दें ताकि लोग रेलवे द्वारा माल नहीं भेजें और सारा परिवहन सड़कों द्वारा होने लगे तो मुझे भय है कि बहुत से क्षेत्रों में इस से उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । इसी कारण हम ने सोचा कि चाहे हम २५ या ५० मील की दूरी के स्थानों में रेल परिवहन को निरुत्साहित करें पर हमें दरें इतनी अधिक नहीं रखनी चाहियें कि लोग रेल या सड़क किसी भी परिवहन से माल को भेजने में समर्थ न हों । विशेषतया ऐसे क्षेत्रों में जहां सड़क परिवहन उपलब्ध नहीं है । अतः मैं कहता हूं कि इस सिफारिश पर हम ने हर प्रकार से विचार किया और इसी विचार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसे हम ने सभा के सामने प्रस्तुत किया है ।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं जब तक हमारे देश में ऐसे स्थान हैं जहां परिवहन के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं, तब तक मैं सड़क परिवहन तथा रेल परिवहन के विकास में कोई संघर्ष की बात नहीं चाहता ।

पिछड़े तथा अर्द्ध विकसित क्षेत्रों की बात भी कही गई । सभा को स्मरण होगा कि रेलवे के एकीकरण के पूर्व औद्योगिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में किराया और भाड़ा विकसित क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक थे । एकीकरण के परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में किराया और भाड़ा एक समान कर दिया गया । इस प्रकार अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों को यह अप्रत्यक्ष सुविधा दी गई ।

कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उन स्थानों के बहुत निकट हैं जहां उन क्षेत्रों के उद्योगों के लिये कच्चा माल मिलता है । हो सकता है एक कच्चा माल उस क्षेत्र के बहुत निकट हो और अन्य कच्चे माल वहां से काफी दूर हों । ऐसी स्थिति में भाड़े की दरों को ठीक कर के या किसी अन्य प्रकार उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है या नहीं ? अतः अर्ध-विकसित क्षेत्रों के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये हमें अन्य साधनों का सहारा लेना होगा ।

उत्तरी बिहार में पहले वहां चाहे जो भी कठिनाइयां रही हों उन के होते हुए भी चीनी उद्योग का विकास बहुत तेजी से हुआ और आज लोग वहां से कुछ कारखानों को हटाना चाहते हैं । उत्तरी बिहार या आसाम में परिवहन की कठिनाई के कारण वहां का विकास नहीं रुका हुआ है । बल्कि इस के कुछ अन्य कारण हैं । अन्य क्षेत्रों को औद्योगिक तथा वाणिज्यिक दृष्टि से विकसित करने के लिये हमें अन्य उपाय करने होंगे ।

उत्तरी बिहार और आसाम में गंगा पुल तथा ब्रह्मपुत्र पुल बनने के बाद परिवहन की स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी । पर अन्य स्थानों की सुविधा के लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम भाड़े की दरों में परिवर्तन करें । इन अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों के साथ हमें पूर्ण सहानुभूति है पर भाड़े की दरों में कोई परिवर्तन कर पाना मेरे लिये संभव नहीं होगा ।

मैं बता चुका हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन के उद्योगों को कच्चा माल बहुत नजदीक मिल जाता । अतः कुछ क्षेत्रों में उन के उद्योगों के विकास के लिये यह आवश्यक होगा कि सम्बद्ध राज्य या मंत्रालय उन के लिये कुछ करें । यदि ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि उद्योगों के विकास में रेलवे भी कुछ सहायता करें तो रेलवे में स्टेशन-से-स्टेशन तक की भाड़ा दरें हैं उन के द्वारा हम अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करेंगे । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यदि किसी अर्द्ध-विकसित क्षेत्र के उद्योगों को विकास के लिये सहायता देने का प्रश्न आया तो रेलवे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने से कभी मुंह नहीं मोड़ेगी ।

श्री भरूचा ने कहा कि दरों में परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है, उन्हों ने कहा कि वैज्ञानिकन की आड़ में रेलवे कुछ अधिक राजस्व कमाना चाहती है। हम ने यह बात नहीं छिपाई है कि हम कुछ अतिरिक्त राजस्व भी चाहते हैं। हम बहुत स्पष्ट हैं किसी चीज़ की आड़ में कुछ करने का हमारा इरादा नहीं है ।

हम ने इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया कि हम अतिरिक्त राजस्व नहीं कमाना चाहते हैं। हमें अतिरिक्त राजस्व राजस्व-व्यय के लिये नहीं चाहिये बल्कि कुछ ऐसे कामों के लिये चाहिये जो हमें द्वितीय योजना को पूर्ण करने के लिये करने हैं। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता पर कोई अनुचित बोझ न पड़ने पावे। हम ने उतने ही अतिरिक्त राजस्व का सुझाव रखा है जितना कि जनता से आशा की जाती है। कोयले के सम्बन्ध में भी, यदि आप रेलवे बोर्ड के सुझावों को देखें तो, आप देखेंगे कि हम ने इस बात का ध्यान रखा है कि उद्योग पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। उद्योग के विकास के लिये कोयला बहुत आवश्यक वस्तु है। कुछ स्थानों के भाड़ों से, यद्यपि कोयला ढोने में रेलवे को घाटा नहीं हो रहा है, पर कोयला ढोने की आय से रेलवे का खर्च पूरा नहीं पड़ता। पर हम इस की चिन्ता नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि रेलवे कोई शुद्ध व्यापारिक संस्था नहीं है। हम जानते हैं कि उद्योग के विकास में रेलवे को भी बहुत कुछ करना है और यद्यपि कुछ स्थानों पर कोयले की ढुलाई से हमें घाटा हो रहा है फिर भी हम उसे किसी प्रकार चला रहे हैं। अतः यद्यपि कुछ स्थानों पर भाड़े की दर में कुछ वृद्धि हो जायेगी फिर भी हमें इतनी आय नहीं होगी कि हमारा रेलवे का व्यय पूरा हो सके।

मैं बता रहा था कि यथासंभव हर प्रकार से हम रेलवे के व्यय में कमी करने की कोशिश करते हैं। रेलवे में ईंधन व कोयला की खपत के सम्बन्ध में जांच करने के लिये हम ने एक समिति बनाई थी। समिति ने विस्तृत रूप से परीक्षण कर के पिछले महीने अपना प्रतिवेदन दिया है जिस पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है। समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद हमें विश्वास है कि हम रेलवे में कोयले की खपत के सम्बन्ध में कुछ बचत अवश्य करने लगेंगे। संचालन-व्यय में कमी करने की बात पर भी हम विचार कर रहे हैं। हमें सब बातों का ध्यान है और मैं श्री भरूचा को आश्वासन देता हूं कि हम यथासंभव हर प्रकार की बचत की कोशिश करेंगे।

श्री तंगामणि ने समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करते समय कुछ कहा पर मैं उन की बात का अभिप्राय समझ नहीं पाया। हम मार्शलिंग यार्ड की क्षमता बढ़ा रहे हैं और वैगनों को शीघ्रता से लाने-ले जाने का प्रबन्ध कर रहे हैं। हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी वैगन मिल सकें। वैगनों की स्थिति में काफी सुधार हो गया है। मैं यह नहीं दावा कर सकता कि हम प्रत्येक चाहने वाले को तुरन्त वैगन दे सकेंगे। पर गत वर्ष या कुछ महीने पहिले की स्थिति की तुलना में अब हमारी स्थिति काफी सुधर गई है।

हमारे सामने अब भी कई कठिनाइयां हैं और हम उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मार्शलिंग यार्ड को नवीन ढंग से बनाये बिना या उन की क्षमता बढ़ाये बिना हम इन कठिनाइयों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते। इन कठिनाइयों के बाद भी हम ने स्थिति में काफी सुधार कर लिया हैं। माल उतारने तथा चढ़ाने की स्थिति में भी सुधार हुआ है। मैं कह सकता हूं कि स्थिति संतोष-जनक हो गई है पर अभी अधिक सुधार की आवश्यकता है।

इन सब कामों के लिये हमें धन की आवश्यकता है। यदि केवल राजस्व और व्यय के लेखाओं को देखा जाये तो हमें भाड़े की दर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर मैं ने बताया है कि हमें राजस्व में से पूंजी व्यय के लिये कुछ राशि देनी होगी। अतः भाड़े की दरों में इतनी वृद्धि करना कुछ अनुचित नहीं है जितने का निश्चय रेलवे बोर्ड ने किया है।

[श्री जगजीवन राम]

मैं नहीं जानता कि श्री भरूचा के मन में यह बात कैसे आई कि इस से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जायेगा। उस दिन सभा-पटल पर निश्चय को रखते हुए मैं ने बताया था कि प्रतिकर के रूप में हमें अनुमानतः २ या ३ करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। अतः मैं नहीं समझता कि श्री भरूचा ने यह मतलब कैसे निकाल लिया कि हम अतिरिक्त राजस्व कमाने के लिये यह सब कर रहे हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि सभा में इस विषय पर चर्चा हुई। हम ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि भाड़े की दरों के परिवर्तन से दैनिक प्रयोग की चीज़ों पर कोई प्रभाव न पड़े। माननीय सदस्य देखेंगे कि अत्यावश्यक वस्तुओं को दर-वृद्धि से मुक्त रखा गया है। कुछ मामलों में तो इस रियायत के परिणामस्वरूप हमें घाटा भी उठाना पड़ेगा।

सभा के माननीय सदस्यों की बातों तथा अखबारों द्वारा हमारे निश्चय का स्वागत किया गया है। मुझे आशा है कि राजस्व बढ़ाने में रेलवे को हर प्रकार की सहायता व सहयोग मिलेगा ताकि रेलवे के अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति देश के सहयोग से हो जाये।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : माननीय मंत्री ने अन्य बातों का उत्तर दिया है पर उन्हों ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। मैं ने पूछा था कि क्या रेलवे कर्मचारियों के वेतन तथा उन के महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि की जायेगी। इस के उत्तर में माननीय मंत्री बिल्कुल मौन रहे। माननीय मंत्री ने बताया कि आवश्यक निधि के लिये ३७५ करोड़ की राशि रक्षित है पर मूल्यों के बढ़ने से १०० करोड़ रुपये और व्यय करने पड़ेंगे। ठीक है यह सारी राशि ४७५ करोड़ रु० की हो जायेगी। फिर भी रेलवे कर्मचारियों के वेतन व महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था से वेतन बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकते। मुद्रास्फीति तथा मूल्यों की वृद्धि होती है। पर कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि के मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

रेलवे में प्रतिवर्ष बहुत सी दुर्घटनायें होती हैं। साथ ही गाड़ियों के देर से आने-जाने की भी समस्या है। अन्य कारणों के साथ इन बातों का एक बड़ा कारण यह भी है कि कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। जहां ८ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है वहां कठिनाई से चार व्यक्ति काम पर लगाये जाते हैं। इस प्रकार कर्मचारी बहुत थक जाते हैं मनुष्य की शक्ति की एक सीमा होती है उसे असीमित नहीं बनाया जा सकता।

अतः यदि रेलवे दुर्घटनाओं को कम करना चाहती है और अन्य कठिनाइयां दूर करना चाहती है तो उसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी। यदि कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तो उन को वेतन देने के लिये धन कहां से आयेगा ?

इस के तीन रास्ते हैं, ऋण, देश के भीतर बचत और घाटे की अर्थव्यवस्था। ऋण मिलना दूसरों के हाथ की बात है। बचत की योजना हमारी कितनी सफल रही है यह हम देख रहे हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था तो अभी भी अन्तिम सीमा तक पहुंच चुकी है। यदि अब घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लिया गया तो उस से हालत बहुत खराब हो जायेगी। चीजों के मूल्य बहुत बढ़ जायेंगे और तब वह कठिनाई भाड़े की दर बढ़ाने की कठिनाई से भी अधिक भयंकर होगी।

यदि १९३९ में भाड़े की दरों तथा वस्तुओं की दरों की तुलना वर्तमान भाड़े की दरों तथा वस्तुओं की दरों से की जाये तो आप देखेंगे कि भाड़े की दरें १०० प्रतिशत बढ़ी हैं जबकि वस्तुओं के मूल्य में ४०० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे संचालन व्यय में कमी करने की बात श्री भरूचा ने कही थी पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक यह मामला रेलवे बोर्ड, जनरल मैनेजर तथा रेलवे अफसरों पर निर्भर रहेगा तब तक बचत कदापि नहीं हो सकती । मैं एक उदाहरण दूंगा कि जनरल मैनेजरों तथा रेजीडेण्ट्स के मकान एअरकण्डीशन्ड होते हैं । क्या यह व्यय ठीक है जबकि हमारे सामने बिदेशी विनियम का इतना संकट है । आशा है माननीय मंत्री इन बातों की ओर ध्यान देंगे ।

†**सभापति महोदय** : इस प्रस्ताव पर चर्चा समात हो गई ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, ४ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२१२७—५२
तारांकित प्रश्न संख्या		
८४१	जेल नियम संग्रह समिति	२१२७–२८
८४२	राष्ट्रीय अकादमियों के लिये भवन निर्माण	२१२८–२९
८४३	पेट्रोल का मूल्य	२१३०—३२
८४४	दिल्ली के स्कूलों के अध्यापक	२१३३–३४
८४५	भिक्षावृत्ति	२१३५–३६
८४६	टेक्निकल शिक्षा	२१३६—३८
८४७	दुर्गापुर स्टील वर्क्स के लिये एक वरिष्ठ प्रविधिक प्रतिनिधि की नियुक्ति	२१३८–३९
८४८	रानीखेत छावनी	२१३९—४१
८५०	रूरकेला में इस्पात का उत्पादन	२१४१—४३
८५३	विदेशी मुद्रा का आय-व्ययक तैयार करना	२१४३—४५
८५६	भारतीय लेखकों का प्रतिलिप्यधिकार	२१४५–४६
८५८	सीमा सुरक्षा सेना के लिये राशन	२१४६–४७
८५९	अगरताला में पोलीटेक्नीक इन्स्टीट्यूट	२१४७–४८
८६०	कानपुर के आयुध कारखाने में जांच बोर्ड	२१४८–४९
८६१	दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय छात्र गृह	२१४९
८६४	अलीगढ़ विश्वविद्यालय	२१४९—५१
८६५	दिल्ली में विस्फोट	२१५१–५२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२१५२—९६
तारांकित प्रश्नसंख्या		
८४०	यूनेस्को द्वारा नियोजन	२१५२
८४९	विस्फोटसह मोटरों की कस्टम से निकासी में देर	२१५२–५३
८५१	नेपाली प्रतिरक्षा शिष्टमण्डल का दौरा	२१५३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
८५२	भारतीय नृत्यों की उड़ीसा तथा अन्य शैलियां	२१५३–५४
८५४	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग . . .	२१५४
८५५	अत्यावश्यक सेवाओं में हड़तालें . . .	२१५४
८५७	शिक्षा एवं व्यवसाय सम्बन्धी मार्ग प्रदर्शन का केन्द्रीय ब्यूरो .	२१५५
८६२	सांची स्तूप	२१५५
८६३	तेल छिद्रण स्कूल	२१५६
८६६	रानीगंज कोयला खान के लिये बालू की थाक लगाने की योजना .	२१५६
८६७	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन . . .	२१५६
८६८	अखिल भारतीय पेट्रोल व्यवसायी संघ .	२१५६–५७
८६९	माल्या के भूमि सीमा शुल्क कार्यालय में डकैती . .	२१५७
८७०	भारत के रिजर्व बैंक द्वारा पाकिस्तानी रुपयों की खरीद व बिक्री	२१५७–५८
८७१	बन्दियों के लिये मजूरी कमाने की योजना .	२१५८
८७२	दिल्ली निर्वाचक गण (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९५८ .	२१५८–५९
८७३	मद्रास राज्य में मिला तेल	२१५९
८७४	औषधि नियंत्रण तथा सीमा-शुल्क प्रयोगशाला सम्बन्धी समिति	२१५९
८७५	वाणिज्यिक शिक्षा का पुनर्गठन . .	२१६०
८७६	प्रविधिक संस्थाओं के अध्यापक . . .	२१६०–६१
८७७	जिले के प्रशासन का पुनरीक्षण	२१६१
८७८	दिल्ली में बच्चों का अपहरण	२१६१
८७९	दुर्गापुर के इस्पात कारखाने में गैर-दशमिक प्रणाली का प्रयोग .	२१६१–६२
८८०	नेपाल को सहायता . . .	२१६२
८८१	स्वयंसेवी संगठन	२१६२–६३
८८२	विकलांगों के लिये काम दिलाऊ संगठन . .	२१६३
८८३	विश्वविद्यालयों में गांधी भवन . .	२१६३
८८४	डोगरी लोक गीत तथा रंगचित्र .	२१६३
८८५	ट्रैक्टर . .	२१६३–६४
८८६	कृषि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम . .	२१६४
८८७	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल . .	२१६४–६५
८८८	संघ राज्य-क्षेत्रों में बिक्री कर . . .	२१६५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
८८९	पूर्वी तथा पाश्चात्य सांस्कृतिक महत्व के पारस्परिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में यूनेस्को की प्रमुख परियोजना	२१६५
८९०	कर-अपवंचन	२१६६
८९१	जिला गजेटियर .	२१६६–६७
८९२	दैवी विपत्तियों के लिये निधि .	२१६७
८९३	अध्ययन का राष्ट्रीय सम्मेलन .	२१६७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३८७	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग .	२१६८
१३८८	बम्बई में पुस्तकालय . . .	२१६८
१३८९	बम्बई में बच्चों और महिलाओं के लिये पुस्तकालय .	२१६८
१३९०	बम्बई में प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा .	२१६८–६९
१३९१	कोयला उत्पादन	२१६९
१३९२	निर्वाचन	२१६९–७०
१३९३	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का रक्षण . .	२१७०
१३९४	शिक्षितों में बेरोजगारी	२१७०
१३९५	बम्बई की शिक्षा संस्थायें	२१७१
१३९६	राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा .	२१७१
१३९७	आन्ध्र प्रदेश में विज्ञान मन्दिर .	२१७१
१३९८	आन्ध्र प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा	२१७१—७३
१३९९	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	२१७३
१४००	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये कल्याण योजनायें .	२१७४
१४०१	भिलाई इस्पात परियोजना नगर में मकानों का निर्माण	२१७४–७५
१४०२	राजस्थान में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि .	२१७५
१४०३	राजस्थान में अभ्रक के निक्षेप .	२१७५–७६
१४०४	पुरस्कार बन्ध योजना .	२१७६
१४०५	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिक	२१७६
१४०६	जेल पदाधिकारी प्रशिक्षण संस्थायें	२१७६–७७
१४०७	पंजाब में राष्ट्रीय महत्व के मन्दिर .	२१७७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४०८	दुर्गापुर का इस्पात कारखाना .	२१७७
१४०९	आर्मी रिमाऊंट डिपो, सहारनपुर	२१७८
१४१०	पंजाब में अनुसूचित जातियां . .	२१७९
१४११	पुरातत्व विभाग का पुस्तकालय . .	२१७९
१४१२	रूरकेला बस्ती	२१७९
१४१३	स्त्री तथा बाल संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, १९५९	२१७९
१४१४	घड़ियों का तस्कर व्यापार . . .	२१८०
१४१५	अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की सूची .	२१८०
१४१६	आय-कर	२१८१
१४१७	प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में अस्पताल	२१८१
१४१८	तस्कर व्यापार . .	२१८१–८२
१४१९	सामुदायिक विकास पदाधिकारियों का प्रशिक्षण .	२१८२
१४२०	दिल्ली में स्कूलों की इमारतें . . .	२१८२
१४२१	पंजाब में आय-कर देने वाले .	२१८२–८३
१४२२	क्षेत्रीय परिषद् . .	२१८३
१४२३	दिल्ली कारपोरेशन के लिये भवन . .	२१८३
१४२४	पंजाब में भूतपूर्व सैनिक .	२१८३–८४
१४२५	पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी .	२१८४
१४२६	पैप्सू राज्य उत्पादन शुल्क विभाग . . .	२१८४
१४२७	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के दौरे	२१८४
१४२८	भारत का राज्य बैंक .	२१८५
१४२९	त्रिपुरा के छात्र . .	२१८५
१४३०	टैक्नीकल कर्मचारियों की भर्ती .	२१८५–८६
१४३१	पदाधिकारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु	२१८६
१४३२	पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार .	२१८६
१४३३	भू-राजस्व बन्दोबस्त कार्य	२१८६
१४३४	नाटक का विकास . .	२१८६–८७
१४३५	संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट	२१८७
१४३६	युद्धास्त्र कारखानों के पर्यवेक्षक .	२१८७
१४३७	कपूरथला में तेल सर्वेक्षण . .	२१८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
१४३८	मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरें	२१८८
१४३९	केण्टीन स्टोर्स विभाग . .	२१८८
१४४०	निर्वाचन याचिकायें	२१८९
१४४१	संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल वार कालेज	२१८९
१४४२	संघ राज्य-क्षेत्र विदेश छात्रवृत्ति योजना . .	२१८९–९०
१४४३	व्यय कर	२१९०
१४४४	मध्य प्रदेश के लिये स्वीकृत धन राशि . .	२१९०
१४४५	संघ राज्य-क्षेत्रों में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा .	२१९०–९१
१४४६	जीवन बीमा समवाय	२१९१
१४४७	भारतीय सेवा में विदेशी .	२१९१
१४४८	पंजाब में प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा .	२१९१
१४४९	प्रशासनिक सतर्कता डिवीजन की रिपोर्ट .	२१९१–९२
१४५०	पाकिस्तान से बकाया ऋण की वसूली .	२१९२
१४५१	पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान	२१९२
१४५२	पंजाब उच्चन्यायालय	२१९२
१४५३	अफीम	२१९३
१४५४	अमरीकी विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी	२१९३
१४५५	प्रोफेसर काल्दर की रिपोर्ट .	२१९३
१४५७	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां .	२१९३–९४
१४५८	काश्मीर का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	२१९४
१४५९	ईसाई धर्म का प्रचार . . .	२१९५
१४६०	दिल्ली में अपराध . . .	२१९५–९६

स्थगन प्रस्ताव . . . . २१९६—९९

अध्यक्ष ने ५ स्थगन प्रस्तावों को, जिन की सूचना निम्नलिखित सदस्यों द्वारा दी गई थी और जो उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में थे, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :

सर्वश्री सरजू पाण्डे, त० ब० विट्ठलराव, वें० प० नायर, राम सेवक यादव, स० म० बनर्जी, तंगामणि, प्रभात कार, खुशवक्त राय, रामजी वर्मा, मोहन स्वरूप, ब्रजराज सिंह और जगदीश अवस्थी ।

विषय **पृष्ठ**

राज्य सभा से सन्देश . . २१९९

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने अपनी १ सितम्बर, १९५८ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १८ अगस्त, १९५८ को पारित सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक, १९५८ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

सभा से अनुपस्थिति की अनुमति . . . २१९९

निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई :

श्री सु० चं० चौधरी
श्री मोहम्मद इलियास
श्रीमती ललिता राज्य लक्ष्मी
श्री बाली रेड्डी
श्री मुहीउद्दीन
श्री पोकर साहेब
श्री द० स० राजू
श्री तेवर
श्री याज्ञिक
श्री क० उ० परमार .
श्रीमती विजय राजे सिन्धिया
श्री कमल नारायण सिंह .

विधेयक पारित २१९९—२२०६

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्ड-वार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

विधेयक विचाराधीन . . . . २२०६—१६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) ने प्रस्ताव किया कि राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय पृष्ठ

रेलवे भाड़ा दर जांच समिति के बारे में प्रस्ताव २२१६—२७

श्री राजेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि रेलवे भाड़ा दर जांच समिति की सिफारिशों तथा उस पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों के वक्तव्य पर, जो १८-८-५८ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये। वक्तव्य पर चर्चा हुई और श्री राजेन्द्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

गुरुवार, ४ सितम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक, १९५८ और सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाना और उन्हें पारित किया जाना और भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद पर चर्चा।